मई, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2020 अंक - 5

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य प्रकाशन

(2020) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

जैसाकि नाम से ही विदित है, इस पत्रिका में विशेषत: उच्च न्यायालयों द्‌वारा पारित निर्णय ही प्रकाशित किए जाते हैं इसलिए पाठकों के मन में उच्च न्यायालयों को लेकर अधिक जानकारी प्राप्त करने की रुचि जागृत होना कोई आश्चर्य की बात न होगी । अत: उच्च न्यायालय के संबंध में मूल जानकारी प्राप्त करना पाठकों के लिए लाभप्रद होगा । किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय की भांति होता है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 214 के अधीन किया जाता है । किंतु संविधान के अनुच्छेद 231 के अधीन यदि संसद् चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है जिसका एक अच्छा उदाहरण पंजाब और हरियाणा राज्य हैं । प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और राज्य की स्थिति, जनसंख्या, मुकदमों और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रपति द्‌वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्‌वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है । उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपरोक्त के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी परामर्श समिति का सदस्य बनाया जाता है । अन्य सेवाओं की भांति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाना भी स्वाभाविक है । यह कार्य राष्ट्रपति द्‌वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन किया गया है । न्यायाधीशों की गरिमा बनाए रखने के लिए उनके समक्ष विचाराधीन मामले की आलोचना संसद् में नहीं की जा सकती ।

उच्च न्यायालय कुछ मामलों में सीधे सुनवाई और विनिश्चय पारित कर सकते हैं, इसे उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता कहा जाता

है और जब किसी निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाती है, तब इसे उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता कहा जाता है । चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद भी सीधे ही उच्च न्यायालयों में सुने जाते हैं । प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत किसी भी सांसद या विधायक के चुनाव के विरुद्ध की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यदि उच्च न्यायालय यह पाता है कि उस सांसद या विधायक ने छल, कपट या किसी विधिविरुद्ध कार्य द्वारा चुनाव जीता है तब वह उसकी पात्रता रद्द करते हुए उस चुनाव को खारिज कर सकता है । संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की प्रणाली से संबंधित नियम बनाने जैसे कई प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त हैं जिनमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और उनके न्यायालयों का निरीक्षण किया जाना आदि सम्मिलित हैं । संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसके निर्णय व आदेश अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उन्हें राज्य के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है ।

इसके साथ-साथ दूसरी ओर न्यायाधीशों पर यह प्रतिबंध भी है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसी राज्य में विधि व्यवसाय (वकालत) नहीं कर सकते । इस उपबंध का उद्देश्य किसी भी पक्षपात से बचना और पारदर्शिता कायम रखना है ।

इस अंक में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
मीठा दीवान **बनाम** राज्य	675
मोहम्मद आजम हसीन (डा.) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	623
राजगोपाल सक्सेना **बनाम** राजस्थान राज्य	696
शिव नाथ और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	593
सनातन सतनामी **बनाम** असम राज्य और एक अन्य	657
सांवरिया **उर्फ** सांवर लाल **बनाम** राजस्थान राज्य	703
सोनू **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	723

संसद् के अधिनियम

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1- 24

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 311 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376] – बलात्संग – विचारण न्यायालय द्‌वारा अपीलार्थी (प्रकीर्ण आवेदन में प्रत्यर्थी) की दोषसिद्धि – अपील के लंबित रहने के दौरान अपील के प्रत्यर्थी अर्थात् राज्य (प्रकीर्ण आवेदन में आवेदक) द्‌वारा धारा 311 के अधीन चिकित्सक साक्षी की पुन: परीक्षा के लिए आवेदन फाइल किया जाना – अभियुक्त और आहत के रक्त और डी. एन. ए. की जांच कराई गई है जिसके संबंध में नमूना लेने वाले चिकित्सक साक्षी की परीक्षा कराए जाने से अभियुक्त के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत: उक्त धारा 311 के अधीन चिकित्सक साक्षी की पुन: परीक्षा कराना न्यायोचित है ।

सोनू बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 723

– धारा 438 – द्‌वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का फाइल किया जाना – क्या न्यायालय द्‌वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के उपरांत गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाने के पश्चात् अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र फाइल किया जा सकता है – न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उसकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

राजगोपाल सक्सेना बनाम **राजस्थान राज्य** 696

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

पृष्ठ संख्या

1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – सबूत – अभियुक्तों का मृतक को चिड़ियों का शिकार करने के बहाने अपने साथ ले जाने का अभिकथन किया जाना – मृतक पर अपीलार्थियों द्वारा गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना – शवपरीक्षण रिपोर्ट से गोली से कारित घाव की पुष्टि न होना - घटनास्थल से किसी भी कारतूस या छर्रे की बरामदगी न होना – घटना को टार्च की लाइट में देखे जाने का अभिकथन – टार्च की बरामदगी में घोर विलंब – शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक को अग्न्यायुध से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं है और न ही इस संबंध में न्यायालय में चिकित्सक द्वारा कोई साक्ष्य दिया गया है और साथ ही अभियोजन पक्ष मृतक और अपीलार्थियों के बीच पुरानी शत्रुता को साबित नहीं कर सका है, ऐसी परिस्थितियों में अपराध का हेतु साबित नहीं माना जा सकता और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं हो सकती, अतः वे दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

शिव नाथ और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 593

– धारा 302 और 120ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और आपराधिक षड्यंत्र – मृतक के कृत्य से क्रुद्ध होकर अपीलार्थी द्वारा हत्या किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – विश्वसनीयता – अभियुक्त और सह-अभियुक्त के बीच मृतक की हत्या किए जाने का षड्यंत्र – इत्तिलाकर्ता द्वारा नामित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की परीक्षा न कराना – अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अस्वाभाविक पाया जाना – मूक और वधिर साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभास

पृष्ठ संख्या

– इत्तिलाकर्ता ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम का उल्लेख किया है किंतु उक्त साक्षी की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए पूर्णतया घातक है तथा साथ ही मूक और वधिर साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभास पाया गया है, अत: ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मीठा दीवान बनाम **राज्य** 675

– धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – झगड़े के कारण पति द्वारा पत्नी की अभिकथित हत्या – पति द्वारा शव दफनाए जाने का अभिकथन – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास – शव की बरामदगी प्रकटीकरण के आधार पर नहीं अपितु संदेह के आधार पर – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है, हत्या की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा शव की बरामदगी भी प्रकटीकरण कथन के आधार पर नहीं अपितु मात्र संदेह के आधार पर की गई है, इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

सनातन सतनामी बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 657

– धारा 302, 397, 404 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 27, 9 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – मृतक का अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखे जाने की पुष्टि – अभियुक्तों से मृतक की कार की नम्बर प्लेटों की बरामदगी

पृष्ठ संख्या

होना – अभियुक्तों द्‌वारा उनकी प्रतिपरीक्षा में स्पष्टीकरण न दिया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थियों को अंतिम बार साक्षियों द्‌वारा मृतक के साथ देखा गया था और घटना के पश्चात् उन्होंने मृतक के वाहन को बेचने का प्रयास किया तथा शनाख्त परेड के दौरान उनकी शनाख्त भी की गई है और मृतक का मानववध कैसे हुआ, इस संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थियों द्‌वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अत: हत्या के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

सांवरिया उर्फ **सांवर लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** 703

– धारा 304क – सड़क दुर्घटना में घायल होने के पश्चात् मृतक को अस्पताल में दाखिल किया जाना – उपचार के दौरान उसकी छाती में एक ट्‌यूब प्रतिष्ठापित किया जाना – लगभग 23 दिन के उपचार के पश्चात् स्वास्थ्य में सुधार – वरिष्ठ डाक्टर द्‌वारा ट्‌यूब को हटाए जाने के पश्चात् मृतक को अस्पताल से निर्मुक्त करने का निदेश – कनिष्ठ डाक्टर द्‌वारा प्राइवेट वार्ड में ही बिना किसी चिकित्सीय दल और वरिष्ठ डाक्टर तथा अन्य संबद्ध जीवन रक्षक उपकरणों और औषधियों के सी. टी. डी. प्रक्रिया के द्‌वारा ट्‌यूब को मृतक की माता और बहन के विरोध के बावजूद हटाया जाना – ट्‌यूब काटने पर अत्यधिक रक्तस्राव – कनिष्ठ डाक्टर द्‌वारा स्थिति को संभालने की चेष्टा – असफल रहने पर वहां से भाग जाना – मृतक का आपातकाल कक्ष में स्थानांतरण – किंतु लगभग एक घंटे के पश्चात् उसे मृत घोषित किया जाना – मृतक के भाई द्‌वारा धारा 304क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना

पृष्ठ संख्या

– अन्वेषण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ डाक्टर और साथ ही एक अन्य डाक्टर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाना – न्यायालय द्वारा दोनों डाक्टरों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ करते हुए उन्हें समन जारी किया जाना – उच्च न्यायालय में चुनौती – उच्च न्यायालय ने अनेक मामला विधियों का अवलंब लेते हुए यह संप्रेक्षण किया कि चिकित्सक की प्रत्येक लापरवाही को दांडिक उपेक्षा नहीं ठहराया जा सकता – उसे केवल तभी अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब चिकित्सक की ओर से अक्षमता का सकल अभाव या मरीज की सुरक्षा के प्रति उदासीनता और अपेक्षित कार्रवाई करने की अनिच्छा स्पष्ट रूप से दर्शित हो और जो सकल अज्ञानता और घोर उपेक्षा से उद्भूत हुई हो – सावधानी के अभाव, में निर्णय लेने में आई त्रुटि से या दुर्घटनावश किसी मरीज की मृत्यु के लिए कोई चिकित्सक के प्रति सिविल दायित्व तो निर्धारित किया जा सकता है किंतु वह दांडिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

मोहम्मद आजम हसीन (डा.) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 623

शिव नाथ और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2001 की दांडिक अपील सं. 444)

तारीख 20 मई, 2020

न्यायमूर्ति बी. अमित स्थलेकर और न्यायमूर्ति अली जामिन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – सबूत – अभियुक्तों का मृतक को चिड़ियों का शिकार करने के बहाने अपने साथ ले जाने का अभिकथन किया जाना – मृतक पर अपीलार्थियों द्वारा गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना – शवपरीक्षण रिपोर्ट से गोली से कारित घाव की पुष्टि न होना - घटनास्थल से किसी भी कारतूस या छर्रे की बरामदगी न होना – घटना को टार्च की लाइट में देखे जाने का अभिकथन – टार्च की बरामदगी में घोर विलंब – शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक को अग्न्यायुध से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं है और न ही इस संबंध में न्यायालय में चिकित्सक द्वारा कोई साक्ष्य दिया गया है और साथ ही अभियोजन पक्ष मृतक और अपीलार्थियों के बीच पुरानी शत्रुता को साबित नहीं कर सका है, ऐसी परिस्थितियों में अपराध का हेतु साबित नहीं माना जा सकता और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं हो सकती, अत: वे दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मुदका नंगला, जिरऊ, पुलिस थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के निवासी इत्तिलाकर्ता शिव सिंह द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई

जिसमें यह उल्लेख किया गया कि तारीख 28 नवंबर, 1992 को अपराह्न लगभग 9.30 बजे वह अपने पुत्र सुमेर सिंह और छोटे भाई महावीर सिंह (मृतक) अपने खेत से आलू चुन रहे थे और इसके पश्चात् वे लकड़ियों की आग जलाकर सर्दी से बचने के लिए उसके निकट बैठ गए । अपराह्न लगभग 9.30 बजे शिव नाथ सिंह, महादेव, बच्चे सिंह और कुबेर (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है) वहां आए और उसके भाई महावीर सिंह से अपने साथ चलने को कहा कि उन्हें तालाब के निकट चिड़ियां पकड़नी हैं । तद्नुसार महावीर अभियुक्तों के साथ चल दिया । अपराह्न लगभग 10.00 बजे इत्तिलाकर्ता ने गोली चलने और सहायता के लिए महावीर सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनी जिस पर इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र सुमेर सिंह तालाब की ओर दौड़े और अपने हाथ में ली हुई टार्च की रोशनी में इत्तिलाकर्ता ने देखा कि अभियुक्तों ने उसके भाई महावीर सिंह को घेरा हुआ है और वे उस पर हमला कर रहे हैं । चीख-पुकार की आवाज सुनकर अन्य ग्रामवासी भी टार्चें लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे । इस पर अभियुक्त पश्चिम दिशा की ओर भाग गए । जब इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने महावीर का रक्तरंजित शव खेत में पड़ा हुआ पाया । इत्तिलाकर्ता ने अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में यह कथन किया है कि अभियुक्त शिव नाथ और महादेव तमंचा लिए हुए थे और बच्चे सिंह के पास टकोरा था तथा कुबेर के हाथ में लाठी थी । लिखित रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और अभियुक्तों के बीच भूमि को लेकर पुरानी शत्रुता चली आ रही थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रात्रि में नहीं लिखी जा सकी क्योंकि इत्तिलाकर्ता को अपनी जान का खतरा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अजीत सिंह को बोल-बोल कर लिखाई गई और तारीख 29 नवंबर, 1992 को पूर्वाह्न 8.30 बजे पुलिस थाना कायमगंज में दर्ज कराई गई । लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तारीख 29 नवंबर, 1992 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) रजिस्ट्रीकृत की । इस मामले का अन्वेषण, अन्वेषण अधिकारी दलमोर सिंह (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया है जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है किन्तु घटना के समय यह अधिकारी वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक के पद

पर कार्यरत था । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 29 नवम्बर, 1992 को दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन 1992 का मामला सं. 466 दर्ज किया गया और उसे इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार सौंपा गया । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसने इत्तिलाकर्ता का कथन अभिलिखित किया, शव का पंचनामा तैयार किया और इसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया । अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-12) साबित किया है । इस साक्षी ने स्थल नक्शा (प्रदर्श क-11) और इत्तिलाकर्ता के खेत का नक्शा (प्रदर्श क-13) तथा टार्च की बरामदगी से संबंधित ज्ञापन (प्रदर्श क-2) साबित किए हैं और इसके पश्चात् आरोप पत्र (प्रदर्श क-14) प्रस्तुत किया है । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि उसने अपने हस्तलेख द्वारा पंचनामा तैयार किया है जिसे साबित भी किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने यह भी कथन किया है कि जब इत्तिलाकर्ता पुलिस थाने आया था तब उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुआ किंतु इत्तिलाकर्ता उसके साथ नहीं गया । अन्वेषण अधिकारी पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे घटनास्थल पर पहुंचा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटनास्थल से पुलिस थाने की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब वहां पर इत्तिलाकर्ता मौजूद था और उसकी निशानदेही पर अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल नक्शा तैयार किया । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता का आलू का खेत घटनास्थल से लगभग आधे फर्लांग की दूरी पर है, यद्यपि इस संबंध में स्थल नक्शे में प्रविष्टि नहीं की गई है । जिस स्थान से शव बरामद किया गया है उस स्थान के उत्तर में तालाब है । यद्यपि स्थल नक्शे में उसकी दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है, यहां तक कि स्थल नक्शे में उक्त तालाब को दर्शाया भी नहीं गया है । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल से चिड़ियां पकड़ने के लिए कोई भी जाल बरामद नहीं किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने

यह कथन किया है कि वह तालाब तक भी नहीं गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 1993 को वह अंतिम बार ग्राम गया था और उसी दिन उसने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण के पश्चात् अपीलार्थियो को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जांच रिपोर्ट में बंदूक की गोली से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं है, अतः शिव सिंह (अभि. सा. 1) और सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी और इसलिए उनका यह परिसाक्ष्य मिथ्या हो जाता है कि अभियुक्त शिव नाथ और महादेव के पास तमंचा था । यहां जिला अस्पताल फैजाबाद में कार्यरत सीनियर ई. एन. टी. विशेषज्ञ डा. एस. के. श्रीवास्तव का कथन उल्लेखनीय है जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की है और मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों पर टिप्पणी की है और उन्होंने यह भी पता लगाया है कि मृतक को कारित क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हुई है । निस्संदेह शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक को अग्न्यायुध से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने अपने परिसाक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेख किया है किंतु निर्विवादित तथ्य यह है कि मृतक के शरीर पर 13 क्षतियां पाई गईं जिनमें से कुछ क्षतियां धारदार आयुध से कारित पाई गईं और कुछ विदीर्ण घाव पाए गए । चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने यह राय दी है कि ये क्षतियां लाठी और टकोरा जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती हैं । अभि. सा. 1 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि शत्रुता लगभग 8 वर्ष से चली आ रही थी और यह कि यद्यपि उसकी अभियुक्तों से कोई भी शत्रुता नहीं थी किंतु अभियुक्त उससे और मृतक से शत्रुता मानते थे । हमारी राय में शत्रुता लगभग 8 वर्ष पुरानी है और इन वर्षों में ऐसी कोई घटना

घटित नहीं हुई है जिससे तनिक भी यह पता चलता हो कि अभियुक्त इत्तिलाकर्ता और मृतक से शत्रुता मानते थे, हम अभियोजन पक्ष के इस पक्षकथन से सहमत नहीं हैं कि भूमि को लेकर कोई विवाद चल रहा था जो अभियोजन पक्ष पर हमला किए जाने का कारण था जिसके परिणामस्वरूप महावीर की मृत्यु हुई । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि शत्रुता को अग्रसर करने में, जो 8 वर्षों से चली आ रही थी, इत्तिलाकर्ता और मृतक (एक पक्षकार) तथा अभियुक्त अपीलार्थी (दूसरे पक्षकार) के बीच कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके कारण अभियुक्तों ने मृतक महावीर पर हमला किया । यद्यपि लेखपाल अर्थात् राम प्रकाश पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी 3) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह का भूखंड गाटा सं. 111 है किंतु जैसा कि हमने पहले ही देखा है अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि क्या इत्तिलाकर्ता का एकमात्र भूखंड यही है जिसके संबंध में उसने यह कथन किया है कि यह भूखंड सरकारी पट्टे पर लिया गया था जिसके आधे भाग पर अभियुक्तों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा लेखपाल (प्रतिरक्षा साक्षी 3) से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि भूखंड सं. 111 के आधे भाग पर अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था । अत: न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियुक्तों का हेतु साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । घटनास्थल से कोई भी कारतूस या छर्रा बरामद नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई भी बरामदगी ज्ञापन यह साबित करने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि घटनास्थल से अभिकथित रूप से कारतूस या छर्रा बरामद किया गया है । अत: हम अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत से सहमत नहीं हैं कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने गोली चलने की आवाज सुनी थी । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की दलील में बल है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अग्न्यायुध की आवाज और मृतक महावीर की चीख-पुकार सुनकर वे घटनास्थल की ओर दौड़े थे

और उन्होंने टार्च की लाइट और प्राकृतिक रोशनी में देखा था जो अभि. सा. 1 के पास थी किंतु यह टार्च अन्वेषण अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 6 द्वारा अभि. सा. 1 के कब्जे से तारीख 11 जनवरी, 1993 को अर्थात् घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद और वह भी आरोप पत्र फाइल किए जाने वाले दिन बरामद की गई है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । अतः अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थियों को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने वाला तारीख 17 फरवरी, 2001 को पारित विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है । (पैरा 36, 39, 40, 46, 52 और 54)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील सं. 444.

1993 के सेशन विचारण मामला सं. 235 में अपर सेशन न्यायाधीश-चतुर्थ द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2001 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री एस. के. श्रीवास्तव, अमर सिंह और सिद्धार्थ निरंजन
प्रत्यर्थी की ओर से	सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. अमित स्थलेकर ने दिया ।

न्या. स्थलेकर – वर्तमान दांडिक अपील 1993 के सेशन विचारण मामला सं. 235 में अपर सेशन न्यायाधीश-चतुर्थ द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2001 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मुदका नंगला, जिरऊ, पुलिस थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के निवासी इत्तिलाकर्ता शिव सिंह द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि तारीख 28 नवंबर, 1992 को अपराह्न लगभग 9.30 बजे वह अपने पुत्र सुमेर सिंह और छोटे भाई महावीर सिंह (मृतक) अपने खेत से आलू चुन रहे थे और इसके पश्चात् वे लकड़ियां जलाकर सर्दी से बचने के लिए उसके निकट बैठ गए । अपराह्न लगभग 9.30 बजे शिव नाथ सिंह, महादेव, बच्चे सिंह और कुबेर (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है) वहां आए और उसके भाई महावीर सिंह से अपने साथ चलने को कहा कि उन्हें तालाब के निकट चिड़ियां पकड़नी हैं । तद्नुसार महावीर अभियुक्तों के साथ चल दिया । अपराह्न लगभग 10.00 बजे इत्तिलाकर्ता ने गोली चलने और सहायता के लिए महावीर सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनी जिस पर इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र सुमेर सिंह तालाब की ओर दौड़े और अपने हाथ में ली हुई टार्च की रोशनी में इत्तिलाकर्ता ने देखा कि अभियुक्तों ने उसके भाई महावीर सिंह को घेरा हुआ है और वे उस पर हमला कर रहे हैं । चीख-पुकार की आवाज सुनकर अन्य ग्रामवासी भी टार्चें लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे । इस पर अभियुक्त पश्चिम दिशा की ओर भाग गए । जब इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने महावीर का रक्तरंजित शव खेत में पड़ा हुआ पाया । इत्तिलाकर्ता ने अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में यह कथन किया है कि अभियुक्त शिव नाथ और महादेव तमंचा लिए हुए थे और बच्चे सिंह के पास टकोरा था तथा कुबेर के हाथ में लाठी थी । लिखित रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और अभियुक्तों के बीच भूमि को लेकर पुरानी शत्रुता चली आ रही थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रात्रि में नहीं लिखी जा सकी क्योंकि इत्तिलाकर्ता को अपनी जान का खतरा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अजीत सिंह को बोल-बोल कर लिखाई गई और तारीख 29 नवंबर, 1992 को पूर्वाह्न 8.30 बजे पुलिस थाना कायमगंज में दर्ज कराई गई । लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तारीख 29

नवंबर, 1992 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) रजिस्ट्रीकृत की । घटनास्थल से थाने की दूरी दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर बताई गई है ।

3. प्रदर्श क-2 बरामदगी ज्ञापन है जो 11 जनवरी, 1993 को तैयार किया गया है जिससे टार्च की बरामदगी प्रकट होती है जिसके संबंध में यह कथन किया गया है कि यह टार्च इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) के कब्जे में थी जिसकी रोशनी में इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्तों को देखा था ।

4. प्रदर्श क-12 रक्तरंजित मिट्टी और सादा मिट्टी की बरामदगी के संबंध में तैयार किया गया बरामदगी ज्ञापन है ।

5. शव का शवपरीक्षण तारीख 30 नवंबर, 1992 को अपराह्न 12.30 बजे किया गया था और क्षतियों की रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

(प्रकाशक द्वारा रिपोर्ट का लोप किया गया है)

6. चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप होने वाला आघात है ।

7. इस मामले का अन्वेषण, अन्वेषण अधिकारी दलमोर सिंह (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया है जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है किन्तु घटना के समय यह अधिकारी वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 29 नवम्बर, 1992 को दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन 1992 का मामला सं. 466 दर्ज किया गया और उसे इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार सौंपा गया । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसने इत्तिलाकर्ता का कथन अभिलिखित किया, शव का पंचनामा तैयार किया और इसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया । अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-12) साबित किया है । इस साक्षी ने स्थल नक्शा (प्रदर्श क-11) और इत्तिलाकर्ता के खेत का नक्शा (प्रदर्श क-13) तथा टार्च की बरामदगी से संबंधित ज्ञापन (प्रदर्श क-2) साबित किए हैं और इसके पश्चात् आरोप पत्र (प्रदर्श क-14) प्रस्तुत किया है । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि उसने अपने हस्तलेख

द्वारा पंचनामा तैयार किया है जिसे साबित भी किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने यह भी कथन किया है कि जब इत्तिलाकर्ता पुलिस थाने आया था तब उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुआ किंतु इत्तिलाकर्ता उसके साथ नहीं गया । अन्वेषण अधिकारी पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे घटनास्थल पर पहुंचा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटनास्थल से पुलिस थाने की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब वहां पर इत्तिलाकर्ता मौजूद था और उसकी निशानदेही पर अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल नक्शा तैयार किया । अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता का आलू का खेत घटनास्थल से लगभग आधे फर्लांग की दूरी पर है, यद्यपि इस संबंध में स्थल नक्शे में प्रविष्टि नहीं की गई है । जिस स्थान से शव बरामद किया गया है उस स्थान के उत्तर में तालाब है । यद्यपि स्थल नक्शे में उसकी दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है, यहां तक कि स्थल नक्शे में उक्त तालाब को दर्शाया भी नहीं गया है । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल से चिड़ियां पकड़ने के लिए कोई भी जाल बरामद नहीं किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि वह तालाब तक भी नहीं गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 1993 को वह अंतिम बार ग्राम गया था और उसी दिन उसने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल पर कोई भी चला हुआ कारतूस या छर्रा बरामद नहीं किया गया है ।

8. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब मृतक का शव खेत में पड़ा हुआ था । मृतक के शरीर पर क्षतियां थीं । इत्तिलाकर्ता ने उसे बताया कि शिव नाथ सिंह और महादेव सिंह के हाथों में तमंचे थे, अभियुक्त बच्चे सिंह पास टकोरा और अभियुक्त कुबेर के हाथ में लाठी थी ।

9. अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने अभियुक्तों द्वारा अपराध में प्रयोग किए गए अभिकथित हथियारों को बरामद करने का प्रयास किया था किंतु लाठी के सिवाय, जिसका प्रयोग अभिकथित रूप से कुबेर सिंह द्वारा किया गया था, कोई भी हथियार बरामद नहीं किया जा सका ।

10. इत्तिलाकर्ता शिव सिंह (अभि. सा. 1) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतक महावीर उसका छोटा भाई था और घटना की तारीख को रात्रि में इत्तिलाकर्ता अपने पुत्र सुमेर सिंह और छोटे भाई महावीर सिंह के साथ आलू चुनने के लिए खेत पर गया था और इसके पश्चात् वे सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर वहां बैठ गए थे । अपराह्न लगभग 9.30 बजे अभियुक्त शिव नाथ सिंह और महादेव सिंह तमंचे लिए हुए, बच्चे सिंह टकोरा लिए हुए और कुबेर सिंह लाठी लिए हुए वहां आए और महावीर से चिड़ियों का शिकार करने के लिए तालाब पर चलने को कहा । महावीर अभियुक्तों के साथ चला गया । अपराह्न लगभग 10.00 बजे उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और उसी समय महावीर सिंह के चिल्लाने की आवाज भी आई । इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र टार्च लेकर तालाब की ओर दौड़े । जब वे रूप राम के खेत पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अभियुक्त शिव नाथ सिंह, महादेव सिंह, बच्चे सिंह और कुबेर सिंह ने महावीर को घेरा हुआ है और वे उस पर टकोरा और लाठी से हमला कर रहे हैं । उसकी चीख-पुकार की आवाज सुनकर कुछ ग्रामवासी टार्च लेकर वहां आ गए जिस पर अभियुक्त पश्चिमी दिशा की ओर भाग गए । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने देखा कि उसका भाई रूप राम के खेत में खून से लथपथ पड़ा हुआ है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों की उसके साथ भूमि को लेकर पुरानी शत्रुता चली आ रही है । उसने यह भी कथन किया है कि इस घटना के संबंध में ग्राम पिथौरा के निवासी अजीत सिंह के माध्यम से बोल-बोल कर रिपोर्ट लिखाई गई है और लिखने के पश्चात् यह रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता को पढ़कर सुनाई गई और उसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने अपने अंगूठे की छाप उस रिपोर्ट पर लगाई जो प्रदर्श क-1 है । इत्तिलाकर्ता ने यह भी कथन किया है कि वह पूर्वाह्न लगभग 8.30

बजे पुलिस थाना कायमगंज गया था और वहां यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह साक्षी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रात्रि में नहीं गया था क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था। इस साक्षी ने उपनिरीक्षक को टार्च दिखाई थी और उसने इस टार्च की बरामदगी से संबंधित ज्ञापन (प्रदर्श क-2) को भी सत्यापित किया है।

11. अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि घटना वाले दिन, रात्रि के समय थोड़ी रोशनी थी किन्तु बाद में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उस समय अंधेरा था। उसका आलू का खेत ग्राम से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है और वह तालाब जहां पर अभियुक्त उसके भाई को चिड़ियों का शिकार करने के लिए लेकर आए थे, लगभग एक फर्लांग की दूरी पर है। अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों के पास चिड़ियों का शिकार करने के लिए कोई भी जाल नहीं देखा था किंतु उसने यह देखा था कि उनके हाथों में तमंचे थे। उसने अपने भाई को अभियुक्तों के साथ जाने से नहीं रोका क्योंकि वह अभियुक्तों से दुश्मनी नहीं मानता था यद्यपि अभियुक्त उससे दुश्मनी मानते थे। जिस कारण यह दुश्मनी पैदा हुई थी वह इस घटना से आठ वर्ष पूर्व घटित हुआ था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसका भाई अर्थात् मृतक कभी भी चिड़ियों का शिकार करने नहीं जाता था और घटना के दिन भी उसने अपने भाई को अभियुक्तों के साथ नहीं भेजा था किन्तु अभियुक्त उसके भाई को बलपूर्वक लेकर गए थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके भाई के अभियुक्तों के साथ चले जाने के 15 मिनट के भीतर उसने एक गोली चलने और अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब अभि. सा. 1 अपने पुत्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तब उसने महावीर को खेत के बीचोंबीच मृत पड़ा हुआ पाया। इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को अपने भाई महावीर पर हमला करते हुए देखा और महावीर के शरीर में दर्द से ऐंठन हो रही थी।

12. इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने यह भी कथन किया है कि उसके चचेरे भाई देव सिंह के घर में डकैती पड़ गई थी जिसमें वह और

उसका भाई महावीर सिंह को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था और उस दिन उसके घर में भी डकैती पड़ी थी । इत्तिलाकर्ता ने 4 या 5 व्यक्तियों के विरुद्ध इस डकैती को लेकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई । जिस दिन महावीर की हत्या की गई थी तब भी डकैती वाला मामला लंबित चल रहा था । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि पुलिस थाना कायमगंज में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अधीन मृतक महावीर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कोई भी डकैती की घटना घटित नहीं हुई थी किन्तु चोरी की घटना घटित हुई थी जिसमें इत्तिलाकर्ता के मौसेरे भाई ने पुरानी दुश्मनी के कारण महावीर को गिरफ्तार कराया था । उस समय जब अभियुक्त वास्तव में महावीर पर हमला कर रहे थे, तब वे इत्तिलाकर्ता और उसके पुत्र से लगभग 10-12 कदम की दूरी पर थे । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि अजीत सिंह जिसने रिपोर्ट लिखी है, ग्राम पिथौरा, थाना कायमगंज का निवासी है और वह प्रातःकाल लगभग 6.00-6.30 बजे घटनास्थल पर आया था । ग्राम जिरऊ से भी कुछ व्यक्ति वहां आए थे । उसके ग्राम के लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि वे अशिक्षित थे और चूंकि अजीत सिंह ने यह कहा था कि वह लिखना-पढ़ना जानता है इसलिए इत्तिलाकर्ता ने अजीत सिंह को बोल-बोल कर अपनी रिपोर्ट लिखाई जिसे अजीत सिंह ने स्वयं अपने हाथ से लिखी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि उसके साथ जवाहर सिंह और शिव सिंह नाम के व्यक्ति, जो उसी ग्राम के निवासी थे, उसके साथ पुलिस थाने गए थे किंतु बाद में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके (इत्तिलाकर्ता) साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं था । अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे आया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को टार्च की और चंद्रमा की रोशनी में देखा था क्योंकि उस समय तक चंद्रमा निकल आया था ।

13. अभि. सा. 1 ने अपनी परीक्षा के दौरान एक जगह यह कथन किया है कि रूप राम का खेत उसके अपने खेत के बाद स्थित है ।

इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तालाब रूप राम के खेत के साथ सटा हुआ है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने तमंचे से चली हुई केवल एक गोली की आवाज सुनी थी किंतु वह गोली चलाने वाले को नहीं देख सका । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि भूमि को लेकर अभियुक्तों और इसके बीच शत्रुता चल रही थी जिसमें यह विवाद था कि इत्तिलाकर्ता ने सरकारी भूमि का पट्टा अपने नाम कराया था किंतु अभियुक्तों ने बलपूर्वक उस भूखंड के आधे भाग पर कब्जा कर लिया था और इस साक्षी ने विवाद के संबंध में यह कथन भी किया है कि उसने इस विवाद की शिकायत किसी भी प्राधिकारी के समक्ष नहीं की और इस संबंध में किसी भी न्यायालय ने कोई मामला लंबित नहीं है ।

14. अभि. सा. 1 के पुत्र सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) ने तारीख 14 सितंबर, 1995 को अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह प्रकट किया है कि उसकी आयु 15 वर्ष थी जिसका यह अर्थ हुआ कि जब वर्ष 1992 में घटना घटित हुई थी तब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यह घटना रात्रि में उस समय घटित हुई थी जब वह अपने पिता और चाचा महावीर के साथ खेत पर आलू चुनने के लिए गया था और इसके पश्चात् वे गरमाहट के लिए अलाव जलाकर बैठ गए थे । अपराह्न लगभग 9.30 बजे अभियुक्त शिव नाथ सिंह, महादेव सिंह तमंचा लिए हुए, बच्चे सिंह टकोरा लिए हुए और कुबेर सिंह लाठी के साथ वहां पहुंचे और महावीर से चिड़ियों का शिकार करने के लिए अपने साथ चलने को कहा जिस पर उसका चाचा महावीर अभियुक्तों के साथ चल दिया । अपराह्न लगभग 10.00 बजे उसने गोली चलने और अपने चाचा महावीर सिंह के चीखने की आवाज सुनी । वह अपने पिता के साथ टार्च लेकर रूप राम के खेत की ओर दौड़ा और उसने टार्च की रोशनी में अभियुक्त शिव नाथ सिंह और महादेव सिंह को तमंचा लिए हुए, बच्चे सिंह को टकोरा लिए हुए और कुबेर सिंह को लाठी से लैस देखा जो उसके चाचा पर हमला कर रहे थे । उसके चाचा को क्षतियां पहुंचीं । चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर

ग्रामवासी भी टार्च लेकर पहुंचे जिसके पश्चात् अभियुक्त महावीर को छोड़कर पश्चिमी की ओर भाग गए । जब उसने पास जाकर देखा तो यह पाया कि उसका चाचा महावीर, रूप राम के खेत में रक्त से लथपथ पड़ा हुआ है ।

15. अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि तालाब के पूर्व में ग्राम जिरऊ स्थित है और ग्राम से कोई भी व्यक्ति चीख-पुकार सुनकर वहां नहीं आया । इस तालाब के उत्तर में ग्राम बड़ागांव स्थित है और इस ग्राम से भी शोर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा । इस साक्षी का कथन घटना के अगले दिन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त पश्चिम की ओर से ग्राम में आए । इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह कथन किया है कि रूप राम का खेत उसके खेत से उत्तर दिशा की ओर एक फर्लांग की दूरी पर है । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, ग्राम बड़ागांव के निवासी विक्रम और कालीचरण पहले से वहां मौजूद थे और उनके हाथों में टार्चें थीं ।

16. साक्षी ने यह भी कथन किया है कि चिड़ियों को पकड़ने या उनका शिकार करने के लिए तालाब के निकट कोई भी जाल नहीं पाया गया था । उसके चाचा ने कोई भी चिड़ियां नहीं पकड़ी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके सामने उसके चाचा पर टकोरा से 5-6 वार किए गए और लाठी से 4-5 वार किए गए किंतु किसी भी अभियुक्त ने उन पर गोली नहीं चलाई । अभि. सा. 2 को यह मालूम नहीं है कि क्या मृतक के शरीर पर किसी गोली से कोई क्षति कारित हुई या नहीं किंतु इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटनास्थल पर एक कारतूस पड़ा हुआ पाया गया था लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि वह कारतूस चला हुआ था या जिंदा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि हमला देखकर उसने और उसके पिता ने शोर मचाया था किंतु अभियुक्तों ने उन पर गोली नहीं चलाई । यद्यपि वे घटनास्थल पर उनसे 10-12 कदम की दूरी पर ही खड़े हुए थे ।

17. अभि. सा. 3 हैड कांस्टेबल लाजवीर सिंह है । इस साक्षी ने

यह कथन किया है कि तारीख 29 नवंबर, 1992 को अर्थात् घटना के दिन वह पुलिस थाना कायमगंज में तैनात था । पूर्वाह्न लगभग 8.30 बजे इत्तिलाकर्ता शिव सिंह पुलिस थाने आया और उसने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 प्रस्तुत की जिसके आधार पर इस साक्षी ने अपने हाथ से लिखकर चिक रिपोर्ट सं. 311 तैयार की और उस पर अपने हस्ताक्षर किए ।

18. इस साक्षी ने चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को सत्यापित किया है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने रोजनामचे में प्रविष्टि (प्रदर्श क-4) भी की थी । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर सरकारी वाहन से गया था ।

पुलिस उपनिरीक्षक महादेव सिंह (अभि. सा. 4) ने मृत्यु समीक्षा की है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 29 नवंबर, 1992 को वह पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में पुलिस थाना कायमगंज में कार्यरत था और इस घटना की सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक दलमोर सिंह के साथ गया था और उनकी देख-रेख में मृतक का पंचनामा तैयार किया जिससे संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श क-5 है जिसे इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान साबित किया है और अपने हस्तलेख और हस्ताक्षर को स्वीकार किया है और इस रिपोर्ट पर दलमोर सिंह का हस्तलेख और हस्ताक्षर भी पाए गए हैं तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने पंचनामा तैयार किए जाने के पश्चात् एक पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा और साथ ही शव के फोटो भी खींचे गए तथा इस संबंध में चालान भी तैयार किया गया और इस साक्षी ने प्रदर्श क-6 से प्रदर्श क-9 पर अपने हस्ताक्षर किए । इसके पश्चात् शव को पंचनामे के साथ मुहरबंद किया गया और इससे संबंधित सभी दस्तावेज तारीख 29 नवंबर, 1992 को अपराह्न 12.30 बजे शवपरीक्षण किए जाने के लिए भेज दिए गए ।

19. इस साक्षी ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि यह शव रूप राम के खेत से बरामद किया गया था ।

20. डा. एस. के. श्रीवास्तव (अभि. सा. 5) जिला अस्पताल फैजाबाद में एक सीनियर ई. एन. टी. विशेषज्ञ है जिन्होंने मृतक महावीर का शवपरीक्षण किया है और रिपोर्ट प्रदर्श क-10 प्रस्तुत की है जिसे इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान साबित किया है । मृतक को कारित मृत्यु पूर्व की क्षतियों का उल्लेख इस साक्षी द्वारा पहले ही किया जा चुका है ।

21. इस चिकित्सक ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृत्यु डेढ़ दिन पहले हुई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृत्यु पूर्व से कारित क्षतियों के परिणामस्वरूप मृतक को आघात पहुंचा है और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और इसी कारण मृत्यु हुई है । इन क्षतियों के आधार पर चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि मृतक के ललाट के बाईं ओर कर्ण-पटह तथा मध्यफोसा में अस्थिभंग पाया गया है । मस्तिष्क और मस्तिष्कावरण विदीर्ण पाया गया है । चिकित्सक ने यह भी राय व्यक्त की है कि यह भी संभव है कि मृत्यु तारीख 28 नवंबर, 1992 को अपराह्न लगभग 10.00 बजे कारित हुई हो । इस चिकित्सक ने यह भी राय दी है कि ये क्षतियां कुंद और धारदार आयुध जैसे लाठी और टकोरा से कारित की जा सकती हैं और यह कि ये क्षतियां मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं ।

22. मृतक के शव पर जो छिन्न घाव पाए गए हैं वे संभवत: गंडासा जैसे किसी तेज धार वाले आयुध से कारित किए गए हैं । चिकित्सक ने यह भी राय व्यक्त की है कि वे क्षतियां संभवत: उस समय कारित की गई हैं जब मृतक खड़ा हुआ या जमीन पर गिरा हुआ था ।

23. अभि. सा. 6 इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है और इस साक्षी ने अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । इस साक्षी का परिसाक्ष्य पहले ही ऊपर दिया गया है ।

24. अभियुक्त शिव नाथ से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में यह पूछा गया है कि वह तारीख 28 नवंबर, 1992 को अपराह्न लगभग 9.30 बजे अपने साथियों के

साथ मिलकर महावीर को अपने साथ तालाब पर चिड़ियों का शिकार करने के बहाने ले गया था और इसके पश्चात् गोली चलने की आवाज सुनकर इत्तिलाकर्ता और उसका पुत्र सुमेर सिंह चीख-पुकार करते हुए तालाब पर पहुंचे और उन्होंने टार्च की रोशनी में देखा कि वह अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक महावीर का घेराव किए हुए था और वे सभी उस पर हमला भी कर रहे थे और जब इत्तिलाकर्ता तथा उसका पुत्र घटनास्थल पर पहुंचे तब वह अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया, इस पर अभियुक्त शिव नाथ ने सभी आरोपों से इनकार किया । इस अभियुक्त से पुन: यह पूछा गया कि वह और महादेव तमंचा लिए हुए थे, बच्चे सिंह टकोरा तथा कुबेर लाठी लिए हुए था और उन हथियारों से अभियुक्तों ने महावीर की हत्या की है, इस पर अभियुक्त शिव नाथ ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है । अभियुक्त शिव नाथ से यह पूछा गया कि क्या मृतक और इत्तिलाकर्ता के परिवार से भूमि विवाद को लेकर उसकी शत्रुता चली आ रही है या नहीं, इस पर अभियुक्त ने इनकार ही किया है । अभियुक्त शिव नाथ ने धारा 313 के अधीन यह भी कथन किया है कि उसे पार्टीबंदी के कारण मामले में मिथ्या फंसाया गया है ।

25. अभियुक्त महादेव से भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आरोपों से इनकार करके ही दिया है ।

26. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विक्रम सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा कराई गई है जिसने यह कथन किया है कि महावीर उसके ही ग्राम का रहने वाला है और उसकी हत्या की गई है और उसका शव तालाब के निकट पाया गया है । ग्राम बड़ाबीकू के निवासी उसके ग्राम में आए थे और उन्होंने बताया कि महावीर का शव तालाब के निकट पड़ा हुआ है और यह कि कुछ लोगों ने उसकी हत्या की है । यह सूचना मिलने पर मृतक के परिजन, कुबेर सिंह, अभियुक्त का भाई शिव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्त भी वहां गए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के समय सुमेर सिंह की आयु लगभग 8-9 वर्ष थी । मृतक महावीर का भाई शिव सिंह प्रात:काल पुलिस थाने गया था

और वहां से अपराह्न लगभग 12.00 बजे वापस आया था और उसके साथ पुलिसकर्मी भी ग्राम में आए । दरोगा ने अजीत नाम के व्यक्ति को श्रुतलेख द्वारा रिपोर्ट लिखाई जिस पर शिव सिंह ने अपने अंगूठे की छाप लगाई । जिस स्थान पर मृतक का शव पाया गया वह ग्राम से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतक महावीर का चरित्र अच्छा नहीं था और यह कि उसके विरुद्ध पुलिस थाने में कई मामले दर्ज थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि महावीर ने उसके ताऊ के पुत्र के यहां डकैती कारित की थी और उस मामले में इत्तिलाकर्ता शिव सिंह भी अन्तर्वलित था । उसने वीर सहाय तथा उसकी सगी मौसी के घर में भी डकैती कारित की थी । मृतक महावीर ने अपनी पत्नी की लाठी से पिटाई भी की थी और उसे उसके वैवाहिक गृह से बाहर भी कर दिया था ।

27. इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि किसी भी व्यक्ति ने महावीर की हत्या होते हुए नहीं देखा है । इस साक्षी ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि मृतक महावीर से उसकी कोई शत्रुता नहीं थी । वे इस बात से अवगत नहीं हैं कि महावीर को किसी अपराध के अधीन दोषसिद्ध किया गया है या नहीं । इत्तिलाकर्ता शिव सिंह और अभियुक्त के बीच भूमि विवाद को लेकर कोई शत्रुता नहीं थी न ही उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था ।

28. कुबेर सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने यह कथन किया है कि मृतक महावीर उसी के ग्राम का निवासी था और यह लगभग 8 वर्ष पूर्व उसकी हत्या की गई थी और उसका शव ग्राम बारा-बीकू के तालाब के निकट पाया गया था । शव से संबंधित सूचना उसे ग्राम बारा-बीकू के निवासियों द्वारा प्राप्त हुई थी जिसके उपरांत वह ग्राम के कुछ व्यक्तियों के साथ शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचा था । महावीर का भाई शिव सिंह अपनी माता और विक्रम के साथ वहां गया था ।

29. शिव सिंह पुलिस थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई और वहां से पुलिस को लेकर पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे वापस आया । मृतक महावीर दुश्चरित्र था और उसने रामचन्द्र नाम के व्यक्ति की हत्या में षड्यंत्र रचा था । महावीर ने देव सिंह नाम के व्यक्ति, जो उसके सगे

ताऊ का पुत्र है, के घर में भी डकैती कारित की थी । मृतक महावीर के मामा के घर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें मृतक का नाम संदिग्ध के रूप में आया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) की आयु लगभग 7-8 वर्ष थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तालाब जहां से महावीर का शव बरामद किया गया था, उस ग्राम से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है और दरोगा की मौजूदगी में शिव सिंह द्वारा कुछ दस्तावेज तैयार किए गए थे और दरोगा जी उस ग्राम में अपराह्न 3.00 बजे तक मौजूद थे । इस साक्षी को पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे महावीर की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात् वह विक्रम सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) के साथ पूर्वाह्न लगभग 8.00 बजे घटनास्थल पर गया था । उसकी मौजूदगी में शव को मुहरबंद किया गया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह कहना गलत है कि वह महावीर और शिव सिंह के साथ शत्रुता होने के कारण साक्ष्य दे रहा है ।

30. राम प्रकाश पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी 3) लेखपाल है जो जिरऊ, परगना शमशाबाद, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत है और इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि नगला मुंड में स्थित भूखंड सं. 111 शिव नाथ का है और इस भूखंड के निकट कोई भी तालाब नहीं है । भूखंड सं. 16 और 17 कुबेर सिंह और अन्य व्यक्तियों के हैं और इसके उत्तर में एक तालाब है जो ग्राम बारा-बीकू में पड़ता है । भूखंड सं. 111 और भूखंड सं. 16 तथा 17 के बीच की दूरी लगभग 600 मीटर है और यदि यह दूरी चक रोड़ की ओर से मापी जाए तब यह दूरी लगभग 910 मीटर बनती है । यह साक्षी खतौनी रजिस्टर तथा ग्राम का नक्शा भी साथ लाया है जिसमें इन भूखंडों को दर्शाया गया है और इन दस्तावेजों को प्रदर्श ख-1 और प्रदर्श ख-4 के रूप में फाइल किया गया है ।

31. ग्राम मुंड में स्थित भूखंड सं. 19 रूपराम का है जो भूखंड सं. 16 और 17 के दक्षिण में सटा हुआ है और भूखंड सं. 111 से 510 मीटर की दूरी पर है और यदि यह दूरी चक रोड़ की ओर से मापी जाए तब लगभग 820 मीटर बनती है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है

कि वह संबंधित ग्राम में तारीख 28 नवंबर, 2000 अर्थात् इस परिसाक्ष्य के अभिलिखित किए जाने के दो दिन पूर्व अधिवक्ता रामपाल सिंह के निर्देशानुसार गया था और उसने वहां पर शिव सिंह के भूखंड से लेकर उस स्थान के बीच की दूरी मापी थी जहां से शव बरामद किया गया था और उस समय उसके साथ ग्राम चिरौली का लेखपाल रमाकांत भी मौजूद था ।

32. इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह ग्राम जिरऊ का लेखपाल है और जहां पर उसके ग्राम की सीमा समाप्त होती है वहीं से तालाब आरंभ होता है । शिव सिंह के भूखंड सं. 111 और तालाब के बीच की दूरी लगभग 2.982 फर्लांग है और यही दूरी चक रोड से होकर 4.522 बनती है ।

33. अभियोजन पक्ष तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

34. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री धर्मपाल सिंह और श्री अमर सिंह तथा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री एम. सी. जोशी की सुनवाई की गई है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया है ।

35. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री धर्मपाल सिंह द्वारा यह दलील दी गई है कि अजीत, जिसे अभिकथित रूप से रिपोर्ट लिखने वाला बताया गया है, की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराई गई है, अत: उसके द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट का अवलंब नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस रिपोर्ट को उसके लिखने वाले व्यक्ति द्वारा साबित नहीं किया गया है । हमारी राय में मात्र यह तथ्य कि रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट साबित करने के लिए साक्षी के रूप में पेश न किए जाने से विचारण इस आधार पर दूषित नहीं होगा कि लिखित रिपोर्ट तारीख 29 नवंबर, 1992 को पूर्वाह्न लगभग 8.30 बजे प्रस्तुत की गई थी और उसके आधार पर

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक दलमोर सिंह, जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है, पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे घटनास्थल पर गया था और अन्वेषण आरंभ किया था । मृत्युसमीक्षा भी उसी दिन अर्थात् तारीख 29 नवंबर, 1992 को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे की गई और इस संबंध में रिपोर्ट अपराह्न लगभग 12.30 बजे तैयार की गई और इसके पश्चात् शव को मुहरबंद करने तथा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् उसे शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह, जिसने अपने परिसाक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ने उसे प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है और यह कथन किया है कि इस रिपोर्ट पर उसके अंगूठे की छाप है, अत: जब रिपोर्ट लिखने वाला स्वयं उसकी शनाख्त करता है तब हमें उसकी विधिमान्यता पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अन्वेषण अधिकारी दलमोर सिंह ने अपने परिसाक्ष्य में यह भी कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, इत्तिलाकर्ता शिव सिंह द्वारा उसकी मौजूदगी में तारीख 29 नवंबर, 1992 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई गई थी और दलमोर सिंह पुलिस थाना कायमगंज में उस दौरान वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत था । अत: हमें इस लिखित रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । तारीख 29 नवंबर, 1992 को हैड कांस्टेबल लाजबीर सिंह (अभि. सा. 3) पुलिस थाना कायमगंज में तैनात था और इस साक्षी ने यह साबित किया है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह पूर्वाह्न लगभग 8.20 बजे एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) लेकर पुलिस थाने आया था और उसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर अभि. सा. 3 ने अपराध सं. 311/1992 के तहत अपने हस्तलेख और हस्ताक्षर द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । हैड कांस्टेबल लाजबीर सिंह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-3 भी साबित की है । इस प्रकार हमें लिखित रिपोर्ट की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जो कि अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित की गई है ।

36. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जांच रिपोर्ट में बंदूक की गोली से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं है, अतः शिव सिंह (अभि. सा. 1) और सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी और इसलिए उनका यह परिसाक्ष्य मिथ्या हो जाता है कि अभियुक्त शिव नाथ और महादेव के पास तमंचा था । यहां जिला अस्पताल फैजाबाद में कार्यरत सीनियर ई. एन. टी. विशेषज्ञ डा. एस. के. श्रीवास्तव का कथन उल्लेखनीय है जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की है और मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों पर टिप्पणी की है और उन्होंने यह भी पता लगाया है कि मृतक को कारित क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हुई है । निस्संदेह शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक को अग्न्यायुध से कारित किसी भी क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने अपने परिसाक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेख किया है किंतु निर्विवादित तथ्य यह है कि मृतक के शरीर पर 13 क्षतियां पाई गईं जिनमें से कुछ क्षतियां धारदार आयुध से कारित पाई गईं और कुछ विदीर्ण घाव पाए गए । चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने यह राय दी है कि ये क्षतियां लाठी और टकोरा जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती हैं ।

37. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि चिकित्सक ने यह कथन किया है कि शवपरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि मृतक का आमाशय रिक्त था जो कि इसलिए संभव नहीं है कि हत्या यदि अपराह्न 10.00 बजे हुई है तब मृतक ने रात्रिभोज किया ही होगा । हमारी राय में मात्र यह तथ्य कि शव-परीक्षा रिपोर्ट में चिकित्सक ने यह राय दी है कि मृतक का अमाशय खाली था जो कि पूर्णतया संभव है क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं दिया है कि वे अपराह्न लगभग 9.30 बजे रात्रिभोज करने के पश्चात् खेत पर गए थे और न ही इन साक्षियों से ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि क्या मृतक महावीर ने खेत पर जाने से पूर्व रात्रिभोज किया था या नहीं या यह कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 घटना घटित होने के पूर्व खेत पर अपना भोजन साथ लेकर गए थे या नहीं । जब इस संबंध में

साक्षियों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है तब यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि मृतक ने घटना के पूर्व रात्रिभोज अवश्य किया था ।

38. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपराध का हेतु सिद्ध नहीं किया गया है और यह कि अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उनके और मृतक या इत्तिलाकर्ता के परिवार के बीच कोई शत्रुता थी, अतः इस संबंध में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य पूर्णतया निराधार और गढ़ा हुआ है । यहां अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण होगा जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके परिवार और अभियुक्तों के बीच भूमि को लेकर पहले से शत्रुता चली आ रही थी । अभि. सा. 1 के अनुसार यह भूमि सरकार से पट्टे पर ली गई थी किंतु इस भूमि के आधे भाग पर अभियुक्तों ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था । उसी समय अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि इस संबंध में उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही किसी भी अधिकारी के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज कराई । इस साक्षी ने यह कथन भी नहीं किया है कि उसने इस भूमि के आधे भाग को निर्मुक्त कराने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन किया था जिस भाग के संबंध में उसने अभियुक्तों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का अभिकथन किया है । अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य में उक्त भूखंड की संख्या, चक संख्या या खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभिलेख पर पट्टा प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी सरकारी प्राधिकारी या किसी राजस्व अधिकारी या अन्य किसी भी प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में उसकी परीक्षा कराई गई है जिससे यह दर्शित हो सके कि क्या इत्तिलाकर्ता शिव सिंह द्वारा पट्टे पर सरकार से कोई भूमि ली गई है । इसी प्रकार अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तों ने उसकी भूमि पर अभिकथित रूप से बलपूर्वक कब्जा किया है और यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि अभि. सा. 1 ने अपने कथन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि उसने

अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से कब्जा की गई उक्त भूमि को निर्मुक्त कराने के लिए कोई शिकायत दर्ज कराई थी या किसी न्यायालय में कोई आवेदन किया था । इन परिस्थितियों के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपराध का हेतु सिद्ध करने में और अभियुक्तों तथा अभियोजन साक्षियों के बीच शत्रुता साबित करने में असफल रहा है । अभि. सा. 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में मात्र यह कथन किया है कि उसके परिवार और अभियुक्तों के बीच कुछ विवाद था किंतु यहां भी प्रश्नगत भूमि का वर्णन नहीं किया गया है और न ही उस भूखंड की संख्या, चक संख्या का उल्लेख किया गया है और न ही इस संबंध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित हो सके कि यह भूखंड कौन-सा है जिसके आधे भाग पर अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है । विक्रम सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह और अभियुक्त अपीलार्थियों के बीच भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है । इन परिस्थितियों में अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध का हेतु सिद्ध करे ताकि मृतक महावीर पर किया गया हमला साबित हो सके ।

39. अभि. सा. 1 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि शत्रुता लगभग 8 वर्ष से चली आ रही थी और यह कि यद्यपि उसकी अभियुक्तों से कोई भी शत्रुता नहीं थी किंतु अभियुक्त उससे और मृतक से शत्रुता मानते थे । हमारी राय में शत्रुता लगभग 8 वर्ष पुरानी है और इन वर्षों में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जिससे तनिक भी यह पता चलता हो कि अभियुक्त इत्तिलाकर्ता और मृतक से शत्रुता मानते थे, हम अभियोजन पक्ष के इस पक्षकथन से सहमत नहीं हैं कि भूमि को लेकर कोई विवाद चल रहा था जो अभियोजन पक्ष पर हमला किए जाने का कारण था जिसके परिणामस्वरूप महावीर की मृत्यु हुई । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि शत्रुता को अग्रसर करने में, जो 8 वर्षों से चली आ रही थी, इत्तिलाकर्ता और मृतक (एक पक्षकार) तथा अभियुक्त अपीलार्थी (दूसरे पक्षकार) के बीच कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके कारण अभियुक्तों ने मृतक महावीर पर हमला किया ।

यद्यपि लेखपाल अर्थात् राम प्रकाश पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी 3) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह का भूखंड गाटा सं. 111 है किंतु जैसा कि हमने पहले ही देखा है अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि क्या इत्तिलाकर्ता का एकमात्र भूखंड यही है जिसके संबंध में उसने यह कथन किया है कि यह भूखंड सरकारी पट्टे पर लिया गया था जिसके आधे भाग पर अभियुक्तों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा लेखपाल (प्रतिरक्षा साक्षी 3) से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि भूखंड सं. 111 के आधे भाग पर अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था ।

40. अत: हमारा यह स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियुक्तों का हेतु साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

41. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री धर्मपाल सिंह ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 1 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता का भाई अर्थात् मृतक कभी भी चिड़ियों का शिकार करने नहीं गया था, अत: इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि घटना वाले दिन वह अभिकथित रूप से अभियुक्तों के साथ चिड़ियों का शिकार करने गया था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के अनुसार जब अभियुक्त रात्रि में 9.30 बजे महावीर को बुलाने आए थे, तब अभियुक्त शिव नाथ और महादेव तमंचे से, अभियुक्त बच्चेलाल टकोरा से और अभियुक्त कुबेर सिंह लाठी से लैस था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त चिड़ियों का शिकार करने के लिए कोई जाल या इसी प्रकार की कोई अन्य सामग्री अपने साथ लिए हुए थे और न ही ऐसा कोई जाल या कोई वस्तु अभियुक्तों से बरामद की गई है और यह कि रात्रि में तमंचे, टकोरे या लाठी से चिड़ियों का शिकार नहीं किया जा सकता ।

42. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की इस दलील में पर्याप्त बल है ।

अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त अपराह्न लगभग 9.30 बजे खेत पर आए थे और उस समय वह अपने पुत्र सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) तथा अपने भाई अर्थात् मृतक महावीर के साथ के साथ अपराह्न 9.30 बजे खेत में से आलू निकाल रहे थे और उस समय अभियुक्त शिव नाथ तथा महादेव तमंचे से और अभियुक्त बच्चेलाल टकोरे (धारदार आयुध) से और अभियुक्त कुबेर सिंह (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई है) लाठी से लैस था । इन परिस्थितियों में ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अभियुक्तों के साथ पहली बार रात्रि में चिड़ियों का शिकार करने के लिए जाएगा । इसके अतिरिक्त जब अभि. सा. 1 ने यह कहा है कि उसके परिवार और अभियुक्तों के बीच शत्रुता थी तब यह आश्चर्य की बात है कि अभियुक्तों को हथियारों से लैस देखकर भी इत्तिलाकर्ता ने अपने भाई महावीर को अभियुक्तों के साथ जाने से मना नहीं किया । यह अत्यंत असंभावी है कि यदि अभियुक्तों ने महावीर से अपने साथ चलने का आग्रह किया होता तब अभियुक्तों के आशय पर संदेह करते हुए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 महावीर के साथ नहीं जाते ।

43. हमें इस बात पर भी उतना ही आश्चर्य है कि एक ओर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त उनके खेत पर आए थे और उस समय अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हुए थे और यह कि अभियुक्त हथियारों से लैस थे और उन्होंने रात्रि में चिड़ियों का शिकार करने के लिए महावीर से अपने साथ चलने को कहा किंतु अभियुक्तों के पास चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल आदि जैसी कोई वस्तु नहीं थी । हमें यह पूर्णतया असंभव दिखाई देता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब अभियुक्त अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और मृतक महावीर से मिले थे तब वे पहले से तमंचा, टकोरा और लाठी लिए हुए थे । अत: हमारा यह निष्कर्ष है कि संपूर्ण कहानी जो अभि. सा. 1 अर्थात् इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 2 द्वारा बनाई गई है वह स्वीकार किए जाने की सीमा के अत्यंत परे है ।

44. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री धर्मपाल सिंह ने यह भी दलील दी है कि दोनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उन्होंने अग्न्यायुध के चलने की आवाज सुनी थी और इसके पश्चात् उन्होंने मृतक महावीर के चीखने की आवाज सुनी और फिर वे घटनास्थल की ओर दौड़े किंतु घटनास्थल पर कोई भी खाली कारतूस या अन्य कोई सामग्री बरामद नहीं की गई, अत: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का परिसाक्ष्य मिथ्या और अविश्वसनीय है ।

45. शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने मृतक के शरीर पर जो क्षतियां देखी हैं उनमें केवल खरोंच, छिन्न घाव और विदीर्ण घाव पाए गए हैं और अग्न्यायुध से कारित कोई भी क्षति नहीं पाई गई है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपनी ओर आने वाले किसी भी व्यक्ति को दूर रखने के लिए तमंचे से हवा में गोली चलाई जा सकती है किंतु यह अत्यंत असंभावी होगा कि जो व्यक्ति रात्रि के अंधेरे में हत्या करना चाहता हो वह हवा में तमंचे से गोली नहीं चलाएगा क्योंकि गोली की आवाज से लोगों का ध्यान घटनास्थल की ओर आकर्षित हो सकता है और वे दौड़कर घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हत्या करने के लिए तमंचे का प्रयोग भी न किया गया हो ।

46. घटनास्थल से कोई भी कारतूस या छर्रा बरामद नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई भी बरामदगी ज्ञापन यह साबित करने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि घटनास्थल से अभिकथित रूप से कारतूस या छर्रा बरामद किया गया है । अत: हम अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत से सहमत नहीं हैं कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने गोली चलने की आवाज सुनी थी ।

47. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में यह कथन किया गया है कि तालाब रूपराम के खेत से सटा हुआ है किंतु स्थल नक्शे में ऐसा कोई तालाब नहीं दर्शाया गया है, अत: अभियोजन पक्ष की यह संपूर्ण कहानी मिथ्या

और गढ़ी हुई है कि मृतक को अभियुक्तों द्वारा तालाब की ओर ले जाया गया था ।

48. निस्संदेह स्थल नक्शे (प्रदर्श क-11) में तालाब को नहीं दर्शाया गया है किंतु इसे अन्वेषण के दौरान की गई अन्वेषण अधिकारी की मात्र लापरवाही कहा जा सकता है और हम यह कहना चाहेंगे कि मात्र इस आधार पर कि स्थल नक्शे में तालाब नहीं दर्शाया गया है, विचारण प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता ।

49. यह भी उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तालाब ग्राम के उत्तर में स्थित है । सुमेर सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि तालाब और रूप राम के खेत के बीच कुबेर सिंह का खेत है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4-5 बीघा है । राम प्रकाश पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी 3) अर्थात् ग्राम जिरऊ, तहसील कायमगंज के लेखपाल ने यह कथन किया है कि तालाब उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता शिव सिंह के खेत, जो गटा सं. 111 है, से तालाब तक की दूरी 2.98 फर्लांग है और यही दूरी चक रोड से होकर मापने पर 4.522 फर्लांग बनती है ।

50. अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि तालाब उसके ग्राम से उत्तर दिशा की ओर लगभग एक फर्लांग की दूरी पर है । यहां हम यह कहना चाहेंगे कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ग्राम के सीधे-सादे व्यक्ति हैं, अत: यदि अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि तालाब रूप राम के खेत के बिल्कुल बराबर में है किंतु अभि. सा. 2 ने दूसरी ओर यह कथन किया है कि रूप राम के खेत और तालाब के बीच कुबेर सिंह का खेत है, यह बात स्थल नक्शे से मेल खाती है क्योंकि रूप राम के खेत के उत्तर दिशा में कुबेर सिंह का खेत दर्शाया गया है न कि तालाब । इस प्रकार तालाब की विद्यमानता पर न तो अभियोजन साक्षियों ने और न ही प्रतिरक्षा साक्षी 3 द्वारा विवाद किया गया है क्योंकि मृतक का शव रूप राम के खेत में पाया गया था और तालाब के निकट नहीं पाया गया है, इसलिए स्थल नक्शे में तालाब न दर्शाया जाना वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण नहीं है ।

51. इसके पश्चात् विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि रात्रि में जिस टार्च की सहायता से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने कथित रूप से यह घटना देखी है, वह तारीख 11 जनवरी, 1993 को बरामद हुई है अर्थात् इस घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद और वह भी उस दिन बरामद की गई है जिस दिन आरोप पत्र फाइल किया गया है, अत: ऐसा किया जाना बड़े आश्चर्य की बात है और इस प्रकार की गई बरामदगी अत्यंत नाटकीय प्रतीत होती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अत: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के इस परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता कि घटना की रात्रि में उनके पास टार्च थी और उस टार्च की रोशनी में उन्होंने घटना घटित होते हुए देखी है ।

52. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की दलील में बल है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अग्न्यायुध की आवाज और मृतक महावीर की चीख-पुकार सुनकर वे घटनास्थल की ओर दौड़े थे और उन्होंने टार्च की लाइट और प्राकृतिक रोशनी में देखा था जो अभि. सा. 1 के पास थी किंतु यह टार्च अन्वेषण अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 6 द्वारा अभि. सा. 1 के कब्जे से तारीख 11 जनवरी, 1993 को अर्थात् घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद और वह भी आरोप पत्र फाइल किए जाने वाले दिन बरामद की गई है ।

53. इसके प्रतिकूल विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी से भूल-चूक हो सकती है किंतु चूंकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा इसका प्रयोग किए जाने के साक्ष्य को अभिखंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह टार्च तत्पश्चात् बरामद की गई है । हम विद्वान् अपर महाधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने में आनत नहीं हैं । यदि अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभियुक्तों को घटना की रात्रि में अपराध कारित करते हुए टार्च की रोशनी में देखा है, तब ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी को पहले दिन ही वह टार्च बरामद करने का प्रयास क्यों नहीं किया जबकि वह तारीख 29 नवंबर, 1992 को ही अन्वेषण करने के लिए घटनास्थल पर गया था और यह अत्यंत स्वाभाविक था कि अन्वेषण अधिकारी उस टार्च के बारे में पूछताछ करता और उसी

दिन उसे बरामद करने का प्रयास करता । यह तर्कसम्मत नहीं है कि जब अभियोजन पक्ष का यह अभिकथन है कि साक्षियों ने टार्च की रोशनी में अपराध कारित करते हुए अभियुक्तों को देखा है, तब वह टार्च अभि. सा. 1 से उस दिन बरामद क्यों की गई है जिस दिन आरोप पत्र फाइल किया गया है । हमें यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि अपराध कारित होने के डेढ़ महीने के बाद टार्च की अभिकथित बरामदगी इसके सिवाय कुछ नहीं है कि अन्वेषण अधिकारी को यह महसूस हुआ कि यह घटना अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा टार्च की रोशनी में देखी गई है जब तक यह न दर्शाया जाए कि टार्च बरामद की गई है तब तक अभियोजन वृत्तांत सफल नहीं हो सकता । अतः हम विद्वान् अपर महाधिवक्ता की यह दलील खारिज करते हैं ।

54. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । अतः अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थियों को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने वाला तारीख 17 फरवरी, 2001 को पारित विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है ।

55. अपीलार्थी जमानत पर हैं । उन्हें अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । उनके जमानत पत्र और प्रतिभूति बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

56. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के अनुपालन में न्यायालय के समाधान हेतु अपीलार्थियों को दो प्रतिभुओं के साथ स्वीय बंधपत्र फाइल करने का निदेश दिया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

मोहम्मद आजम हसीन (डा.)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2013 के आवेदन सं. 8558 के साथ 2013 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 8541)

तारीख 12 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304क – सड़क दुर्घटना में घायल होने के पश्चात् मृतक को अस्पताल में दाखिल किया जाना – उपचार के दौरान उसकी छाती में एक ट्यूब प्रतिष्ठापित किया जाना – लगभग 23 दिन के उपचार के पश्चात् स्वास्थ्य में सुधार – वरिष्ठ डाक्टर द्वारा ट्यूब को हटाए जाने के पश्चात् मृतक को अस्पताल से निर्मुक्त करने का निदेश – कनिष्ठ डाक्टर द्वारा प्राइवेट वार्ड में ही बिना किसी चिकित्सीय दल और वरिष्ठ डाक्टर तथा अन्य संबद्ध जीवन रक्षक उपकरणों और औषधियों के सी. टी. डी. प्रक्रिया के द्वारा ट्यूब को मृतक की माता और बहन के विरोध के बावजूद हटाया जाना – ट्यूब काटने पर अत्यधिक रक्तस्राव – कनिष्ठ डाक्टर द्वारा स्थिति को संभालने की चेष्टा – असफल रहने पर वहां से भाग जाना – मृतक का आपातकाल कक्ष में स्थानांतरण – किंतु लगभग एक घंटे के पश्चात् उसे मृत घोषित किया जाना – मृतक के भाई द्वारा धारा 304क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ डाक्टर और साथ ही एक अन्य डाक्टर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाना – न्यायालय द्वारा दोनों डाक्टरों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ करते हुए उन्हें समन जारी किया जाना – उच्च न्यायालय में चुनौती – उच्च न्यायालय ने अनेक मामला विधियों का अवलंब लेते हुए यह संप्रेक्षण किया कि चिकित्सक की प्रत्येक लापरवाही को दांडिक उपेक्षा नहीं ठहराया जा

सकता – उसे केवल तभी अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब चिकित्सक की ओर से अक्षमता का सकल अभाव या मरीज की सुरक्षा के प्रति उदासीनता और अपेक्षित कार्रवाई करने की अनिच्छा स्पष्ट रूप से दर्शित हो और जो सकल अज्ञानता और घोर उपेक्षा से उद्भूत हुई हो – सावधानी के अभाव, में निर्णय लेने में आई त्रुटि से या दुर्घटनावश किसी मरीज की मृत्यु के लिए कोई चिकित्सक के प्रति सिविल दायित्व तो निर्धारित किया जा सकता है किंतु वह दांडिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं – प्रति पक्षकार सं. 2/सूचना देने वाले व्यक्ति ने पुलिस थाना सिविल लाइंस, जिला अलीगढ़ में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह कथन किया गया है कि उसका भाई सय्यद परवेज अली, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्‌यालय के भूमि और उद्‌यान विभाग में अवर श्रेणी लिपिक (एल. डी. सी.) के रूप में कार्य कर रहा था, अस्पताल के विशेष वार्ड सं. 28 में लगभग 23 दिनों के लिए भर्ती रहा था और उसकी छाती में एक ट्‌यूब प्रतिष्ठापित की गई थी । उसे अस्पताल से तारीख 16 जून, 2012 को निर्मुक्त किया जाना था क्योंकि वह तब तक भलाचंगा हो गया था और साथ ही स्वयं बिना किसी सहारे के चलने में भी समर्थ था । उसका उपचार डा. हनीफ बेग के पर्यवेक्षणाधीन चल रहा था और कुछ अन्य कनिष्ठ डाक्टर भी उसे देखने के लिए आते थे । तारीख 16 जून, 2012 को पूर्वाह्न 9.00 बजे अभियुक्त-आवेदक डा. आदिल मोहम्मद अली **उर्फ** डा. अली आदिल मोहम्मद (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डा. आदिल" कहा गया है) एक नर्स के साथ मेरे भाई के पास आया और उसने कक्ष में मौजूद मेरी माता और बहन को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा और जब उससे इस बारे में मेरी माता और बहन द्‌वारा प्रश्न किया गया तो उक्त डाक्टर ने उनके सामने ही मरीज की छाती में प्रतिस्थापित ट्‌यूब को एक ब्लैड की सहायता से काटना आरंभ कर दिया और जैसे ही उस ट्‌यूब को काटा गया उसमें से बड़ी तेजी से रक्त बहने लगा । उक्त डाक्टर ने मरीज की छाती को और जोर से दबाया जिसके परिणामस्वरूप मरीज के मुख से रक्त बाहर आने लगा

और बीस मिनट के भीतर ही वह संपूर्ण कक्ष-बिस्तर पर बिछी चादर सहित रक्त से सन गया । प्रति पक्षकार सं. 2 की बहन जिसका नाम अशफिया है, ने डाक्टर के इस कार्य का विरोध किया जिसके उपरांत वह डाक्टर वहां से भाग गया । उसके तुरंत पश्चात् मरीज की देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों ने मरीज की स्थिति के बारे में आपातकाल कक्ष को सूचना दी और उसके पश्चात् एक या दो व्यक्ति भागते हुए आए और उन्होंने बहते हुए रक्त को रोकने की चेष्टा की । तत्पश्चात् डाक्टर लगभग एक घंटे तक मरीज को होश में लाने/पुनरुज्जीवित करने का नाटक करते रहे और अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया । इस प्रकार यह प्रार्थना की गई कि अभियुक्त डाक्टर के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक आपराधिक मामला रजिस्टर किया जाए । उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्वोक्त दांडिक मामले के अधीन पूर्वोक्त धारा के अधीन एक मामला रजिस्टर किया गया । इस मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त/आवेदक को समन जारी किए गए । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/आवेदक ने उच्च न्यायालय में इस मामले से संबंधित सभी कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में साक्षियों, अर्थात् अशफिया और आयशा बेगम के कथनों का अध्ययन किया है । दोनों ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यदि डाक्टर सुरेश गुप्ता वाले मामले में यथा अधिकथित सिद्धांतों को लागू किया जाए तो यह स्पष्ट है कि किसी डाक्टर या शल्य चिकित्सक को दांडिक रूप से दायी ठहराने हेतु उपेक्षा के मानक को इतना अधिक डिग्री का साबित किया जाना अपेक्षित है कि उसे "घोर उपेक्षा" या "लापरवाही" के रूप में वर्णित किया जा सके । यह मात्र आवश्यक देखभाल, ध्यान या कुशलता का अभाव नहीं है जो उसे दांडिक रूप से दायी बनाएगा । वर्तमान मामले में, हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा दिए गए

एक निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी डाक्टर को तब तक किसी मरीज की मृत्यु के लिए दांडिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि दर्शित की गई उपेक्षा या अक्षमता मरीज के जीवन और सुरक्षा के प्रति इतनी अधिक लापरवाही उपदर्शित करती है जो राज्य के विरुद्ध अपराध के समतुल्य हो जाता है । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब कोई मरीज चिकित्सीय उपचार या किसी शल्यक्रिया के लिए अपनी स्वीकृति देता है तो चिकित्सक की प्रत्येक लापरवाही को "दांडिक" नहीं कहा जा सकता । उसे तब तक कि अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक की चिकित्सक की ओर से अक्षमता का सकल अभाव या मरीज की सुरक्षा के प्रति उदासीनता और अपेक्षित कार्रवाई करने की अनिच्छा उपदर्शित न हो और जो सकल अज्ञानता या घोर उपेक्षा से उद्भूत हुई हो । जहां किसी मरीज की मृत्यु निर्णय की किसी त्रुटि या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई हो, वहां डाक्टर पर कोई दांडिक दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता । मात्र असावधानी या पर्याप्त देखभाल और सावधानी का अभाव कुछ सीमा तक सिविल दायित्व का सृजन कर सकता है किंतु वह उसे दांडिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । इस मामले में, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मरीज एक युवा व्यक्ति था जिसकी एक सड़क दुर्घटना हुई थी और उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था किंतु उपचार के दौरान उसकी छाती में प्रतिष्ठापित ट्यूब को हटाए जाने के कारण यह मामला बिगड़ गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के कुटुंब के सदस्यों ने एक साधारण मनुष्य के रूप में यह राय दी है कि अभियुक्त डाक्टर (डा. आदिल) की घोर उपेक्षा के कारण मरीज की मृत्यु हुई थी जिसने उक्त ट्यूब को उनके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद बिना पूर्ण सावधानी बरते अनुचित रीति में बाहर निकाला था । किंतु उक्त साधारण मनुष्य के रूप में दी गई उनकी राय अभियुक्त डाक्टर को दांडिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं है । उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् की आचार समिति द्वारा अभिव्यक्त की गई राय के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिक आघात है । इस बात से

इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त डाक्टर ने मरीज की छाती से उक्त ट्यूब निकालने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की थी क्योंकि उसे यह प्रक्रिया प्राइवेट वार्ड की बजाय ओ. टी. में किसी वरिष्ठ डाक्टर की उपस्थिति में और सभी अन्य चिकित्सा उपकरणों को तैयार करके पूरी करनी चाहिए थी । जो निश्चित रूप से डाक्टर की उपेक्षा को दर्शित करता है किंतु मेरे निष्कर्ष के अनुसार उसे "दांडिक उपेक्षा" नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके लिए उसे केवल सिविल दायित्व के अधीन किया जा सकता है । इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त डाक्टर ने अतिविश्वास दर्शित किया था कि वह स्वयं ही हर स्थिति से निपटने के लिए समर्थ था किंतु ऐसा हुआ नहीं और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप मृतक की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है । मुझे डाक्टर की ओर से कोई लापरवाही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि मरीज को लगभग 23 दिनों तक उपचार प्रदान किया गया था और उसके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार आ रहा था किंतु दुर्भाग्यवश संबद्ध डाक्टर द्वारा स्थिति पर काबू न पा सकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है । भारतीय समाज में कोई डाक्टर एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति माना जाता है और मरीज के बच जाने की दशा में उसे ईश्वर तुल्य माना जाता है । किंतु हम सब यह जानते हैं कि वर्तमान मामले की भांति सभी मामलों में कुछ जोखिम अंतर्वलित होते हैं और जब मरीज/उसके कुटुंब के सदस्य शल्यक्रिया के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो वे इस प्रकार कि शल्यक्रिया के संचालन और उसके परिणामों हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं । हाल ही में इस तरह की बातें देखी गई हैं कि मरीज के मृत्यु के पश्चात् डाक्टर को उसमें संलिप्त करने के मामलों में वृद्धि हुई है । इनमें से कुछ का आशय डाक्टरों से अवैध रूप से धन ऐंठना होता है और कुछ मामले केवल अन्य कुछ कारणों से दर्ज किए जाते हैं और कुछ मामले केवल निराशा के कारण डाक्टरों को प्रताड़ित करने हेतु दर्ज किए जाते हैं और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश अधिकथित किए हैं, जिन्हें ऊपर वर्णित किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार यह है कि वर्तमान मामले में

अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध कोई दांडिक दायित्व नहीं बनता है । इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए केवल सिविल दायित्व का मामला ही बनता है । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों और साथ ही निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश को अपास्त करने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है और तद्नुसार संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों और साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश को अपास्त किया जाता है । परिणामतः वर्तमान आवेदनों को मंजूर किया जाता है । (पैरा 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 10 एस. सी. सी. 741 : **ए. एस. वी. नारायणन राव** बनाम **रतनमाला और अन्य** ;	21
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 480 : **कुसुम शर्मा और अन्य** बनाम **बतरा अस्पताल और आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र और अन्य** ;	23
[2009]	(2009) 3 एस. सी. सी. 1 : **मार्टिन एफ. डिसूजा** बनाम **मोहम्मद इश्फाक** ;	14
[2005]	(2005) 6 एस. सी. सी. 1 : **जैकब मैथ्यु** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ;	22, 28
[2004]	(2004) 6 एस. सी. सी. 422 : **डाक्टर सुरेश गुप्ता** बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार और अन्य** ;	15, 18
[1994]	(1994) 3 ऑल ई. आर. 79 (एच. एल.) : **आर. वी. एडोमाको** ।	20, 24

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2013 के आवेदन सं. 8558 के साथ 2013 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 8541.

वर्ष 2012 के दांडिक मामला सं. 506 से उद्भूत होने वाले 2012 के दांडिक मामला सं. 5426 की संपूर्ण कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन प्रकीर्ण आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री भानु भूषण जौहरी और मीनाक्षी चौहान

प्रति पक्षकारों की ओर से ए. जी. ए. और श्री एस. पी. एस. चौहान

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह – चूंकि ये दोनों आवेदन एक ही अपराध से संबंधित हैं अत: इन दोनों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है ।

आवेदकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री भानु भूषण जौहरी और प्रति पक्षकार सं. 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एस. पी. एस. चौहान और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री जी. पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए वर्तमान आवेदनों के माध्यम से अभियुक्त-आवेदकों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 3, अलीगढ़ में लंबित पुलिस थाना सिविल लाइंस, जिला अलीगढ़ के भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304क के अधीन दर्ज किए गए दांडिक मामला सं. 506 से उद्भूत होने वाले वर्ष 2012 के दांडिक मामला सं. 5426 (राज्य बनाम डा. आदिल और अन्य) और साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा पारित तारीख 9 अक्तूबर, 2012 के समन जारी करने से संबंधित आदेश को अभिखंडित किया जाए ।

3. संबंधित विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि मामले के तथ्यों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाए, जो निम्नानुसार हैं –

प्रति पक्षकार सं. 2/सूचना देने वाले व्यक्ति ने पुलिस थाना सिविल लाइंस, जिला अलीगढ़ में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह कथन किया गया है कि उसका भाई सय्यद परवेज अली, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूमि और उद्यान विभाग में अवर श्रेणी लिपिक (एल. डी. सी.) के रूप में कार्य कर रहा था, अस्पताल के विशेष वार्ड सं. 28 में लगभग 23 दिनों के लिए भर्ती रहा था और उसकी छाती में एक ट्यूब प्रतिष्ठापित की गई थी । उसे अस्पताल से तारीख 16 जून, 2012 को निर्मुक्त किया जाना था क्योंकि वह तब तक भलाचंगा हो गया था और साथ ही स्वयं बिना किसी सहारे के चलने में भी समर्थ था । उसका उपचार डा. हनीफ बेग के पर्यवेक्षणाधीन चल रहा था और कुछ अन्य कनिष्ठ डाक्टर भी उसे देखने के लिए आते थे । तारीख 16 जून, 2012 को पूर्वाहन 9.00 बजे अभियुक्त-आवेदक डा. आदिल मोहम्मद अली **उर्फ** डा. अली आदिल मोहम्मद (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डा. आदिल" कहा गया है) एक नर्स के साथ मेरे भाई के पास आया और उसने कक्ष में मौजूद मेरी माता और बहन को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा और जब उससे इस बारे में मेरी माता और बहन द्वारा प्रश्न किया गया तो उक्त डाक्टर ने उनके सामने ही मरीज की छाती में प्रतिस्थापित ट्यूब को एक ब्लैड की सहायता से काटना आरंभ कर दिया और जैसे ही उस ट्यूब को काटा गया उसमें से बड़ी तेजी से रक्त बहने लगा । उक्त डाक्टर ने मरीज की छाती को और जोर से दबाया जिसके परिणामस्वरूप मरीज के मुख से रक्त बाहर आने लगा और बीस मिनट के भीतर ही वह संपूर्ण कक्ष-बिस्तर पर बिछी चादर सहित रक्त से सन गया । प्रति पक्षकार सं. 2 की बहन जिसका नाम अशफिया है, ने डाक्टर के इस कार्य का विरोध किया जिसके उपरांत वह डाक्टर वहां से भाग गया । उसके तुरंत पश्चात् मरीज की देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों ने मरीज की स्थिति के बारे में आपातकाल कक्ष को सूचना दी और उसके पश्चात् एक या दो व्यक्ति भागते हुए आए और उन्होंने बहते हुए रक्त को रोकने की चेष्टा की । तत्पश्चात् डाक्टर लगभग एक घंटे तक मरीज को होश में लाने/पुनरुज्जीवित करने का नाटक करते रहे और अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया । इस प्रकार

यह प्रार्थना की गई कि अभियुक्त डाक्टर के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक दांडिक मामला रजिस्टर किया जाए ।

4. उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्वोक्त दांडिक मामले के अधीन पूर्वोक्त धारा के अधीन एक मामला रजिस्टर किया गया । इस मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

5. आवेदकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा मुख्य रूप से यह दलील प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त-आवेदक डा. मोहम्मद आजम हसीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डा. हसीन" कहा गया है) के संबंध में किसी भी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है और फिर भी पुलिस द्वारा उसका नाम आरोप पत्र में सम्मिलित किया गया है । जहां तक दूसरे अभियुक्त-आवेदक डा. आजम का संबंध है यह दलील दी गई है कि उसने मरीज/मृतक का उपचार/देखभाल करने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास किया किन्तु वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई । इस संबंध में यह कथन किया गया है कि अधिकाधिक डा. आदिल को सिविल दायित्व के अध्यधीन किया जा सकता है किन्तु वह किसी भी दांडिक दायित्व के अध्यधीन नहीं लाया जा सकता । अभियुक्त-आवेदक डा. हसीन के संबंध में यह और दलील दी गई है कि उसे उक्त मृत्यु के संबंध में प्रतिनिधिक दायित्व के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दांडिक मामलों में प्रतिनिधिक रूप से दायित्व अधिरोपित करने से संबंधित कोई अवधारणा विद्यमान नहीं है । पुलिस ने गहन अन्वेषण किए बिना रूटीन रीति में आरोप पत्र फाइल किया है और इसलिए अभियुक्त-आवेदक के अभियोजन को दुर्भावनापूर्ण होने के कारण अभिखंडित किया जाना चाहिए ।

6. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल द्वारा न्यायालय का ध्यान इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन की ओर आकर्षित किया गया, अर्थात् अशफिया और आयशा बेगम, जो विरोधी पक्षकार संख्या 2 की क्रमशः बहन और पत्नी है और जिनका कथन इस फाइल पुस्तिका के

पृष्ठ संख्या 42 और 43 पर संलग्न है । इन दोनों पक्षकारों, जो अस्पताल में मरीज/मृतक की देखभाल कर रही थीं, ने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अपने-अपने शपथ-पत्रों में अपना कथन प्रस्तुत किया है और जिस पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा विश्वास करते हुए उसमें दी गई दलीलों को मामला सम्बन्धी डायरी का भाग बनाया गया है । दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए कथनों, जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए अभियोजन के पक्षकथन की पुष्टि की गई है और उक्त साक्षियों के कथनों के सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया था कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन वस्तुतः लेखबद्ध किया गया नहीं माना जा सकता क्योंकि वे मात्र वर्तमान मामले के संबंध में दिए गए शपथ-पत्र हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उनके तारीख 18 जून, 2012 के पत्रों द्वारा गठित जांच समिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था जिसमें निम्नलिखित संप्रेक्षण किए गए हैं :–

जांच समिति के संप्रेक्षण

1. ऐसी प्रक्रियाओं (इस वर्तमान मामले में आई सी टी डी प्रक्रिया) को लघु आपरेशन थियेटर/ड्रेसिंग कक्ष, जो साधारण वार्ड में उपलब्ध होता है, में किया जाना चाहिए न कि प्राइवेट वार्ड में ।

2. अधिमानी रूप से ऐसी प्रक्रिया को वरिष्ठ साथियों, नर्सिंग/परा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए ।

3. ऐसी प्रक्रिया को करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार की आकस्मिकता का सामना करने के लिए आवश्यक जीवन बचाने वाली औषधियां या उपस्कर उपलब्ध है ।

4. यह प्रक्रिया करने वाले डाक्टर को सभी प्रकार के दुष्परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनके बारे में मरीज/उसकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों को समुचित जानकारी देनी चाहिए ।

7. इस रिपोर्ट के आधार पर, यह दलील दी गई थी कि उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि किसी असाधारण जटिलता के मामले में किसी कनिष्ठ डाक्टर (डा. आदिल) से यह आशा करना उचित नहीं होगा कि वह इस प्रकार की आसामान्य प्रक्रिया संबंधी जटिलता के मामले में सोच सके । इससे यह सुझाव प्राप्त होता है कि अभियुक्त-आवेदक डा. आदिल एक कनिष्ठ डाक्टर है और उसे आशयपूर्ण उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी ।

8. इसके अतिरिक्त न्यायालय का ध्यान उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् के द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 2012 को पारित निम्नलिखित प्रभाव के आदेश की ओर आकर्षित किया गया है :-

> आचार समिति ने यह पाया है कि शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सेप्टिसीमिया है । आई सी टी डी को हटाए जाने की प्रक्रिया को मृत्यु के कारण के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । डाक्टर अली आदिल ने एटी एल एस प्रक्रिया भी की है । उसने उस समय की परिस्थितियों के अधीन मरीज के अनुसार मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिया है । आई सी टी डी को हटाया जाना मृत्यु का कारण नहीं हो सकता । कुछ मामलों में आई सी टी डी को हटाए जाने के पश्चात् उस स्थान से रक्तस्राव हो सकता है, जिसे नियंत्रित जीवन को बचाने के लिए आपना सर्वोत्तम प्रयास किया था ।
>
> आचार समिति की ये राय है कि डाक्टर अली आदिल को चिकित्सीय उपेक्षा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

9. उपरोक्त आदेश का उल्लेख करते हुए यह दलील दी गई थी कि आचार समिति में भी अपनी राय प्रस्तुत की है कि डाक्टर आदिल को चिकित्सीय उपेक्षा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त डाक्टर के अभियोजन को विखंडित किए जाने की आवश्यकता हैं ।

10. दूसरी ओर विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान् काउंसेल ने जोर-शोर से आरोप पत्र को सही ठहराया है और साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, का उल्लेख करते हुए दांडिक अभियोजन को भी सही ठहराया है और यह दलील दी है कि इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उक्त डाक्टर (डा. आदिल) ने उपेक्षा की थी क्योंकि उसने समुचित देखभाल की व्यवस्था किए बिना एक प्राइवेट वार्ड में किसी नर्स/परा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद की अनुपस्थिति में इंटर-कोस्टल चेस्ट ड्रेन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आई सी टी डी" कहा गया है) को हटाने संबंधी प्रक्रिया का संचालन किया था और इस दौरान उसके पास किसी दुर्घटना को रोकने हेतु कोई जीवन रक्षक औषधियां भी नहीं थीं । उसे यह प्रक्रिया करते समय इस प्रकार के मामलों में सामने आने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए था और मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी । अतः, यह मामला दांडिक उपेक्षा का है जो दंड संहिता की धारा 304क के अंतर्गत आता है ।

11 जहां तक अन्य अभियुक्त-आवेदक डाक्टर हसीन का संबंध है विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई थी कि डाक्टर हसीन के पर्यवेक्षणाधीन मरीज/मृतक का इलाज चल रहा था और उसने ही मरीज/मृतक की छाती से उक्त ट्यूब को निकालने की प्रक्रिया करने हेतु कनिष्ठ डाक्टर (डा. आदिल) को भेजा था और इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें दांडिक उपेक्षा हेतु अरोप पत्र जारी किया गया था ।

12. इस आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथ-पत्र में आवेदकों द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि मरीज/मृतक सय्यद परवेज अली को तारीख 24 मई, 2012 को एक सड़क दुर्घटना के मामले में जे. एन. आयुर्विज्ञान अस्पताल में दाखिल किया गया था जिसमें उसकी छाती पर क्षति हुई थी जिससे रक्तस्राव हो रहा था और वह दाहिने न्यूमोथोरेक्स से पीड़ित था और उसके शरीर के दाहिने भाग में अनेक पसलियों और दाहिने कलेविक्ल में बहु अस्थि-भंग था । अस्पताल

में दाखिल किए जाने के समय उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसे दाईं ओर के न्यूमोथोरेक्स और आई सी टी डी का मरीज माना गया था । उसे उस समय तैनात वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टर के पर्यवेक्षणाधीन रखा गया था । मरीज की हालत को स्थिर किया गया था और उसे पारंपरिक रूप से प्रोफेसर एम. एच बेग की सलाह अनुसार उपचार प्रदान किया गया था । साधारण शल्यक्रिया विभाग के प्रथम वर्ष कनिष्ठ रेजिडेंट डाक्टर आदिल महमूद अली जुनियर-1 (अभियुक्त-आवेदक) मरीज की देखभाल कर रहे थे और अन्य अभियुक्त डाक्टर हसीन भी उक्त मरीज की देखभाल करने वाले उक्त दल के सदस्य थे । तारीख 15 जून, 2012 को मरीज की हालात पर रेडियोलोजी के निबंधनानुसार कुछ सुधार आया था । तारीख 16 जून, 2012 को डाक्टर हसीन और प्रोफेसर एम. एच. बेग ने उसकी परीक्षा की थी और उसके पश्चात् यह घोषित किया गया था कि नैदानिक और रेडियोलोजी निबंधनानुसार उसकी हालात में सुधार आया था और इसलिए आई सी डी टी को हटा दिया जाना चाहिए । यह क्रिया डाक्टर आदिल को करनी थी और तद्नुसार तारीख 16 जून, 2012 को उसने यह प्रक्रिया पूरी की । उसने पहले एक विसंक्रमित शल्य ब्लेड के साथ मरीज की त्वचा से जुड़े सूचर को काटा और फिर ट्यूब को बाहर खींच लिया । उसके पश्चात् कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गईं और डाक्टर आदिल ने उन पर काबू पाने के लिये अपना सर्वोत्तम प्रयास किया किंतु वह मरीज के जीवन को नहीं बचा सका और उसे तारीख 16 जून, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आर. ओ. सी. एनस्थिसिया द्वारा मृत घोषित किया गया । मृतक की मृत्यु के पश्चात् उसके भाई जाकिर अली ने केवल विरोधी पक्षकार संख्या 2 डाक्टर आदिल महमूद अली **उर्फ** डाक्टर अली आदिल महमूद के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उस समय अभियुक्त-आवेदक डाक्टर हसीन के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था ।

13. अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 304क के अधीन उक्त मामलों में दोनों आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया और उसका संज्ञान विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा

लिया गया । तारीख 16 जून, 2012 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, के अनुसार मरीज की मृत्यु छाती में लगी ट्यूब को हटाए जाने के कारण हुई थी यद्यपि शव-परीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु के कारण वे सेप्टीसिमिक आघात के रूप में उल्लिखित किया गया है इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और शव-परीक्षा रिपोर्ट, जो अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न है, में प्रमुख सारवान् विरोधाभास है । चूंकि मरीज की मृत्यु ए.एम.यू. में उपचार के दौरान हुई थी इसलिए ए. एम. यू. के कुलपति ने तारीख 17 जून, 2012 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सय्यद परवेज अली की मृत्यु के सम्पूर्ण मामले की जाँच करने का आदेश दिया था जिसे जे. एन. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल के वार्ड संख्या 28 में भर्ती किया गया था, तारीख 16 जून, 2012 को जांच के दौरान विरोधी पक्षकार संख्या 2, मरीज/मृतक की माता और बहन भी उसके साथ उपस्थित थी और इसलिए जांच समिति ने उनकी भी परीक्षा की थी । जांच समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की मृत्यु अत्यंत विरल मामलों में ही होती है और कनिष्ठ डाक्टर से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह इस प्रकार की असामान्य प्रक्रियात्मक जटिलता के बारे में सोच सके । इस रिपोर्ट में अभियुक्त-आवेदक डाक्टर हसीन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत किए गए हैं । अन्वेषण अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, शहरी को यह अनुरोध किया था कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ से पूर्वोक्त घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करे और तद्नुसार एस. एस. पी., अलीगढ़ ने सी. एम. ओ., अलीगढ़ को तारीख 19 जुलाई, 2012 को एक पत्र भेज कर यह अनुरोध किया था कि इस मामले के तकनीकी पहलुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु डाक्टरों के एक पैनल का गठन करें । उक्त पत्र के उत्तर में सी. एम. ओ., अलीगढ़ ने तारीख 21 जुलाई, 2012 को एक पत्र भेजा था जिसमें यह कथन किया गया था कि इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टर उपलब्ध नहीं है और इस मामले के संबंध में पहले ही विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच की जा चुकी है, जिसका गठन ए. एम. यू. के कुलपति द्वारा किया गया था

और उक्त उत्तर को एस. एस. पी., अलीगढ़ से तारीख 2 अगस्त, 2012 को अन्वेषण अधिकारी को अग्रेषित किया गया था जिसकी प्रति अनुलग्नक 7 पर है ।

14. अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अशफिया और आयशा बेगम के कथनों को भी लेखबद्ध किया है किंतु उनमें से किसी ने भी अभियुक्त डाक्टर हसीन के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है । अन्वेषण अधिकारी ने ए. एम. यू. के कुलपति द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन की अनदेखी करते हुए डाक्टर हसीन के नाम को आरोप पत्र में सम्मिलित किया है । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डाक्टर हसीन को समन करने संबंधी आदेश पारित किया है और यह आदेश पारित करते हुए वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मार्टिन एफ. डिसूज़ा** बनाम **मोहम्मद इश्फाक**[1] वाले मामले में अधिकथित विधि को विचार में लेने में असफल रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय, चाहे वह उपभोक्ता मंच हो अथवा कोई दांडिक न्यायालय, किसी भी डाक्टर के विरुद्ध, किसी सक्षम डाक्टर या संबद्ध क्षेत्र में, जिससे संबंधित चिकित्सीय उपेक्षा का मामला सामने आया है, विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों की समिति को मामला निर्दिष्ट किए जाने से पूर्व कोई आदेशिका जारी नहीं करेगा । वर्तमान मामले में सी. एम. ओ. ने किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है और ए. एम. यू. के कुलपति के आदेश द्वारा गठित जांच समिति ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त डाक्टर हसीन को दांडिक उपेक्षा के लिए दायी ठहराया जा सकता है । अतः, अभियुक्त के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाहियों को विखंडित किए जाने की आवश्यकता है ।

15. इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि किसी डाक्टर या शल्य चिकित्सक पर दांडिक दायित्व निर्धारित करने के लिए साबित किए जाने हेतु उपेक्षा का मानक इतना उच्च होना चाहिए कि उसे "सकल उपेक्षा" या "असावधानी" के रूप में वर्णित किया जा सके । आवश्यक देखभाल, ध्यान या कौशल के अभाव या कुछ डिग्री की

---

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. 1.

अपर्याप्तता या पर्याप्त देखभाल का अभाव और सावधानी का अभाव दांडिक रूप से उसे दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । **डाक्टर सुरेश गुप्ता** बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया जा सकता है जिसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्यवाहियों को विखंडित किए जाने की आवश्यकता है ।

16. इसका खंडन करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से एक प्रति-शपथपत्र फाइल किया गया जिसमें यह कथन किया गया है कि मरीज/मृतक को प्रोफेसर एम. एच. बेग के पर्यवेक्षण के अधीन नियमित रूप से उपचार प्रदान कराया जा रहा था और उसकी दशा में नैदानिक और रेडियोलोजी की दृष्टि से सुधार भी आया था । वरिष्ठ डाक्टरों ने यह सलाह दी थी कि उनके पर्यवेक्षण के अधीन आई. सी. टी. डी. को हटाए जाने के पश्चात् अस्पताल से निर्मुक्त कर दिया जाए । किंतु तारीख 17 जून, 2012 की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त डाक्टर (डा. आदिल) ने अपने अन्य पर्यवेक्षकों से परामर्श किए बिना प्राइवेट वार्ड में ही मरीज की आई सी. टी. डी. को हटा दिया और वह यह क्रिया पूरी करने के लिए मरीज को लघु शल्यक्रिया थियेटर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ओ. टी. कहा गया है) भी नहीं लेकर गया और न ही उसने इस क्रिया से संबंधित किसी मानक प्रक्रिया को अपनाया और यह प्रक्रिया उसने बिना किन्हीं आपातकाल उपस्करों/जीवन बचाने वाली औषधियों का पर्याप्त रूप से उपयोग करते हुए पूरी की । इस प्रक्रिया के समय मृतक की माता और बहन वहां उपस्थित थीं और उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा था और उन्होंने डाक्टर आदिल को बिना किसी सहायता के आई. सी. टी. डी. को हटाने से रोकने हेतु सर्वोत्तम प्रयास किया था और साथ ही गुहार भी लगाई थी किंतु यह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ । डाक्टर आदिल उस समय तक नहीं रुके जब तक कि मरीज की मृत्यु नहीं हो गई । यद्यपि डाक्टर हसीन इस प्रक्रिया के किए जाने के समय वहां उपस्थित नहीं थे इसलिए उनके नाम

---

[1] (2004) 6 एस. सी. सी. 422.

को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था, किंतु अन्वेषण के दौरान उन्हें भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया था । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि एस. एस. पी., अलीगढ़ ने अपने तारीख 19 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा सी. एम. ओ., अलीगढ़ से यह अनुरोध किया था कि वे इस मामले के तकनीकी पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डाक्टरों के एक पैनल का गठन करे किंतु अभियुक्त-आवेदक सी. एम. ओ., अलीगढ़ के साथ दुरभिसंधि में थे इसलिए उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए अभिलेख पर इस मामले के तकनीकी पहलुओं से संबंधित कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है । डाक्टर आदिल ने मरीज/मृतक की आई. सी. टी. डी. को हटाए जाने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया को नहीं अपनाया था जो स्पष्ट रूप से यह सुझाव देता है कि उसने घोर उपेक्षा बरती थी जिसके परिणामस्वरूप मरीज/मृतक की मृत्यु हो गई थी ।

17. दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मरीज/मृतक को तारीख 14 मई, 2012 को गंभीर हालात में उक्त अस्पताल (जे. एन. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल) में दाखिल किया गया था क्योंकि वह सड़क दुर्घटना का पीड़ित था किंतु लगभग 20 दिनों के उपचार के पश्चात् उसकी दशा में काफी सुधार आया था और आई. सी. टी. डी. को हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् उसे अस्पताल से निर्मुक्त किया जाना था । इस मामले में आई. सी. टी. डी. को हटाए जाने की उक्त प्रक्रिया डाक्टर आदिल (अभियुक्त-आवेदक) द्वारा पूरी की गई थी जिसके संबंध में यह कथन किया गया है कि उसने यह प्रक्रिया मरीज को ओ. टी. में ले जाए बिना और समुचित देखभाल और सावधानी का ध्यान किए बिना वही प्राइवेट वार्ड में ही पूरी की थी जिसके परिणामस्वरूप मरीज का अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई थी । दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात्

मृतक की बहन और माता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-आवेदक डाक्टर आदिल ने उनके सामने ही और उनके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद अत्यधिक बेरहमी से मृतक की छाती में प्रतिष्ठापित ट्यूब को काट दिया था और जब मरीज की छाती से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा तो वह डाक्टर वहां से भाग गया और जिस समय तक यह साक्षी मरीज की देखभाल करने के लिए किसी को बुलाने हेतु आपातकाल कक्ष की ओर गए तब तक मरीज की मृत्यु हो गई थी । अभिलेख से यह बात भी सामने आती है कि एक जांच रिपोर्ट अभिलेख पर रखी गई है जिसे उक्त संस्था (ए. एम. यू.) के कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें ऊपर उल्लिखित राय दी गई थी जो स्पष्ट रूप से यह दर्शित करती है कि डाक्टर आदिल को उक्त क्रिया/शल्यक्रिया ओ. टी./पट्टी कक्ष में करनी चाहिए थी न कि प्राइवेट वार्ड में और यह भी कि यह प्रक्रिया किसी वरिष्ठ सहयोगी/नर्स/परा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद की उपस्थिति में पूरी करनी चाहिए थी और उस प्रक्रिया को करते समय उसे पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक औषधियों या उपस्करों की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी जिनकी ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आवश्यकता हो सकती थी और उसे अग्रिम में मरीज की देखभाल करने वाले उसके नातेदारों को इस प्रक्रिया में अंतर्वलित जोखिमों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए थी । किंतु यह सब वर्तमान मामले में नहीं किया गया था जिससे स्पष्ट रूप से यह सुझाव प्राप्त होता है कि उक्त डाक्टर ने असावधानीपूर्ण रवैया/उपेक्षा दर्शित की थी और उसने अपना कार्य अत्यंत लापरवाह रीति में पूरा किया था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई थी ।

18. अभियुक्त-आवेदक के पक्ष से **डाक्टर सुरेश गुप्ता** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है । उक्त निर्णय में मामले के तथ्य यह थे कि एक डाक्टर (प्लास्टिक सर्जन) को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अरोप पत्र दिया गया था कि जिसमें उस पर यह अरोप लगाया गया था कि उसने तारीख 18 अप्रैल, 1994 को अपने एक मरीज की, उसके नाक के टेढ़े

आकार को ठीक करने हेतु की जाने वाली शल्यक्रिया के दौरान उसकी मृत्यु कारित की थी । उक्त शल्य चिकित्सक की शल्यक्रिया में सहायता करने में एनेस्थिसिया देने वाले व्यक्ति को भी सह अभियुक्त बनाया गया था किंतु उसकी विचारण लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह दलील प्रस्तुत की थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य उसके विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं बनाते जिनके आधार पर उसके विरुद्ध विचारण चलाया जा सके । किंतु विद्वान् मजिस्ट्रेट ने उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया था और इस संबंध में उन्होंने अपने तारीख 28 नवंबर, 1998 के आक्षेपित आदेश ने निम्नलिखित कारणों को उल्लिखित किया था :-

> "शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह अत्यंत स्पष्ट है और उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मृत्यु का कारण शल्यक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई जटिलताएं हैं । यह शल्यक्रिया दोनों अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा संचालित की गई थी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि मृतक व्यक्ति एक 38 वर्ष का युवा था जिसे किसी भी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं था और नाक के टेढ़े आकार को ठीक करने हेतु की गई लघु शल्यक्रिया का संचालन करते समय डाक्टरों की उपेक्षा के कारण उसके शरीर के गलत भाग पर चीरा लग जाने के कारण उसके श्वसन तंत्र में रक्त भर गया और इसके परिणामस्वरूप मरीज की तुरंत ही मृत्यु हो गई तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा यह दर्शित करने का प्रयास किया गया था कि मरीज उस समय तक जीवित था जब उसे आगे और चिकित्सा हेतु गंगाराम अस्पताल ले जाया गया था ।"

19. अभिलेख से यह स्पष्ट था कि मरीज की मृत्यु पहले ही अभियुक्त के क्लिनिक में हो गई थी और इसके लिए अभिलेख पर पर्याप्त आधार मौजूद थे, जिनसे दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304क के अधीन प्रथमदृष्ट्या मामला बनता था । यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कार्यवाहियों के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष आया था और उसने भी दांडिक प्रक्रियाओं को

विखंडित करने से इंकार कर दिया था । यद्यपि उसने यह अभिलिखित किया था कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किसी चिकित्सीय राय की अनुपस्थिति में यह निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट रूप से गलत था कि शल्य चिकित्सक ने शल्यक्रिया के दौरान मरीज के शरीर के गलत भाग पर चीरा लगाया था जिसके कारण उसके श्वसन तंत्र में रक्त भर गया था और वह बंद हो गया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 1 अप्रैल, 2003 के आक्षेपित आदेश को विखंडित करने से इनकार करते हुए अपने कारण निम्नानुसार अभिलिखित किए थे :–

> "वर्तमान मामले में शव-परीक्षा करने वाले दोनों डाक्टरों ने यह स्पष्ट मत लिया है और उन्होंने विशेष चिकित्सा बोर्ड की राय के पश्चात् ही अपने उक्त मत को दोहराया है कि इस मामले में मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी जो कि नजल सेप्टम के माध्यम पर शल्य संबंधी चीरा लग जाने के परिणामस्वरूप श्वसन तंत्र में रक्त जमा हो जाने और परिणामतः उसके बंद हो जाने के कारण हुई थी । इससे यह उपदर्शित होता है कि रक्त को श्वसन तंत्र तक पहुंचने से रोकने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया था जिसके कारण मरीज का दम घुट गया था । विशेष चिकित्सा बोर्ड की राय ऊपर पहले से दिए गए कारणों से अस्पष्टता से मुक्त नहीं है । इस अस्पष्टता के बारे में संबद्ध डाक्टरों से विचारण के दौरान होने वाली उनकी परीक्षा के समय स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है ।"

20. अपील को मंजूर करते हुए तथा दांडिक कार्यवहियों को विखंडित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :–

> "इस संबंध में विधिक स्थिति ठोस रूप से यह स्थापित करती है कि जहां किसी मरीज की मृत्यु डाक्टर के उपेक्षापूर्ण चिकित्सीय उपचार के कारण होती है वहां डाक्टर को सिविल विधि में प्रतिकर का संदाय करने के लिए और अपकृत्य विधि के अधीन नुकसानियों के लिए दायी ठहराया जा सकता है और साथ ही यदि उपेक्षा की

डिग्री इतनी अधिक है और उसका कार्य इतना लापरवाही से भरा था कि जिससे मरीज के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया तो वह दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध के लिए दांडिक रूप से दायी ठहराया जा सकता है । (पैरा 12)

किसी डाक्टर या सर्जन पर दांडिक दायित्व निर्धारित करने के लिए उपेक्षा के मानक को इस रूप में साबित किया जाना अपेक्षित है कि ऐसी उपेक्षा इतनी अधिक थी कि उसे "घोर उपेक्षा" या "लापरवाही" के रूप में वर्णित किया जा सकता है । यह केवल आवश्यक देखभाल और कौशल का अभाव मात्र नहीं है । डाक्टर की ओर से **आर. वी. एडोमाको** [(1994) 3 ऑल ई. आर. 79 (एच. एल.)] वाले मामले में हाउस ऑफ लार्ड्स के निर्णय का अवलंब लिया गया है, जो उक्त विधिक स्थिति की व्याख्या करता है और उसमें निम्नलिखित संप्रेक्षण अंतर्विष्ट हैं –

> 'इस प्रकार किसी डाक्टर को तब तक किसी मरीज की मृत्यु के लिए दांडिक रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसकी उपेक्षा या असक्षमता से उसके मरीज के जीवन और सुरक्षा के प्रति ऐसी लापरवाही दर्शित होती हो जो राज्य के विरुद्ध अपराध के समतुल्य हो ।'

इस प्रकार जब कोई मरीज चिकित्सीय उपचार या शल्यक्रिया के लिए अपनी सहमति देता है तो डाक्टर के प्रत्येक लापरवाह कार्य को "आपराधिक" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता । उसे केवल तभी "आपराधिक" माना जा सकता है जब डाक्टर ने सक्षमता का सकल अभाव प्रदर्शित किया हो या उसने कोई कार्रवाई न की हो और मरीज की सुरक्षा के प्रति उदासीनता दर्शित की हो और जिसके बारे में यह पाया जाता है कि वह उस डाक्टर की सकल अज्ञानतावश या घोर उपेक्षा के कारण उद्भूत हुई है । जहां मरीज की मृत्यु का कारण केवल निर्णय की कोई त्रुटि या कोई दुर्घटना है वहां किसी भी प्रकार के दांडिक दायित्व को उससे जोड़ा नहीं जा सकता मात्र असावधानी या कुछ सीमा तक पर्याप्त देखभाल और सावधानी का अभाव सिविल दायित्व का सृजन कर

सकता है किंतु वह उसे दांडिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।

डाक्टरों द्वारा उनके मरीजों को चिकित्सीय उपचार प्रदान किए जाने के अनुक्रम में डाक्टरों पर दांडिक दायित्व निर्धारित करने के मामले में न्यायालयों का यह दृष्टिकोण आवश्यक है जिससे चिकित्सीय वृत्ति से जुड़े व्यक्तियों द्वारा झेले जाने वाला सिविल दायित्व अयुक्तियुक्त रूप से दांडिक दायित्व में परिवर्तित न हो और उन्हें अभिकथित दांडिक उपेक्षा के लिए कारागार जाने का अनावश्यक जोखिम न उठाना पड़े ।

चिकित्सीय उपचार के दौरान होने वाली प्रत्येक दुर्घटना या मृत्यु के लिए डाक्टरों के विरुद्ध तब तक दांडिक अभियोजन ला कर उन्हे दंडित करने हेतु कार्यवाहियों को आरम्भ नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी पर्याप्त चिकित्सीय राय उपलब्ध न हो जो उनके दोष की ओर संकेत करती हो अन्यथा यह साधारण रूप से समुदाय के लिए अत्यंत हानिकारक होगा क्योंकि यही न्यायालय प्रत्येक दुर्घटना के लिए अस्पतालों और डाक्टरों पर दांडिक दायित्व अधिरोपित करते रहे तो डाक्टर अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित होंगे न कि अपने मरीजों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने के लिए । इसके परिणामस्वरूप डाक्टर मरीज के बीच परस्पर विश्वास समाप्त हो जाएगा । अस्पताल या किसी डाक्टर के क्लिनिक में होने वाली कोई दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आपराधिक उपेक्षा के अपराध हेतु उसका विचारण करने के लिए घोर उपेक्षा के तत्समान नहीं है । (पैरा 20 से 23, 25 और 26)

वर्तमान मामले में निस्संदेह रूप से मरीज एक युवक था जिसे किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं था । नासिका के आकार को ठीक किए जाने के लिए की जाने वाली शल्यक्रिया किसी भी तरह से जटिल या गंभीर नहीं थी । शल्यक्रिया के दौरान उसकी स्वयं की पत्नी भी उसके साथ नहीं थी । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई चिकित्सीय रायों में मृत्यु के कारण को “श्वसन तंत्र में यह

घाव से होने वाले रक्तस्राव को ऊपर की ओर जाने से रोकने हेतु उचित आकार की कफड एन्डोट्रेकियल ट्यूब को नहीं लगाया जाना है" । यह कार्य डाक्टर द्वारा किया जाना था और यदि इसे सत्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया जाए तो इसे उपेक्षापूर्ण कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि डाक्टर ने सम्यक देखभाल और सावधानी का पालन नहीं किया था । इस उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए वह अपकृत्य विधि के अधीन दायी हो सकता है किंतु उसकी लापरवाही या देखभाल और उसके कौशल में कमी को इतने लापरवाह या घोर उपेक्षात्मक कार्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता जो उसे दांडिक रूप से दायी बनाए । (पैरा 24)

परिवाद के साथ लगे सभी चिकित्सीय कागज-पत्रों की परीक्षा करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डाक्टर के विरुद्ध लापरवाही या घोर उपेक्षा का ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है जिसके लिए उस पर दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध के लिए विचारण चलाया जा सके । तथ्य और विधि संबंधी पहलू पर किए गए पूर्वोक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हम इस अपील को मंजूर करते हैं और साथ ही मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हैं तथा वर्तमान डाक्टर, जो अभियुक्त और हमारे समक्ष अपीलार्थी हैं, के विरुद्ध लंबित दांडिक कार्यवाहियों को विखंडित करते हैं ।" (पैरा 28)

21. **ए. एस. वी. नारायणन राव** बनाम **रतनमाला और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है । उक्त मामले में, अपीलार्थी हृदय रोग विशेषज्ञ ने मृतक पर एंजियोग्राम प्रक्रिया का संचालन किया था तथा उसकी कोरोनरी आर्टरी ने तीन ब्लोक पाए जाने के पश्चात् पूर्वाह्न 1.30 बजे उसकी एंजियोप्लास्टी की थी । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी (मृतक मरीज की पत्नी) को यह सूचित किया कि एंजियोप्लास्टी असफल रही थी और उसके पति की आर्टरी में स्थित ब्लाकों का केल्सिफिकेशन हो गया था । उसी दिन

---

[1] (2013) 10 एस. सी. सी. 741.

पूर्वाह्न लगभग 3.30 बजे उसी अस्पताल में बाईपास सर्जरी की गई थी । इसके दौरान अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो गई थीं और अंततः उक्त मरीज की मृत्यु हो गई थी । मजिस्ट्रेट ने प्रथमदृष्ट्या रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए मामले का संज्ञान लिया कि अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अभिलेख पर सामग्री विद्यमान थी । उसके पश्चात् यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया था । उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारण बताते हुए कार्यवाहियों को विखंडित करने से इनकार कर दिया था :–

"(1) अपीलार्थी ने शल्यक्रिया संबंधी वैकल्पिक यूनिट की व्यवस्था किए बिना एंजियोप्लास्टी की थी जो असफल रही थी और इस असफलता के परिणामस्वरूप एंजियोप्लास्टी के असफल होने के पश्चात् बाईपास सर्जरी के संचालन में पांच घंटे का विलंब हुआ ; और

(2) अपीलार्थी ने एंजियोप्लास्टी करने से पूर्व किसी कार्डियो एनस्थिसियन से परामर्श नहीं किया था ।

और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी द्वारा की गई ऊपर उल्लिखित त्रुटियां स्पष्ट रूप से उसकी उपेक्षा को दर्शित करती हैं ।"

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील को मंजूर करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

"13. उक्त निष्कर्ष का आधार यद्यपि निर्णय से स्पष्ट नहीं होता है किंतु प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा हमें यह बताया गया है कि वह आधार डाक्टर सुरजीत डेन द्वारा वर्ष 2004 के उपभोक्ता विवाद संख्या 38 ने आंध्र-प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के समक्ष दिए गए साक्ष्य में निहित हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी और अन्यों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां आरम्भ करने के अलावा प्रथम प्रत्यर्थी ने

अपीलार्थी और अन्यों के विरुद्ध उपभोक्ता संबंधी कार्यवाहियां भी आरम्भ की थीं । उक्त कार्यवाहियों में ऊपर उल्लिखित डाक्टर डेन के साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया था जहां डाक्टर डेन ने अपनी प्रति-परीक्षा में निम्नानुसार कथन किया था –

> '.... जब कभी कोई हृदय रोग विशेषज्ञ एंजियोप्लास्टी करता है तो वह एक वैकल्पिक शल्यक्रिया दल को तैयार रहने का अनुरोध करता है । वर्तमान मामले में इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था....'

उन्होंने यह और कथन किया कि –

> '....एंजियोप्लास्टी के असफल रहने के कारण मरीज का हृदय कमजोर कोरोनरी आप्लावन की विकट स्थिति में आ गया था जिससे उसके पश्चात् किसी आपातकालीन शल्यक्रिया के दौरान जीवन के जोखिम में वृद्धि हो जाती है । किसी योजनाबद्ध कोरोनरी शल्यक्रिया आपातकालीन शल्यक्रिया की तुलना में जोखिम कम होता है....'

तथापि, उक्त डाक्टर ने यह भी कथन किया कि –

> '... एंजियोप्लास्टी के असफल रहने और शल्यक्रिया के बीच का समय अंतराल मरीज की मृत्यु के लिए कारक नहीं है । समय का यह अंतराल जोखिम बढ़ने का एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी....'

14. दुर्भाग्यवश डाक्टर सुरजीत डेन के ऊपर दिए गए कथनों में से अंतिम कथन को उच्च न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया था, हमारे अनुसार यह कथन अपीलार्थी के दांडिक अभियोजन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

15. दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है । अतः हमारी राय यह है कि आपीलार्थी का अभियोजन अनुचित है क्योंकि जैसा कि इस न्यायायल द्वारा **जैकब मैथ्यु** [(2005) 6 एस. सी. सी. 1 = (2005) एस. सी. सी. (क्रि.) 1369] वाले मामले

में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से की गई उपेक्षा, यदि कोई है, को घोर उपेक्षा नहीं कहा जा सकता । अतः हम इस अपील के अधीन निर्णय [2007 की दांडिक याचिका संख्या 6506, तारीख 28 अक्तूबर, 2010 का आदेश (एपी) सुरजीत डैम **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य, 2007 की दांडिक याचिका संख्या 6368] और साथ ही विचारण न्यायालय की तारीख 11 दिसंबर, 2006 की कार्यवाहियों को अपास्त करते हैं ।"

23. यह न्यायालय **कुसुम शर्मा और अन्य** बनाम **बतरा अस्पताल और आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अवलंब लेना चाहेगा । इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दांडिक उपेक्षा के किसी मामले में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णित किया है, जो निम्नानुसार हैं :–

"89. हमारे देश और अन्य देशों विशेषकर युनाइटिड किंगडम में चिकित्सीय उपेक्षा के प्रमुख मामलों की संवीक्षा करने पर चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित मामलों में कार्यवाही किए जाने के लिए कुछ आधारिक सिद्धांत सामने आते हैं । यह निर्णय करते समय कि क्या चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सीय उपेक्षा का दोषी है, निम्नलिखित सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए–

1. उपेक्षा एक कर्तव्य-भंग है, जिसे किसी युक्तिमान मनुष्य द्वारा उन विचारों से, जो सामान्यतया मानवीय कार्यों के संचालन को विनियमित करते हैं, मार्गदर्शित होकर किसी कार्य को करने के लोग या कुछ ऐसा करने से उद्भूत होता है जिसे कोई प्रज्ञावान और युक्तिमान मनुष्य नहीं करेगा ।

2. उपेक्षा अपराध का अनिवार्य घटक है । अभियोजन द्वारा स्थापित की जाने वाली उपेक्षा को सदोष या घोर उपेक्षा होना चाहिए और न कि कोई ऐसी उपेक्षा जो निर्णय लेने की त्रुटि पर आधारित हो ।

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 480.

3. किसी चिकित्सा व्यवसायी से यह आशा की जाती है कि वह युक्तियुक्त कौशल और ज्ञान का उपयोग करे और साथ ही देखभाल की युक्तियुक्त डिग्री का भी प्रयोग करे । विधि की अपेक्षा यह है कि प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णीत की जाने वाली देखभाल और सक्षमता की न तो अधिकतम और न ही अत्यधिक निम्न डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

4. कोई चिकित्सा व्यवसायी केवल उसी दशा में दायी होगा जब उसका आचार उस क्षेत्र में युक्तियुक्त रूप से सक्षम किसी व्यवसायी के मानकों से निम्न उपदर्शित होता है ।

5. निदान और उपचार के क्षेत्र में राय की वास्तविक विभिन्नता का परिधि-क्षेत्र काफी विस्तृत है और कोई व्यवसायी डाक्टर स्पष्ट रूप से मात्र इसलिए उपेक्षा करने वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके निष्कर्ष अन्य व्यवसायी डाक्टरों से भिन्न है ।

6. चिकित्सा व्यवसाय से प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करे जिसमें चाहे अधिक जोखिम अंतर्वलित हो किंतु जिस पर वह ईमानदारी से यह विश्वास रखता हो कि उसको अपनाने से मरीज के ठीक होने की संभावना अधिक है बजाय कम जोखिम वाले प्रक्रिया के, जिसमें असफल होने की संभावना अधिक हो । केवल इसलिए कि किसी व्यवसायी ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को ठीक करने हेतु अधिक जोखिम वाली प्रक्रिया को अपनाया जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, डाक्टर की ओर से उपेक्षा नहीं माना जा सकता ।

7. किसी डाक्टर के बारे में तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उपेक्षा की है, जब तक कि वह अपने कर्तव्यों को युक्तियुक्त कुशलता और सक्षमता के साथ पूरा करता है । मात्र इसलिए कि किसी डाक्टर ने किसी अन्य उपलब्ध प्रक्रिया

को अधिमानता न देकर किसी अन्य प्रक्रिया को चुना है, वह उपेक्षा का दायी नहीं होगा यदि उसके द्‌वारा चुनी गई प्रक्रिया चिकित्सा व्यवसाय को स्वीकार्य है ।

8. चिकित्सा व्यवसाय की दक्षता के लिए यह बात सहयोगी सिद्ध नहीं होगी कि कोई डाक्टर अपने गले में फंदा डाले बिना उपचार नहीं कर सकता ।

9. सिविल समाज का यह आबद्धकर कर्तव्य और बाध्यता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सा व्यवसायियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित या अपमानित न किया जाए जिससे वे अपने व्यवसायिक कर्तव्य का पालन बिना किसी डर और आशंका के कर सकें ।

10. दूसरी ओर चिकित्सा व्यवसायियों को ऐसे वर्ग के परिवादों से भी बचाना चाहिए जो चिकित्सा व्यवसायियों/ अस्पतालों पर दबाव बनाने के लिए दांडिक प्रक्रिया का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, विशेषकर प्राइवेट अस्पतालों या चिकित्सालयों के विरुद्ध, उनसे आवांछित प्रतिकर वसूल करने के लिए । इस प्रकार की द्‌वेषपूर्ण कार्यवाहियों को तुरंत अपास्त कर देना चाहिए ।

11. चिकित्सा व्यवसायी तबतक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हकदार हैं जब तक कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक तथा सक्षमता से मरीजों के हित में करते हैं । चिकित्सा व्यवसायियों के लिए मरीजों का हित और कल्याण सर्वोपरि है ।

90. हमारी सुविचारित राय में, ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों को चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों का निर्णय करते समय ध्यान में रखना चाहिए । यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि डाक्टरों को चिकित्सीय उपेक्षा के लिए कभी भी अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए । जब तक डाक्टर

अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और सामान्य रूप से वृत्तिक कौशल और सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं, तब तक उन्हें चिकित्सीय उपेक्षा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यह अनिवार्य है कि डाक्टर अपने वृत्तिक कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी दबाव के करने में समर्थ होने चाहिए ।

24. विधि की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करना होगा ।

वर्तमान मामले में मरीज/मृतक को एक सड़क दुर्घटना के पश्चात् अभियुक्त-आवेदक के अस्पताल में दाखिल किया गया था और वह लगभग 23 दिन विशेष वार्ड में भर्ती रहा था । जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है उसे अस्पातल से निर्मुक्त किया जाना था क्योंकि वह ठीक हो चुका था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह और उल्लेख किया गया है कि तारीख 16 जून, 2012 को डाक्टर आदिल उसकी छाती में लगी ट्यूब को निकालने के लिए एक नर्स के साथ उसके वार्ड में आया । जैसे ही उसने उस ट्यूब को काटा मरीज की छाती से तीव्र गति से रक्तस्राव होने लगा और उसके पश्चात् वह डाक्टर उक्त वार्ड से भाग गया और जब सूचना देने वाले व्यक्ति ने आपातकाल कक्ष में इस घटना की सूचना दी तो वहां से एक या दो व्यक्तियों ने वार्ड में आकार रक्तस्राव को रोकने की चेष्टा की । उसके पश्चात् डाक्टरों ने लगभग एक घंटे तक मरीज/मृतक को पुनरुज्जीवित करने का दिखावा किया और उसके पश्चात् उसे मृत घोषित कर दिया । शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिक आघात के रूप में रिपोर्ट किया गया है । शव-परीक्षा से पूर्व मृतक के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां दिखाई गई थी :–

1. छाती के दाहिने ओर ट्यूब को प्रतिष्ठापित करने का चिह्न 1.5 से. मी. × 1.5 से. मी., छाती के दाहिने ओर 7.00 से. मी. पार्श्विक भाग से दाहिने निपल तक ।

2. दाहिने ओर वाईवी कनूला के लिए चीरा लगाए जाने का चिह्न चिकित्सीय रूप में 0.5 से. मी. × 0.2 से. मी. ।

25. कुलपति द्वारा गठित जांच समिति की तारीख 18 जून, 2012 की रिपोर्ट में निम्नलिखित संप्रेक्षण किए गए थे :–

जांच समिति के संप्रेक्षण

1. ऐसी प्रक्रियाओं (वर्तमान मामले में आई सी टी डी) को लघु शल्य कक्ष/पट्टी कक्ष, जो साधारण वार्ड में उपलब्ध है, करना चाहिए न कि प्राइवेट वार्ड में ।

2. अधिमानी रूप से ऐसी प्रक्रियाओं को वरिष्ठ साथियों, नर्सिंग/परा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद की उपस्थिति में ही करना चाहिए ।

3. ऐसी प्रक्रियाओं को करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां या उपस्कर उपलब्ध हैं ।

4. प्रक्रिया करने वाले डाक्टर को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी परिणामों जिसके अंतर्गत असाधारण परिणाम भी हैं, को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनके बारे में मरीज/उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए ।

दोषी पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना और प्रोफेसर एम.एच.बेग की भूमिका

1. अस्पताल में भर्ती किए जाने की तारीख से ही मरीज की देखभाल पूरे दल द्वारा की जा रही थी और मरीज तथा उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति तारीख 16 जून, 2012 को घटित हुई दुर्घटना से पूर्व मरीज के उपचार पूर्णतया संतुष्ट थे और यह बात इस घटना के बाद जांच समिति के समक्ष उनके द्वारा दिए गए कथनों से भी उपदर्शित होती है ।

2. रेजिडेंट डाक्टर (डा. आदिल जूनियर-2) ने सीओसी की सलाह पर, जैसा कि तारीख 15 जून, 2012 को मामला संबंधी शीट में लेखबद्ध किया गया है और साथ ही जिसे जांच समिति को प्रस्तुत उसके कथन में भी लेखबद्ध किया गया है, तारीख 16 जून,

2012 को आई सी टी डी को हटाए जाने का निर्णय लिया था । तद्नुसार उसने अगले दिन इस प्रक्रिया के दुष्परिणामों, चाहें वे कितने भी दुर्लभ क्यों न हों, की अनदेखी करते हुए यह प्रक्रिया पूरी की । यह प्रतीत होता है कि आई सी टी डी को हटाए जाने के उसके प्रयास के दौरान स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई क्योंकि वह ऐसी किसी स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था । यदि वह अपने किसी सहयोगी को अपने साथ रखता तो वह इस स्थिति से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होता ।

3. एक दुर्लभ जटिलता, जिसके बारे में डाक्टर बेग जैसे वरिष्ठ डाक्टर भी परिकल्पना नहीं कर सकते थे, एक जूनियर डाक्टर (डा. आदिल) से ऐसी असाधारण प्रक्रियात्मक जटिलता की परिकल्पना करने की आशा करना उचित नहीं होगा ।

26. इस मामले को उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् के समक्ष उठाया गया था जिसने तारीख 23 नवंबर, 2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

आदेश

आचार समिति ने यह पाया है कि शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिया है । आई सी टी डी को हटाया जाना मृत्यु का कारण नहीं माना जा सकता । कुछ मामलों में आई सी टी डी को हटाए जाने के पश्चात् उस स्थान से रक्तस्राव हो सकता है, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता । डाक्टर अली आदिल ने भी ए टी एल एस प्रक्रिया की थी । उसने उस समय की परिस्थितियों के अधीन मरीज की जान बचाने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास किया ।

आचार समिति की यह राय है कि डाक्टर आदिल को चिकित्सीय उपेक्षा का दोषी नहीं माना जा सकता ।

27. मैंने अभियोजन पक्ष के समर्थन में साक्षियों, अर्थात् अशफिया और आयशा बेगम के कथनों का अध्ययन किया है । दोनों ने प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि **डाक्टर सुरेश गुप्ता** (उपरोक्त) वाले मामले में यथा अधिकथित सिद्धांतों को लागू किया जाए तो यह स्पष्ट है कि किसी डाक्टर या शल्य-चिकित्सक को दांडिक रूप से दायी ठहराने हेतु उपेक्षा के मानक को इतना अधिक डिग्री का साबित किया जाना अपेक्षित है कि उसे "घोर उपेक्षा" या "लापरवाही" के रूप में वर्णित किया जा सके । यह मात्र आवश्यक देखभाल, ध्यान या कुशलता का अभाव नहीं है जो उसे दांडिक रूप से दायी बनाएगा । वर्तमान मामले में, **आर. वी. एडोमाको**[1] वाले मामले में हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी डाक्टर को तब तक किसी मरीज की मृत्यु के लिए दांडिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि दर्शित की गई उपेक्षा या अक्षमता मरीज के जीवन और सुरक्षा के प्रति इतनी अधिक लापरवाही उपदर्शित करती है जो राज्य के विरुद्ध अपराध के समतुल्य हो जाता है । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब कोई मरीज चिकित्सीय उपचार या किसी शल्यक्रिया के लिए अपनी स्वीकृति देता है तो चिकित्सक की प्रत्येक लापरवाही को "दांडिक" नहीं कहा जा सकता । उसे तब तक कि अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक की चिकित्सक की ओर से अक्षमता का सकल अभाव या मरीज की सुरक्षा के प्रति उदासीनता और अपेक्षित कार्रवाई करने की अनिच्छा उपदर्शित न हो और जो सकल अज्ञानता या घोर उपेक्षा से उद्भूत हुई हो । जहां किसी मरीज की मृत्यु निर्णय की किसी त्रुटि या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई हो, वहां डाक्टर पर कोई दांडिक दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता । मात्र असावधानी या पर्याप्त देखभाल और सावधानी का अभाव कुछ सीमा तक सिविल दायित्व का सृजन कर सकता है किंतु वह उसे दांडिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।

28. इस मामले में, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मरीज एक युवा व्यक्ति था जिसकी एक सड़क दुर्घटना हुई थी और उसके स्वास्थ्य

---

[1] (1994) 3 ऑल ई. आर. 79 (एच. एल).

में सुधार आ रहा था किंतु उपचार के दौरान उसकी छाती में प्रतिष्ठापित ट्यूब को हटाए जाने के कारण यह मामला बिगड़ गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के कुटुंब के सदस्यों ने एक साधारण मनुष्य के रूप में यह राय दी है कि अभियुक्त डाक्टर (डा. आदिल) की घोर उपेक्षा के कारण मरीज की मृत्यु हुई थी जिसने उक्त ट्यूब को उनके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद बिना पूर्ण सावधानी बरते अनुचित रीति में बाहर निकाला था । किंतु उक्त साधारण मनुष्य के रूप में दी गई उनकी राय अभियुक्त डाक्टर को दांडिक रूप से दायी ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं है । उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् की आचार समिति द्वारा अभिव्यक्त की गई राय के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिक आघात है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त डाक्टर ने मरीज की छाती से उक्त ट्यूब निकालने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की थी क्योंकि उसे यह प्रक्रिया प्राइवेट वार्ड की बजाय ओ. टी. में किसी वरिष्ठ डाक्टर की उपस्थिति में और सभी अन्य चिकित्सा उपकरणों को तैयार करके पूरी करनी चाहिए थी । जो निश्चित रूप से डाक्टर की उपेक्षा को दर्शित करता है किंतु मेरे निष्कर्ष के अनुसार उसे “दांडिक उपेक्षा” नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके लिए उसे केवल सिविल दायित्व के अधीन किया जा सकता है । इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त डाक्टर ने अतिविश्वास दर्शित किया था कि वह स्वयं ही हर स्थिति से निपटने के लिए समर्थ था किंतु ऐसा हुआ नहीं और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप मृतक की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है । मुझे डाक्टर की ओर से कोई लापरवाही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि मरीज को लगभग 23 दिनों तक उपचार प्रदान किया गया था और उसके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार आ रहा था किंतु दुर्भाग्यवश संबद्ध डाक्टर द्वारा स्थिति पर काबू न पा सकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है । भारतीय समाज में कोई डाक्टर एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति माना जाता है और मरीज के बच जाने की दशा में उसे ईश्वर तुल्य माना जाता है । किंतु हम सब यह जानते हैं कि वर्तमान मामले की भांति सभी मामलों

में कुछ जोखिम अंतर्वलित होते हैं और जब मरीज/उसके कुटुंब के सदस्य शल्यक्रिया के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो वे इस प्रकार कि शल्यक्रिया के संचालन और उसके परिणामों हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं । हाल ही में इस तरह की बातें देखी गई हैं कि मरीज की मृत्यु के पश्चात् डाक्टर को उसमें संलिप्त करने के मामलों में वृद्धि हुई है । इनमें से कुछ का आशय डाक्टरों से अवैध रूप से धन ऐंठना होता है और कुछ मामले केवल अन्य कुछ कारणों से दर्ज किए जाते हैं और कुछ मामले केवल निराशा के कारण डाक्टरों को प्रताड़ित करने हेतु दर्ज किए जाते हैं और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जैकब मैथ्यु** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में और हाल ही में **कुसुम शर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में दिशा-निर्देश अधिकथित किए हैं, जिन्हें ऊपर वर्णित किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार यह है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त-आवेदकों के विरुद्ध कोई दांडिक दायित्व नहीं बनता है । इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए केवल सिविल दायित्व का मामला ही बनता है ।

29. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों और साथ ही निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश को अपास्त करने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है और तद्नुसार संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियों और साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश को अपास्त किया जाता है ।

30. परिणामतः वर्तमान आवेदनों को मंजूर किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

पु.

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 1.

सनातन सतनामी

बनाम

असम राज्य और एक अन्य

[2015 की दांडिक (जेल) अपील सं. 110]

तारीख 27 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक और न्यायमूर्ति नेलसन सैलो

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – झगड़े के कारण पति द्वारा पत्नी की अभिकथित हत्या – पति द्वारा शव दफनाए जाने का अभिकथन – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास – शव की बरामदगी प्रकटीकरण के आधार पर नहीं अपितु संदेह के आधार पर – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है, हत्या की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा शव की बरामदगी भी प्रकटीकरण कथन के आधार पर नहीं अपितु मात्र संदेह के आधार पर की गई है, इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 फरवरी, 2013 को श्री मदन सतनामी नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी बामुनबरी, पुलिस थाना तिनखोंग में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) इस शिकायत के साथ दर्ज कराई कि तारीख 14 फरवरी, 2013 को सायंकाल उक्त सनातन सतनामी अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और अगले दिन से वह लापता हो गई । जब उक्त सनातन सतनामी से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वह अपनी पुत्री और दामाद के घर गई है और जब उसकी पुत्री और दामाद से अभियुक्त-अपीलार्थी की लापता पत्नी के संबंध में फोन पर पूछताछ की गई तब श्री मदन सतनामी को यह बताया गया कि मृतका उनसे मिलने नहीं गई थी । जब इस मामले में पड़ोसियों से

पूछताछ की गई तब यह पता चला कि उक्त सतनाम सतनामी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी की हत्या की है और यह संदेह किया जाता है कि उसने अपने चाय के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया है और जब इत्तिलाकर्ता को सच्चाई का पता चला तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस चौकी बामुनबरी में तारीख 20 फरवरी, 2013 को रोजनामचे में की गई प्रविष्टि सं. 350 के रूप में दर्ज कराई गई और इसे पुलिस थाना तिनखोंग को भेज दिया गया जहां पर उसे अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध जी. आर. मामला सं. 485/2013 के समवर्ती दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन पुलिस थाना तिनखोंग में मामला सं. 61/2013 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । 4. मामले के अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थल नक्शा (प्रदर्श-6) तैयार किया, मामले के तथ्यों से अवगत व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए, तारीख 20 फरवरी, 2013 को अभियुक्त सनातन सतनामी को गिरफ्तार किया, इसी दिन अभियुक्त के घर से एक कुल्हाड़ी बरामद की जिसमें बांस का हत्था लगा हुआ था और हत्थे की लम्बाई लगभग एक क्यूबिट और एक मुट्ठी पाई गई जिसे अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में तीन साक्षियों की मौजूदगी में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) तैयार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका रेखा सतनामी का शव खोदकर निकाला गया, शव की मृत्युसमीक्षा की गई और साक्षियों की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) तैयार की गई, मृतका का शव असम मेडिकल कालेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ (जिसे संक्षेप में "ए. एम. सी. एच." कहा गया है) भेज दिया गया और उसके साथ शव से संबंधित चालान (प्रदर्श-4) भी प्रेषित किया गया, तारीख 4 मार्च, 2013 को उक्त मेडिकल कालेज से शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-5) प्राप्त की गई और अन्वेषण पूरा होने तथा दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराधजन्य सामग्री के प्राप्त होने पर तारीख 6 मई, 2013 को अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श-6) प्रस्तुत किया गया । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिब्रूगढ़ ने उक्त आरोप पत्र (प्रदर्श-6) प्राप्त होने पर इसे विद्वान् उपखंड

न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर), डिब्रूगढ़ को निपटारे के लिए भेज दिया । विद्‌वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर), डिब्रूगढ़ ने इस मामले अर्थात् जी. आर. मामला सं. 485/2013 को सेशन न्यायालय द्‌वारा विचारणीय पाकर अपने तारीख 17 जून, 2013 के आदेश से इसे विद्‌वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ को सुपुर्द कर दिया । जी. आर. मामला सं. 485/2013 के अभिलेख की प्राप्ति पर इसे सेशन मामला सं. 190/2013 के रूप में सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराध के विचारण के लिए नम्बरीकृत किया गया । विद्‌वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 1 जुलाई, 2013 के आदेश द्‌वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिन्हें अभियुक्त-अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । तद्‌नुसार, इस मामले में विचारण आरंभ किया गया । विद्‌वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 27 अगस्त, 2013 को पारित अपने आदेश द्‌वारा उक्त सेशन मामला सं. 190/2013 को विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ को निपटारे के लिए भेज दिया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा कराई जिनकी प्रतिपरीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा की गई । तथापि, प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जुलाई, 2015 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 326/307 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष साबित हो गया है और तद्‌नुसार उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । अपील मंज़ूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के

पुत्री और दामाद की परीक्षा नहीं कराई है जिनके नामों का उल्लेख इत्तिलाकर्ता मदन सतनामी (अभि. सा. 1) द्वारा किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह दिखाई देता है कि मृतका का शव अभियुक्त के घर के निकट अब्दुल रहमान (अभि. सा. 5) के चाय के बागान से बरामद किया गया है जहां अभियुक्त और मृतका दोनों ही काम किया करते थे । मृतका का शव अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन के आधार पर नहीं अपितु पूर्णतया संदेह के आधार पर बरामद किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं किंतु मात्र धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन के आधार पर अभियुक्त को तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई संपोषक साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत न किया जाए और मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । वर्तमान मामले में हमने यह देखा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का यह दोष कि उसने अपनी पत्नी रेखा सतनामी की हत्या की है और तत्पश्चात् उसको छिपाया है, संदेह के परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । इस प्रकार हमारी यह राय है कि वर्तमान अपील मंजूर किए जाने योग्य है । (पैरा 21, 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक (जेल) अपील सं. 110.

2013 के सेशन मामला सं. 190 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2015 को पारित निर्णय और तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री रीता दास मजूमदार (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री बोरनली भूयन (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक ने दिया ।

न्या. पाठक – यह अपील अभियुक्त-अपीलार्थी सनातन सतनामी ने जी. आर. मामला सं. 485/2013 के समवर्ती पुलिस थाना तिनखोंग में

दर्ज किए गए मामला सं. 61/2013 से उद्भूत 2013 के सेशन मामला सं. 190 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2015 को पारित निर्णय और तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को की गई दोषसिद्धि के उस आदेश से व्यथित होकर फाइल की है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 302 के अधीन अपनी पत्नी रेखा सतनामी की हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपनी पत्नी का शव छिपाने के अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का भी आदेश किया गया है ।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र सुश्री रीता दास मजूमदार और राज्य (प्रत्यर्थी सं. 1) की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बोरनली भूयन की सुनवाई की गई है । इत्तिलाकर्ता (प्रत्यर्थी सं. 2) की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 फरवरी, 2013 को श्री मदन सतनामी नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी बामुनबरी, पुलिस थाना तिनखोंग में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) इस शिकायत के साथ दर्ज कराई कि तारीख 14 फरवरी, 2013 को सायंकाल उक्त सनातन सतनामी अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और अगले दिन से वह लापता हो गई । जब उक्त सनातन सतनामी से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वह अपनी पुत्री और दामाद के घर गई है और जब उसकी पुत्री और दामाद से अभियुक्त-अपीलार्थी की लापता पत्नी के संबंध में फोन पर पूछताछ की गई तब श्री मदन सतनामी को यह बताया गया कि मृतका उनसे मिलने नहीं गई थी । जब इस मामले में

पड़ोसियों से पूछताछ की गई तब यह पता चला कि उक्त सतनाम सतनामी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी की हत्या की है और यह संदेह किया जाता है कि उसने अपने चाय के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया है और जब इत्तिलाकर्ता को सच्चाई का पता चला तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस चौकी बामुनबरी में तारीख 20 फरवरी, 2013 को रोजनामचे में की गई प्रविष्टि सं. 350 के रूप में दर्ज कराई गई और इसे पुलिस थाना तिनखोंग को भेज दिया गया जहां पर उसे अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध जी. आर. मामला सं. 485/2013 के समवर्ती दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन पुलिस थाना तिनखोंग में मामला सं. 61/2013 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. मामले के अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थल नक्शा (प्रदर्श-6) तैयार किया, मामले के तथ्यों से अवगत व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए, तारीख 20 फरवरी, 2013 को अभियुक्त सनातन सतनामी को गिरफ्तार किया, इसी दिन अभियुक्त के घर से एक कुल्हाड़ी बरामद की जिसमें बांस का हत्था लगा हुआ था और हत्थे की लम्बाई लगभग एक क्यूबिट और एक मुट्ठी पाई गई जिसे अभिगृहीत किया गया और इस संबंध में तीन साक्षियों की मौजूदगी में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) तैयार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका रेखा सतनामी का शव खोदकर निकाला गया, शव की मृत्युसमीक्षा की गई और साक्षियों की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) तैयार की गई, मृतका का शव असम मेडिकल कालेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ (जिसे संक्षेप में "ए. एम. सी. एच." कहा गया है) भेज दिया गया और उसके साथ शव से संबंधित चालान (प्रदर्श-4) भी प्रेषित किया गया, तारीख 4 मार्च, 2013 को उक्त मेडिकल कालेज से शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-5) प्राप्त की गई और अन्वेषण पूरा होने तथा दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराधजन्य सामग्री के प्राप्त होने पर तारीख 6 मई, 2013 को अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श-6) प्रस्तुत किया गया । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिब्रूगढ़ ने उक्त

आरोप पत्र (प्रदर्श-6) प्राप्त होने पर इसे विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर), डिब्रूगढ़ को निपटारे के लिए भेज दिया । विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर), डिब्रूगढ़ ने इस मामले अर्थात् जी. आर. मामला सं. 485/2013 को सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय पाकर अपने तारीख 17 जून, 2013 के आदेश से इसे विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ को सुपुर्द कर दिया ।

5. जी. आर. मामला सं. 485/2013 के अभिलेख की प्राप्ति पर इसे सेशन मामला सं. 190/2013 के रूप में सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराध के विचारण के लिए नम्बरीकृत किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 1 जुलाई, 2013 के आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिन्हें अभियुक्त-अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । तद्नुसार, इस मामले में विचारण आरंभ किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 27 अगस्त, 2013 को पारित अपने आदेश द्वारा उक्त सेशन मामला सं. 190/2013 को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ को निपटारे के लिए भेज दिया ।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा कराई जिनकी प्रतिपरीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा की गई । तथापि, प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जुलाई, 2015 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 326/307 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष साबित हो गया है और तद्नुसार उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, इसी कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

7. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् न्यायमित्र सुश्री रीता दास मजूमदार ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्‌वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह प्रकट होता है उसमें बहुत-से विरोधाभास है और यह कि विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अभियुक्त ने ही अपनी पत्नी रेखा सतनामी की हत्या की है जबकि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । विद्‌वान् न्यायमित्र ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने केवल संदेह के आधार पर यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसका शव छिपाया है और यह कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए साक्ष्य की श्रृंखला को, मामला पारिस्थितिक साक्ष्य के अधीन साबित करने के लिए, पूर्ण करने में असफल रहा है । सुश्री मजूमदार ने यह दलील दी है कि चूंकि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है, इसलिए इस न्यायालय को दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए और अभियुक्त-अपीलार्थी को उन्मुक्त करना चाहिए । विद्‌वान् न्यायमित्र ने यह भी दलील दी है कि विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त पर अधिरोपित दंड अत्यंत असमानुपाती है ।

8. तथापि, राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्‌वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बोरनली भूयन ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है और यह कि विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्‌वारा इस मामले के अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट ठीक ही किया है । सुश्री भूयन ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में यह दलील दी है कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

9. अब हम संक्षेप में विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा अभिलिखित साक्ष्य का परिशीलन करेंगे ।

10. विलेज डिफेंस पार्टी के अध्यक्ष मदन सतनामी (अभि. सा. 1) जो इस मामले में इत्तिलाकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य

दिया है कि अभियुक्त अपने मकान के निकट किसी मुस्लिम परिवार के यहां काम करता था और उसे पता चला कि उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है और इस घटना के 5-6 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसके निवास की चौहद्दी में से शव बरामद किया गया है और उसे संदेह हुआ कि वह उसकी पत्नी का है जो इतने समय से लापता चल रही थी और इसीलिए उसने विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्यों को सूचित किया जो वहां पहुंचे और इसके पश्चात् उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस चौकी बामुनबरी को दी और सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने शव खोदकर निकाला और उस समय वह विलेज डिफेंस पार्टी के सभी सदस्यों के साथ वहां मौजूद था और उक्त शव की शनाख्त इन सभी व्यक्तियों की मौजूदगी में अभियुक्त द्वारा की गई । अभियुक्त ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी ने विषपान कर लिया था और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने अपनी पत्नी को यहां दबा दिया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस शव को लेकर पुलिस थाने गई और इसे वहां से शवपरीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज कराई और उसने इस पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त भी की है और यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसकी मौजूदगी में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) तैयार किया गया था जिस पर उसने किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त भी की है ।

10.1 अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि जिस स्थान पर शव को दबाया था वह अभियुक्त के घर से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और उक्त स्थान और भूमि अभि. सा. 1 की है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त की पत्नी के भाग जाने के संबंध में उसे परेश मूरा से पता चला था जो मकान नं. 2, दिगलिया गांव का निवासी है और यह भी पता चला कि अभियुक्त ने लगभग 100 से 200 व्यक्तियों की मौजूदगी में जिनमें पुलिस कार्मिक भी थे, पूछताछ किए जाने पर यह संस्वीकृत किया कि उसकी पत्नी ने विषपान किया है और यह कि उसकी मृत्यु हो जाने पर उसने उसे गड्ढा खोदकर दबा दिया और यह कि उसका निवास स्थान शव बरामद किए जाने के स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी पर है ।

11. जादू सतनामी (अभि. सा. 2) एक कृषक है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त 'बिस्मिल्लाह टी एस्टेट' में मजदूरी करता था जो उसके मकान से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है और यह कि अभियुक्त की एक पत्नी थी जिसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब पुलिस ने अभियुक्त से उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया तो अभियुक्त ने उन्हें बताया कि वह मौजूद नहीं है किंतु इसके पश्चात् पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष यह संस्वीकृत किया कि उसने अपने मकान के निकट गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी को दबा दिया है और इसके पश्चात् मृतका का शव खोदकर बाहर निकाला गया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह उस स्थान पर गया था जब पुलिस शव खोदकर निकाल रही थी और उसे संपूर्ण घटना के बारे में पुलिस से पता चला था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने अभियुक्त के घर से एक कुल्हाड़ी भी बरामद की है जिसे अभिगृहीत किया गया है और इस संबंध में बनाए गए अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए हैं जिनकी उसने शनाख्त की है ।

11.1 अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसे यह नहीं मालूम कि पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कुल्हाड़ी बरामद क्यों की और यह कि उसे यह भी मालूम नहीं है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कुल्हाड़ी अभिगृहीत किए जाने के समय वह मौजूद नहीं था और उसे यह भी मालूम नहीं है कि पुलिस ने अभियुक्त से किस संबंध में पूछताछ की थी ।

12. श्री मगज **उर्फ** मजीला सतनामी (अभि. सा. 3) एक दैनिक श्रमिक है जिसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इस घटना से अवगत नहीं है और यह कि जब वह चाय के बागान में काम करता था तब उसके एक श्रमिक साथी ने उसे बताया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वे सभी दौड़कर घटनास्थल पर शव देखने पहुंचे थे किंतु वह वहां नहीं गया था और अपने घर वापस चला गया था जो कि अभियुक्त के घर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है ।

12.1 प्रतिरक्षा पक्ष ने उक्त अभि. सा. 3 की प्रतिपरीक्षा करने से इनकार किया है ।

13. शिव चरण सतनामी (अभि. सा. 4) एक अन्य साक्षी है जिसने अभिग्रहण प्रक्रिया में भाग लिया है और यह साक्षी भी एक अनुश्रुत साक्षी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सूरजमणि पटनायक की मृत्यु हो गई थी ।

13.1 इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित नहीं किया था और सादे कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए थे और यह कि वह अभियुक्त के घर से अलग रहता है ।

14. अब्दुल रहमान (अभि. सा. 5) एक व्यापारी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इत्तिलाकर्ता को जानता है जो उसी के ग्राम में रहता है और वह अभियुक्त तथा श्रीमती बीना सतनामी को भी जानता है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह बिस्मिल्लाह टी एस्टेट नामक चाय के बागान का स्वामी है जहां अभियुक्त और उसकी पत्नी काम करते थे और उसके लिपिक सुनील सिंह ने उसे बताया कि अभियुक्त सनातन की पत्नी अभियुक्त के घर से दो दिन से लापता है जिसे सुनकर उसने अभियुक्त की पत्नी को तालाश करने के लिए कहा जिस पर इस साक्षी ने यह जवाब दिया कि अभियुक्त ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है । इस मुलाकात के दो दिन बाद यह साक्षी अभियुक्त के घर गया और पूछने पर उसने उसे यह बताया कि उसकी पत्नी अपनी विवाहित पुत्री के घर गई है । इसके पश्चात् इस साक्षी के लिपिक सुनील सिंह ने उसे बताया कि सनातन ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसे सतनामी गांव में एक पुराने कुएं में फेंक दिया है और इसके पश्चात् उक्त अभि. सा. 5 ने जादू सतनामी (अभि. सा. 2) और मदन सतनामी (अभि. सा. 1) जो उसी के ग्राम के रहने वाले हैं, को बुलाया और उनसे इस मामले में पूछताछ की जिन्होंने लिपिक सुनील सिंह द्वारा दी गई जानकारी का समर्थन किया और यह बताया कि सतनाम ने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसे उक्त गांव में दबा दिया है । इसके पश्चात्, उसने सुनील सिंह, मदन और जादू सिंह से चर्चा की और

यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाए और तद्नुसार मदन सतनामी ने पुलिस चौकी बामुनबरी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और अगले दिन पुलिस आई और अन्वेषण आरंभ किया । अभि. सा. 5 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस आई थी, अन्वेषण किया था, अभियुक्त से पूछताछ की थी और इसके पश्चात् उसे गिरफ्तार किया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह उस स्थान पर गया था जहां पर मृतका का शव दबाया गया था और अभियुक्त को उस स्थान पर मौजूद पाया था और जब पुलिस ने उससे शव खोदकर निकालने के लिए मजदूरों को बुलाने के लिए कहा था तब उसने पुलिस से कहा कि वे अभियुक्त से ही शव खोदकर निकालने को कहे और इस प्रक्रम पर पुलिस के निर्देशानुसार उसने अभियुक्त से मालूम किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की जिस पर अभियुक्त ने यह उत्तर दिया कि मृतका उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और इसके पश्चात् अभियुक्त ने शव खोदकर निकाला जो अभियुक्त के घर से लगभग दस क्यूबिट की दूरी पर था । पुलिस ने मृत्युसमीक्षा की और इस संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श-3) तैयार की जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर किए और अपने हस्ताक्षर की शनाख्त भी की है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने यह संस्वीकृत किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या उस स्थान के निकट की थी जहां से उसका शव बहुत-से व्यक्तियों की मौजूदगी में बरामद किया गया है और यह कि अभियुक्त ने पुलिस थाने में यह अपराध संस्वीकृत भी किया है ।

14.1 अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि मृतका कहां गई थी और यह कि उसे तथा अन्य व्यक्तियों को यह संदेह हुआ था कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की है ।

15. डा. नयन मोनी पाठक (अभि. सा. 6) ने तारीख 20 फरवरी, 2013 को मृतका रेखा सतनामी (39 वर्ष की महिला) के शव का शवपरीक्षण किया है जिसके दौरान उन्होंने निम्न क्षतियां पाई हैं :–

"प्लास्टिक शीट में लिपटा हुआ किसी महिला का शव पाया

गया है जो विघटन के प्रक्रम पर है, शव पर वस्त्र पाए गए हैं और उस पर रेत और मिट्टी लगी हुई है और सिर के बाल खींचने पर आसानी से टूट रहे हैं और सिर पर आंशिक रूप से बाल गायब हैं ।

चिकित्सक ने शवपरीक्षण के दौरान मृतका के शव पर निम्न क्षतियां पाईं –

(i) बाएं नितम्ब पर 6 से. मी. × 4 से. मी. माप का गुमटा पाया गया है ;

(ii) बाएं घुटन के नीचे 5 से. मी. की दूरी पर टांग के अग्र भाग में 2 से. मी. × 3 से. मी. माप का गुमटा पाया गया है ;

(iii) विच्छेदन किए जाने पर अग्र-पार्श्विक भाग में 6 से. मी. × 4 से. मी. माप का गुमटा पाया गया है ;

(iv) पार्श्विक कपालास्थि की संधि के निकट बाईं ओर 5 से. मी. की दूरी पर रेखीय अस्थिभंग पाया गया है जिसकी दिशा तिरछी है ;

मस्तिष्कावरण विघटित पाया गया है । यकृत, प्लीहा और वृक्क विघटित पाए गए हैं । वक्ष में अर्द्ध ठोस द्रव्य पाया गया है । अन्य अन्तड़ियां आदि भी विघटित पाई गई हैं ।

15.1 शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 6 ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु उसके सिर में क्षति कारित होने से हुई है और सभी क्षतियां मृत्यु पूर्व की हैं जो किसी कुंद वस्तु से कारित की गई हैं और मृतका की मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने के समय से लगभग 5 से 7 दिन पूर्व हुई है और यह कि मृतका की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-5 है जिसे इस चिकित्सक द्वारा साबित किया गया है और साथ ही इस पर किए गए हस्ताक्षरों की भी पुष्टि की गई है । प्रतिरक्षा पक्ष ने शवपरीक्षण करने वाले इस चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा नहीं की है ।

16. पुलिस उपनिरीक्षक श्री मोहन सेना सिन्हा (अभि. सा. 7) पुलिस थाना तिनखोंग के अधीन आने वाली पुलिस चौकी बामुनबरी का भारसाधक अधिकारी है जिसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया

है कि तारीख 19 फरवरी, 2013 को मदन सतनामी (अभि. सा. 1) ने उसे मौखिक रूप से बताया था कि तारीख 14 फरवरी, 2013 को मकान नं. 2, दिगलिया गांव के निवासी सनातन सतनामी (अभियुक्त) का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था और चूंकि अगले दिन से वह लापता हो गई थी और इत्तिलाकर्ता ने उक्त सनातन से मृतका के बारे में मालूम किया था तब उसने यह जवाब दिया कि मृतका अपनी पुत्री के घर गई है और जब इत्तिलाकर्ता ने उक्त सनातन की पुत्री के घर पर बातचीत की तब उसे पता चला कि सनातन की पत्नी उसकी पुत्री के घर पर नहीं है और इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने सनातन की पत्नी को तलाश करना आरंभ कर दिया और उसे पता चला कि अभियुक्त ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और उसे इत्तिलाकर्ता के चाय के बागान के निकट दबा दिया है ।

16.1 अभि. सा. 7 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त सूचना पुलिस चौकी बामुनबरी में तारीख 19 फरवरी, 2013 को प्रविष्टि सं. 341 के रूप में दर्ज कराई गई और उसने तारीख 20 फरवरी, 2013 को प्रविष्टि सं. 350 के अनुसार उक्त सूचना मामला दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना तिनखोंग के भारसाधक अधिकारी को भेज दी जो प्रदर्श-1 है जिस पर अभि. सा. 7 ने अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है । अभि. सा. 7 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व इत्तिलाकर्ता ने पुलिस चौकी बामुनबरी को अभियुक्त सनातन की पत्नी के लापता होने के बारे में सूचना दी थी जिसे तारीख 19 फरवरी, 2013 को प्रविष्टि सं. 341 के तहत दर्ज किया गया और इसके पश्चात् वह घटनास्थल पर गया, स्थल नक्शा तैयार किया, पुलिस कांस्टेबल को संदिग्ध स्थान पर गड्ढा खोदने के काम पर लगाया गया और उस समय तक अंधेरा हो गया था इसलिए वे अगले दिन प्रात:काल घटनास्थल पर आए और सर्किल अधिकारी की मौजूदगी में शव खोदकर बाहर निकाला गया, मृत्युसमीक्षा की गई और संपूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी भी की गई । उक्त अभि. सा. 7 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अभियुक्त के घर से एक कुल्हाड़ी बरामद की थी, इस संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श-3 तैयार किया, अभियुक्त को उसके घर से तारीख 20 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया और साक्षियों के कथन घटनास्थल पर ही

उसी दिन अभिलिखित किए, शव को मेडिकल अस्पताल, डिब्रूगढ़ शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया ।

16.2 पुलिस उपनिरीक्षक श्री मोहन सेना सिंह (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि इत्तिलाकर्ता मदन सतनामी ने उसे यह बताया था कि उसके चाय का बागान अभियुक्त सनातन के अहाते से 5 मीटर की दूरी पर है जहां बांस की झाड़ी है और एक गड्ढा है जिसमें कूड़ा भरा हुआ है, इस प्रकार उसे अभियुक्त सनातन पर संदेह हुआ और तद्नुसार पुलिस को सूचना दी गई । अभि. सा. 7 ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अन्वेषण पूरा होने और अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् उसने विडियो और सीडी के साथ इस मामले में आरोप पत्र (प्रदर्श-6) प्रस्तुत किया ।

16.3 अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने लगभग 20 व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए थे और किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की है और यह कि चाय का बागान जहां से शव बरामद किया गया है, किसी अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति का है और जिस स्थान से शव बरामद किया गया है वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कई मकान हैं ।

17. शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 6) द्वारा प्रस्तुत किए गए आहत के चिकित्सीय साक्ष्य और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-5) से यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु उसके सिर में क्षति कारित होने से हुई है और सभी क्षतियां मृत्यु पूर्व की प्रतीत होती हैं जो किसी कुंद वस्तु से कारित की गई हैं किंतु आहत की मृत्यु के संबंध में चिकित्सक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह मृत्यु मानव वध है या अन्यथा । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के परिशीलन से यह देखा जा सकता है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जिसने मृतका रेखा सतनामी की हत्या होते हुए देखी है । यह भी देखा गया है कि इत्तिलाकर्ता मदन सतनामी (अभि. सा. 1) ग्राम सुरक्षा दल का अध्यक्ष है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने उन्हें यह बताया था कि उसकी पत्नी ने विषपान कर लिया है और जब उसकी

मृत्यु हो गई तो उसने उसे वहीं दफन कर दिया जहां से उसे खोदकर निकाला गया था । उक्त अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिकथन किया है कि जब अभियुक्त से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी और उसे धमकाया भी गया था तब अभियुक्त ने लगभग 100 से 200 की मौजूदगी में, जिनमें पुलिसकर्मी भी सम्मिलित थे, यह संस्वीकृत किया कि उसकी पत्नी ने विषपान किया था और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसने उसे वहीं दफना दिया जहां से उसे खोदकर निकाला गया है ।

18. जादू सतनामी (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि जब अभियुक्त से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की गई, तब अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि वह वहां मौजूद नहीं है किंतु तत्पश्चात् पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष यह संस्वीकृत किया कि उसने अपनी पत्नी का शव अपने मकान के निकट दफनाया है और इसके पश्चात् मृतका का शव खोदकर निकाला गया ।

19. इसके अतिरिक्त व्यापारी और बिस्मिल्लाह टी एस्टेट, जिसमें अभियुक्त और मृतका दोनों ही काम किया करते थे और जहां से मृतका रेखा सतनामी का शव बरामद किया गया है, के स्वामी अब्दुल रहमान (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर आई, अन्वेषण किया, अभियुक्त से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस के निर्देशानुसार जब उसने अभियुक्त से अपनी पत्नी की हत्या करने का कारण मालूम किया तब अभियुक्त ने यह उत्तर दिया कि मृतका उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी । उक्त अभि. सा. 5 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने यह संस्वीकृत किया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या उस स्थान के निकट की थी जहां से उसका शव बहुत-से लोगों की मौजूदगी में बरामद किया गया है और इस संबंध में अभियुक्त ने पुलिस थाने में संस्वीकृत भी किया है ।

20. इस मामले के अन्वेषण अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के कथनों

की संपुष्टि नहीं की है और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि लगभग 20 व्यक्तियों के कथन अभिलिखित करने के दौरान किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने ही मृतका की हत्या की है । इस मामले के अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की पुन: संवीक्षा करने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उसने इस अपराध को कारित करने के संबंध में संस्वीकृति भी दी है और यह कि मदन सतनामी (अभि. सा. 1) के कथन और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में अन्वेषण किया गया है और इसके पश्चात् मृतका का शव बरामद किया गया है । उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्षी हैं ।

21. यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के पुत्री और दामाद की परीक्षा नहीं कराई है जिनके नामों का उल्लेख इत्तिलाकर्ता मदन सतनामी (अभि. सा. 1) द्वारा किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से यह दिखाई देता है कि मृतका का शव अभियुक्त के घर के निकट अब्दुल रहमान (अभि. सा. 5) के चाय के बागान से बरामद किया गया है जहां अभियुक्त और मृतका दोनों ही काम किया करते थे । मृतका का शव अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन के आधार पर नहीं अपितु पूर्णतया संदेह के आधार पर बरामद किया गया है ।

22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं किंतु मात्र धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन के आधार पर अभियुक्त को तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई संपोषक साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत न किया जाए और मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

23. वर्तमान मामले में हमने यह देखा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का यह दोष कि उसने अपनी पत्नी रेखा सतनामी की हत्या

की है और तत्पश्चात् उसको छिपाया है, संदेह के परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । इस प्रकार हमारी यह राय है कि वर्तमान अपील मंजूर किए जाने योग्य है ।

24. तद्नुसार हम सेशन विचारण मामला सं. 190/2013 में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2015 और तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को पारित क्रमशः दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को अपास्त और अभिखंडित करते हैं ।

25. अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् श्री सनातन सतनामी को जी. आर. मामला सं. 485/2013 के समवर्ती तिनखोंग पुलिस थाने में दर्ज मामला सं. 61/2013 से उद्भूत उक्त सेशन विचारण मामला सं. 90/2013 में उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से उन्मुक्त करते हैं और तद्नुसार दोषमुक्त करते हैं तथा उसे तत्काल निर्मुक्त करते हैं ।

26. केन्द्रीय कारागार, डिब्रूगढ़ के अधीक्षक तथा जेलर को निदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त-अपीलार्थी श्री सनातन सतनामी अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है और/या अन्य कोई बाधा नहीं है, तब उसे तत्काल छोड़े ।

27. रजिस्ट्री विभाग को निदेश दिया जाता है कि सेशन मामला सं. 190/2013 का अभिलेख विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तत्काल वापस भेजें ।

28. इस मामले का निपटारा करने के पूर्व, हम विद्वान् न्यायमित्र तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक दोनों द्वारा मामले के न्यायनिर्णयन में दी गई सहायता की प्रशंसा करते हैं । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, असम, गुवाहाटी पारिश्रमिक के रूप में विद्वान् न्यायमित्र सुश्री रीता दास मजूमदार को 7,500/- रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

मीठा दीवान

बनाम

राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 528)

तारीख 12 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 120ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और आपराधिक षड्यंत्र – मृतक के कृत्य से क्रुद्ध होकर अपीलार्थी द्वारा हत्या किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – विश्वसनीयता – अभियुक्त और सह-अभियुक्त के बीच मृतक की हत्या किए जाने का षड्यंत्र – इत्तिलाकर्ता द्वारा नामित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की परीक्षा न कराना – अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अस्वाभाविक पाया जाना – मूक और वधिर साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभास – इत्तिलाकर्ता ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के नाम का उल्लेख किया है किंतु उक्त साक्षी की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए पूर्णतया घातक है तथा साथ ही मूक और वधिर साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभास पाया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मृतक और धनलक्ष्मी नाम की एक महिला एक-दूसरे से प्रेम करने लगे जिसके फलस्वरूप धनलक्ष्मी के पिता ने अपनी पुत्री को अपने एक नातेदार के घर छोड़ दिया । जब उक्त धनलक्ष्मी बीमार होने के कारण अपने पैतृक गृह वापस आई, तब उसके घर वापस आने की सूचना पाकर मृतक धनलक्ष्मी के घर आया और उसके नातेदारों, परिचितों तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसे बलपूर्वक वहां से ले गया । तत्पश्चात्, इस मामले में का अपीलार्थी मृतक के कृत्य से क्रुद्ध हो गया और उसने मृतक से छुटकारा पाने के लिए अभियुक्त-1 के साथ षड्यंत्र रचा । तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न लगभग 1.30 बजे

अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने मृतक पर हमला किया और उन्होंने अरूवल से मृतक पर अंधाधुंध वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं और तदद्वारा उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । मृतक के पिता (अभि. सा. 1) को उसके पुत्र की हत्या में अभियुक्तों के अंतर्वलित होने का संदेह हुआ और उसने तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की । अभि. सा. 1 से प्राप्त की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 147, 148 और 302 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) दर्ज की गई और संशोधित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) तैयार किए जाने पर कारित अपराध धारा 302 के अधीन ही रखा गया । विस्तार से अन्वेषण किए जाने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुदुक्कोट्टई के समक्ष दंड संहिता की धारा 120ख और धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र (पी. आर. सी. सं. 29/2014) प्रस्तुत किया गया जिसे तत्पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अनुसार सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 17 साक्षियों की परीक्षा कराई और 22 दस्तावेज चिह्नांकित किए तथा 13 तात्विक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया और अभियुक्त की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई और न ही कोई दस्तावेज चिह्नांकित किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से प्रश्न पूछे गए जिसके दौरान उसने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् अभियुक्त को उपरोक्त अपराध का दोषी पाया तथा उसे ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की ओर से सबसे महत्वपूर्ण दलील यह दी गई है कि अपीलार्थी को इस अपराध में मिथ्या फंसाया गया है जो अभि.

सा. 1 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से स्पष्ट है । इस शिकायत पर सरसरी नजर डालने से यह साबित होता है कि अभिकथित घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी को कदाचित नामित नहीं किया गया है और यह पता नहीं चल सका है कि पुलिस ने अपीलार्थी को इस घटना में कैसे आलिप्त किया । इस न्यायालय को अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभि. सा. 1 का अभिसाक्ष्य समाचार-पत्र में छपी हुई रिपोर्ट की भांति है और अभि. सा. 1 द्वारा कोई भी ठोस साक्ष्य अभियुक्त को अभिकथित घटना से संबद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है । पुलिस ने भी अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि अन्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य से करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और आजीवन कारावास जैसा दंड किसी भी ठोस और सारभूत साक्ष्य के अभाव में और मात्र उपधारणा के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता । अभि. सा. 1 ने कई स्थानों पर अरूण विनोद के नाम का उल्लेख किया है किन्तु साक्षियों के नामों की सूची में उसका नाम नहीं पाया गया है और ऐसा किसलिए किया गया है यह अभियोजन पक्ष को ही बेहतर मालूम होगा । अभि. सा. 5 एक ऐसा मुस्लिम है जिसने धर्म परिवर्तन किया है, इस साक्षी ने, यद्यपि, यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को मृतक पर अरूवल से हमला करते हुए देखा है फिर भी यह अत्यंत अकाल्पनिक और आश्चर्यजनक है कि पूर्वाह्न 1.30 बजे घटना देखने के पश्चात् वह अपनी दिनचर्या के अनुसार अरूण विनोद के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर गया और उसने मृतक की हत्या के बारे में उसके माता-पिता को पूर्वाह्न 6.00 बजे ही बताया । यदि वह मृतक और उसके माता-पिता को नहीं जानता था तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना के तत्काल पश्चात् उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी । इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में भी अरूण विनोद के नाम का उल्लेख किया है और उक्त अरूण विनोद की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए पूर्णतया घातक है । हम तकनीकी के विकसित युग में चल रहे हैं और अभि. सा. 5 मृतक के माता-पिता को कम से कम फोन पर बता सकता था और इस प्रकार अभियोजन पक्ष के लिए युक्तियुक्त संदेह के

परे अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या साबित करने हेतु फोन-कॉल का ब्यौरा प्राप्त करना सरल होता । अत: अभि. सा. 5 का वृत्तांत तनिक भी विश्वसनीय और संतोषजनक नहीं है और यह पूर्णतया खारिज किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में केवल अभि. सा. 5 एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसका साक्ष्य न्यायालय की दृष्टि में विश्वासोत्पादक नहीं है । अत: इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संपुष्टि पर विचार करे । अन्तिम राय के अनुसार स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु मूल रक्त-वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने जैसी अनेक क्षतियों के परिणामस्वरूप हुई है । शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने यह उपदर्शित किया है कि ऐसी मृत्यु अधिक रक्त बह जाने के कारण होती है और ऐसा तभी होता है जब शरीर पर अनेक क्षतियां कारित की गई हों । निस्संदेह यह सत्य है कि मृतक की हत्या उस पर अंधाधुंध हमला करके की गई है किंतु ऐसा तनिक भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त ने हत्या की है क्योंकि इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे इस संबंध में साबित नहीं किया है कि मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी ही वास्तव में जिम्मेदार है । मृतक की माता (अभि. सा. 2) की प्रतिपरीक्षा से यह पता चलता है कि मृतक के विरुद्ध बहुत-से मामले लंबित हैं और यद्यपि अभि. सा. 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि ये सभी मामले मिथ्या हैं, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के विरुद्ध कोई भी मामला लंबित नहीं है । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि मृतक पुराना अपराधी था और उसके विरुद्ध ट्रिची और मदुरई दोनों ही स्थानों पर आपराधिक मामले चल रहे थे । अत: हमारी सुविचारित राय में पुलिस वास्तविक अपराधी को पकड़ने में असफल रही है और अभिकथित घटना में अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया गया है । यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में बहुत-से साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन पक्षकथन निर्बल हो गया है, अत: अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए । उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य

सत्य प्रतीत नहीं होता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन का प्रयोग अभियोजन पक्षकथन में आई कमियों को दूर करते हुए अभियुक्त का दोष साबित करने में नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी परिपाटी को अनुज्ञात किया जाता है तब सभी मामलों में केवल दोषसिद्धि ही की जाएगी जबकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सत्य का पता लगाए और साथ ही यही कर्तव्य पुलिस का भी है । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, अत: अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा । इस प्रकार हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है । (पैरा 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 2 एम. एल. जे. (क्रिमिनल) 496 : **चिन्नादुराई और अन्य** बनाम **राज्य** ;	15
[1998]	ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2820 : **पंडित रामप्रकाश शर्मा** बनाम **खरैती लाल** ।	19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 528.

2014 के सेशन मामला सं. 124 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश और ई. सी. न्यायालय पुदुक्कोट्टई, तमिलनाडु द्वारा तारीख 19 मई, 2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री के. बालासुन्दरम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. चन्द्रशेखर (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने दिया ।

न्या. वैद्यनाथन – अपीलार्थी (अभियुक्त-2) ने यह अपील 2014 के सेशन मामला सं. 124 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, पुदुक्कोट्टई, तमिलनाडु द्वारा तारीख 19 मई, 2015 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की है कि वह जिसके द्वारा अपीलार्थी को निम्न रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

क्रम सं.	अभियुक्त की क्रम सं.	अपराध जिसके लिए दोषसिद्ध किया गया है	कारावास की अवधि	जुर्माने की राशि
1.	अभियुक्त-2	दंड संहिता की धारा 120ख	दो वर्ष का कठोर कारावास	- - -
		दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302	आजीवन कारावास	10,000/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का कठोर कारावास

2. विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश और ई. सी. न्यायालय पुदुक्कोट्टई के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक अपील प्रस्तुत की है । अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय ने तारीख 17 जनवरी, 2018 के अपने आदेश द्वारा कारावास के सारभूत दंडादेश को निलंबित कर दिया और तदद्वारा अब अपीलार्थी जमानत पर है ।

3. आरंभ में दो अभियुक्तों के विरुद्ध निचले न्यायालय के समक्ष विचारण किया गया और विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त-1 की मृत्यु हो गई और उसके विरुद्ध आरोप उपशमित कर दिए गए ।

4. **अभियोजन पक्षकथन**

मृतक और धनलक्ष्मी नाम की एक महिला एक-दूसरे से प्रेम करने लगे जिसके फलस्वरूप धनलक्ष्मी के पिता ने अपनी पुत्री को अपने एक नातेदार के घर छोड़ दिया । जब उक्त धनलक्ष्मी बीमार होने के कारण अपने पैतृक गृह वापस आई, तब उसके घर वापस आने की सूचना पाकर मृतक धनलक्ष्मी के घर आया और उसके नातेदारों, परिचितों तथा अन्य अभियुक्तों द्‌वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसे बलपूर्वक वहां से ले गया । तत्पश्चात्, इस मामले में का अपीलार्थी मृतक के कृत्य से क्रुद्ध हो गया और उसने मृतक से छुटकारा पाने के लिए अभियुक्त-1 के साथ षड्‌यंत्र रचा ।

4.1 तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाहन लगभग 1.30 बजे अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने मृतक पर हमला किया और उन्होंने अरूवल से मृतक पर अंधाधुंध वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं और तदद्‌वारा उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । मृतक के पिता (अभि. सा. 1) को उसके पुत्र की हत्या में अभियुक्तों के अंतर्वलित होने का संदेह हुआ और उसने तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाहन लगभग 6.45 बजे पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 13) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की । अभि. सा. 1 से प्राप्त की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 147, 148 और 302 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) दर्ज की गई और संशोधित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) तैयार किए जाने पर कारित अपराध धारा 302 के अधीन ही रखा गया ।

5. विस्तार से अन्वेषण किए जाने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुदुक्कोट्टई के समक्ष दंड संहिता की धारा 120ख और धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र (पी. आर. सी. सं. 29/2014) प्रस्तुत किया गया जिसे तत्पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अनुसार सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के

लिए कुल मिलाकर 17 साक्षियों की परीक्षा कराई और 22 दस्तावेज चिह्नांकित किए तथा 13 तात्विक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया और अभियुक्त की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई और न ही कोई दस्तावेज चिह्नांकित किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से प्रश्न पूछे गए जिसके दौरान उसने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् अभियुक्त को उपरोक्त अपराध का दोषी पाया तथा उसे ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध किया ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यद्यपि अभि. सा. 1 ने अभिकथित घटना में अपीलार्थी को छोड़कर पांच व्यक्तियों को नामित किया है, यह पता नहीं चल सका है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की सूची में से अपीलार्थी का नाम क्यों हटाया है । अभिकथित घटना में अपीलार्थी को आलिप्त करने के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी ठोस कारण या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है ।

6.1 अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि चूंकि धनलक्ष्मी के भाई ने, जो मूक और वधिर है, यह घटना देखी है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने सरकारी माध्यमिक (मूक-वधिर) विद्यालय, पुदुक्कोट्टई की प्रधान अध्यापिका (अभि. सा. 11) के साक्ष्य का अवलंब लिया है जिसने धनलक्ष्मी के भाई से पुलिस निरीक्षक की मौजूदगी में मूक-वधिर भाषा के आधार पर पूछताछ की है और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) प्रस्तुत की है । उक्त रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 119 के अधीन अग्राह्य है क्योंकि मूक-वधिर साक्षी की परीक्षा विधि के अनुसरण में न्यायालय में की जानी चाहिए थी ।

6.2 अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसे पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई थी कि इस मामले में के अपीलार्थी द्वारा उसके पुत्र की हत्या की गई है, अतः यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन

का संपूर्ण पक्षकथन अनुमान और अटकलों पर आधारित है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा यह दावा किया गया है कि इस घटना के कुछ घंटों पूर्व धनलक्ष्मी ने उनके पुत्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में उनसे फोन पर शिकायत की थी किंतु इस तथ्य को साबित करने के लिए उस सेलफोन को अभिगृहीत नहीं किया गया है जिसका प्रयोग धनलक्ष्मी ने यह शिकायत करने के लिए किया था और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 से इस सेलफोन के प्रयोग से संबंधित कोई भी कॉल-हिस्ट्री प्राप्त नहीं की गई है जो कि अभियोजन पक्ष के लिए घातक है ।

6.3 अंत में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कोई भी तालमेल नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह साबित नहीं किया गया है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी ने ही की है ।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 5 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि अपीलार्थी ने ही अरूवल से मृतक की गर्दन पर हमला किया है और उक्त साक्ष्य पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 16) के साक्ष्य तथा शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि मृतक की मृत्यु केवल क्षतियों के कारण ही हुई है । अत: विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने अंत में यह दलील दी है कि निचले न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है और ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ने हत्या कारित की है और यह मामला पूरी तरह दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आता है ।

8. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दलील देते हुए यह सार व्यक्त किया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष संदेह के परे साबित कर

दिया है और चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी अरूवल से मृतक पर हमला करने का परिणाम भली-भांति जानता था और फिर भी उसने उस पर हमला किया इसलिए वह इस न्यायालय द्‌वारा की जाने वाली किसी भी रियायत के लिए हकदार नहीं है और यह अपील खारिज की जानी चाहिए ।

9. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है ।

10. अपीलार्थी की ओर से सबसे महत्वपूर्ण दलील यह दी गई है कि अपीलार्थी को इस अपराध में मिथ्या फंसाया गया है जो अभि. सा. 1 द्‌वारा दर्ज कराई गई शिकायत से स्पष्ट है । इस शिकायत पर सरसरी नजर डालने से यह साबित होता है कि अभिकथित घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्‌वारा अपीलार्थी को कदाचित नामित नहीं किया गया है और यह पता नहीं चल सका है कि पुलिस ने अपीलार्थी को इस घटना में कैसे आलिप्त किया । संक्षिप्तता के लिए उक्त शिकायत का सुसंगत भाग निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :

(प्रकाशक द्‌वारा उक्त भाग का लोप किया गया है)

11. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभि. सा. 1 ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के लिए अन्य अभियुक्तों का साथ दिया है और यह कि अभियोजन पक्ष के पास तनिक भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त का दोष सिद्ध हो सके । संपूर्ण मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभि. सा. 1 द्‌वारा शिकायत में जिन व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है उन्हीं व्यक्तियों की परीक्षा अपना पक्षकथन प्रबलित करने के लिए साक्षी के रूप में कराई गई है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्न प्रकार अभिसाक्ष्य दिया है :

(प्रकाशक द्‌वारा उक्त भाग का लोप किया गया है)

12. इस न्यायालय को अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभि. सा. 1 का अभिसाक्ष्य समाचारपत्र में

छपी हुई रिपोर्ट की भांति है और अभि. सा. 1 द्वारा कोई भी ठोस साक्ष्य अभियुक्त को अभिकथित घटना से संबद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है । पुलिस ने भी अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि अन्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य से करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और आजीवन कारावास जैसा दंड किसी भी ठोस और सारभूत साक्ष्य के अभाव में और मात्र उपधारणा के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता । अभि. सा. 1 ने कई स्थानों पर अरूण विनोद के नाम का उल्लेख किया है किन्तु साक्षियों के नामों की सूची में उसका नाम नहीं पाया गया है और ऐसा किसलिए किया गया है यह अभियोजन पक्ष को ही बेहतर मालूम होगा ।

13. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्य का दृढ़तापूर्वक अवलंब लिया है और इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान निम्न कथन किया है :

(प्रकाशक द्वारा उक्त भाग का लोप किया गया है)

14. अभि. सा. 5 एक ऐसा मुस्लिम है जिसने धर्म परिवर्तन किया है, इस साक्षी ने, यद्यपि, यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को मृतक पर अरूवल से हमला करते हुए देखा है फिर भी यह अत्यंत अकाल्पनिक और आश्चर्यजनक है कि पूर्वाह्न 1.30 बजे घटना देखने के पश्चात् वह अपनी दिनचर्या के अनुसार अरूण विनोद के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर गया और उसने मृतक की हत्या के बारे में उसके माता-पिता को पूर्वाह्न 6.00 बजे ही बताया । यदि वह मृतक और उसके माता-पिता को नहीं जानता था तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना के तत्काल पश्चात् उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी । इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में भी अरूण विनोद के नाम का उल्लेख किया है और उक्त अरूण विनोद की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए पूर्णतया घातक है । हम तकनीकी के विकसित युग में चल रहे हैं और अभि. सा. 5 मृतक के माता-पिता को कम से कम फोन पर बता सकता था और इस प्रकार अभियोजन पक्ष के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या साबित करने हेतु फोन-कॉल का

ब्यौरा प्राप्त करना सरल होता । अत: अभि. सा. 5 का वृत्तांत तनिक भी विश्वसनीय और संतोषजनक नहीं है और यह पूर्णतया खारिज किया जाना चाहिए ।

15. वर्तमान मामले में केवल अभि. सा. 5 एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसका साक्ष्य न्यायालय की दृष्टि में विश्वासोत्पादक नहीं है । अत: इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संपुष्टि पर विचार करे । इस समागम पर, **चिन्नादुराई और अन्य** बनाम **राज्य**[1] (2011 की दांडिक अपील सं. 455) वाले मामले में तारीख 12 फरवरी, 2015 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (जिसमें हम में से एक न्यायमूर्ति एस. विद्यानाथन भी थे) का अवलंब लेना सुसंगत होगा । इस निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "11. कुल मिलाकर हमारी सुविचारित राय यह है कि घटनास्थल पर अभि. सा. 1 की मौजूदगी स्वयं में संदिग्ध है क्योंकि उपरोक्त विलंब के लिए कोई भी समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जबकि साक्षी ने यह कथन किया है कि वह संयोग से घटनास्थल पर मौजूद था ।
>
> 12. इस समागम पर अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आंशिक रूप से विश्वसनीय होता है तब प्रज्ञा के नियम के अधीन यह अपेक्षित है कि स्वतंत्र स्रोतों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साक्ष्य की संपुष्टि होनी चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने वेदीवेलु तेवर **बनाम** मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 12 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है –
>
> ...
>
> 11. इन मताभिव्यक्तियों को दृष्टिगत करते हुए हमें यह

[1] (2016) 2 एम. एल. जे. (क्रिमिनल) 496.

अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि यह दलील व्यापक रूप से दी गई है कि हत्या के मामले में न्यायालय को साक्षियों की बहुलता पर विचार करना चाहिए । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अधीन स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया गया है कि "किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी" । विधान-मंडल ने वर्ष 1872 के पश्चात् अधिनियम के फायदे और नुकसान पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् यह सुनिश्चित किया है कि किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है । इंग्लैंड में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने के पूर्व और पश्चात् कई कानून विरचित किए गए हैं जैसा कि विद्वान् लेखक सरकार द्वारा लिखित पुस्तक "सरकार्स-I लॉ ऑफ एविडेंस 9वां संस्करण के पृष्ठ 1100 और 1101 पर ऐसी दोषसिद्धि को मना किया है जो मात्र एक साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर की जाती है । भारतीय विधानमंडल ने ऊपर कोट की गई धारा 134 में व्यक्त किए गए सामान्य नियम के अपवाद के रूप में अधिकथित किए जाने पर बल नहीं दिया है । इस धारा के अधीन जाने-पहचाने सिद्धांतवाक्य का अनुमोदन किया है कि "साक्ष्य की महत्ता पर विचार करना चाहिए न कि उसकी गिनती पर" । हमारे विधान-मंडल ने कानून की दृष्टि से इस तथ्य का अनुमोदन किया है कि न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी यदि साक्षियों की संख्या नियत किए जाने पर बल दिया जाए । कभी-कभी ऐसा होता है कि अपराध केवल एक साक्षी की मौजूदगी में कारित होता है और अपराधी का दोष पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है । यदि विधान-मंडल ने साक्षियों की बहुलता पर बल दिया होता तब ऐसे मामलों में दोषी को दंड दिया ही नहीं जा सकता था जिनमें केवल एक साक्षी होता है । ऐसी स्थिति में पीठासीन न्यायाधीश का विवेकाधिकार सामने आता है । इस प्रकार प्रत्येक मामला अपने पारिस्थितिक साक्ष्य पर ही आधारित होता है और केवल एक साक्षी

के परिसाक्ष्य के आधार पर भी मामले का निर्णय दिया जा सकता है चाहे परिसाक्ष्य स्वीकार किया जाए या रद्द किया जाए । यदि न्यायालय ऐसे परिसाक्ष्य को पूर्णतया विश्वसनीय पाता है, तब ऐसे सबूत के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना तनिक भी विधि विरुद्ध नहीं होगा । अभियुक्त का दोष, मात्र एक साक्षी के परिसाक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है, अभियुक्त की निर्दोषिता भी अकेले एक साक्षी के साक्ष्य से सिद्ध की जा सकती है, फिर भी अभियोजन के लिए मामले की सच्चाई का पता लगाने हेतु बड़ी संख्या में साक्षियों की परीक्षा कराई जाती है । इस प्रकार हमारी राय में विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए न्यायालय को साक्ष्य की मात्रा पर नहीं अपितु उसकी गुणवत्ता को विचार में लेना चाहिए । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में मौखिक साक्ष्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं –

(1) पूर्णतया विश्वसनीय

(2) पूर्णतया अविश्वसनीय

(3) न तो पूर्णतया विश्वसनीय और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय ।

12. पहली श्रेणी में न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, या तो न्यायालय एकमात्र साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध कर सकता है या साक्ष्य के संदिग्ध, हितबद्ध, अयोग्य और सिखाए-पढ़ाए होने के आधार पर दोषमुक्त कर सकता है । दूसरी श्रेणी में भी न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है । तीसरी श्रेणी में ऐसे मामले आते हैं जिनमें न्यायालय को बड़ी सावधानी से विचार करना होता है और विश्वसनीय परिसाक्ष्य, प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण विशिष्टियों के साथ संपुष्टि को लेकर विचार करना होता है । अत्यधिक साक्षियों की परीक्षा कराने में एक खतरा और रहता है । एकमात्र साक्षी के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के

बावजूद यदि न्यायालय किसी तथ्य को साबित करने के लिए अधिक साक्षियों की परीक्षा कराए जाने पर बल देता है, तब इससे साक्षियों के सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना बनी रहेगी । ऐसी परिस्थितियां भी सामने आती हैं जिनमें किसी विवादित तथ्य को साबित करने के लिए केवल एक व्यक्ति का साक्ष्य ही उपलब्ध होता है (2017 की दांडिक अपील सं. 528) । न्यायालय को वास्तव में ऐसे परिसाक्ष्य का मूल्यांकन कड़ी सावधानी से करना चाहिए और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय और ऐसी त्रुटियों से परे है जिनसे ऐसे साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य का अवलंब ले । ऐसे बहुत-से पूर्व निर्णय हैं जिनमें न्यायालय को अभियोजन पक्ष के समर्थन में मात्र एक साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब लेना पड़ा है इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि लैंगिक अपराधों या इकबाली साक्षी के परिसाक्ष्य के संबंध में किया जाता है ; ऐसे दोनों ही मामलों में मौखिक परिसाक्ष्य की प्रकृति संदिग्ध हो सकती है क्योंकि साक्षी ने अपराध कारित करने में भाग लिया होता है । किंतु, जहां ऐसे आपवादिक कारण न हों वहां दोषसिद्ध करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है, परंतु तब जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय है अत: हमें प्रथम साक्षी के साक्ष्य को अभिखंडित करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जो कि अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय साक्षी है ।

13. इस सिद्धांत को लागू करते हुए यदि हम अभि. सा. 1 के साक्ष्य का विश्लेषण करें, तब यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्त के मामले में इस साक्षी को अविश्वसनीय ठहराया है जिसको दोषमुक्त किया गया है और इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य आंशिक रूप से विश्वसनीय है । स्वीकृतत: अन्य किसी भी साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है । कुल मिलाकर इस साक्षी का साक्ष्य न्यायालय की दृष्टि में तनिक भी

विश्वासोत्पादक नहीं है । इस न्यायालय को घटनास्थल पर अभि. सा. 1 की मौजूदगी को लेकर घोर संदेह है । जैसा कि हमने पहले ही इंगित किया है, इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संदिग्ध दस्तावेज है । इस मामले में वास्तविक सूचना को छिपाया गया है । इस प्रकार अभि. सा. 1 का साक्ष्य संवीक्षा के दौरान खरा नहीं पाया गया है । इन सभी कारणों के आधार पर हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । अत: अपीलार्थी दोषमुक्ति के हकदार हैं ।”

16. अभियुक्त को घटना से संबद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अगला साक्ष्य सरकारी माध्यमिक (मूक-वधिर) विद्यालय, पुडुकोट्टई की प्रधानाध्यापिका (अभि. सा. 11) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) है जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मुरूगेसन नाम के व्यक्ति ने, जो धनलक्ष्मी का भाई है, सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताया है कि हत्या की घटना किस प्रकार घटित हुई थी क्योंकि यह साक्षी मूक और वधिर है । इस रिपोर्ट में इस साक्षी ने उक्त मुरूगेसन का वृत्तांत निम्न प्रकार स्पष्ट किया है :–

(प्रकाशक द्वारा उक्त पाठ का लोप किया गया है)

17. इस प्रक्रम पर यह न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों पर गहराई से विचार करना चाहेगा विशेषकर इस अधिनियम की धारा 119 पर जो निम्न प्रकार है :–

> “धारा 119 – मूक साक्षी – वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा किंतु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे । इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा ।”

18. उपरोक्त उपबंध के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जो सुनने और बोलने में असक्षम है,

न्यायालय के समक्ष सांकेतिक भाषा के माध्यम से, न कि उक्त उपबंध के प्रतिकूल पुलिस द्वारा चुने गए स्थान पर, प्राप्त किया जाना चाहिए । अभि. सा. 11 के साक्ष्य में इस रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को मात्र दोहराया ही गया है जिसका प्रयोग उसकी स्मरण शक्ति को साबित करने के लिए किया जा सकता है किंतु अभियुक्त का दोषसिद्ध करने के लिए ऐसा साक्ष्य सहायक और पर्याप्त नहीं है । अत: अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में बल है कि अभि. सा. 11 का साक्ष्य प्रभावी नहीं है, तद्नुसार यह खारिज किया जाता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्य और धनलक्ष्मी के भाई से प्राप्त अभि. सा. 11 की रिपोर्ट में बहुत-से विरोधाभास हैं । धनलक्ष्मी के भाई ने, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह घटनास्थल पर पूरी तरह मौजूद था, अपीलार्थी के नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है जबकि अभि. सा. 5 का कथन इससे अन्यथा है । इसी प्रकार, धनलक्ष्मी के भाई ने यह कथन किया है कि झगड़ा आरंभ होने के पश्चात् वह अपनी बहिन के साथ वहां से चला गया था किंतु अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि धनलक्ष्मी उस स्थान से उस समय दूर खड़ी हुई थी जब हत्या की घटना हुई थी । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि इन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में कोई भी संपुष्टि नहीं है ।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंडित रामप्रकाश शर्मा** बनाम **खरैती लाल**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्षियों के साक्ष्य में असंभाव्यताएं दिखाई देती हैं तब ये अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो जाती हैं । इस निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :–

> "4. सुभाष चन्द्र और गोविन्द राम के साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि यद्यपि वे चारों अभियुक्तों को पहले से जानते थे और सुभाष चन्द्र तथा अभियुक्त रमेश कुमार को दोनों साक्षियों द्वारा उनके पूर्ववर्ती कथन में, जो उन्होंने (दंड

[1] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2820.

प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन) पुलिस को दिया था, नामित नहीं किया गया था और न ही चिकित्सक को दिए गए कथन में इन अभियुक्तों को नामित किया गया था । हमारा यह भी निष्कर्ष है कि मृतक के शरीर पर पाई गई शेष 8 क्षतियां साइकिल से गिरने पर कारित होने वाली क्षतियों जैसी प्रतीत नहीं होती हैं । इस प्रकार इन क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है कि यदि अभियुक्त कालिया ने मृतक को उसी प्रकार पकड़ा होता जिस प्रकार साक्षियों द्वारा बताया गया है तब खरैती लाल के लिए यह संभव न होता कि वह मृतक पर अभिकथित रूप से प्राणघातक हमला कर पाता । यदि साक्षियों द्वारा व्यक्त की गई ऐसी असंभाव्यताओं और किए गए सुधारों को दृष्टिगत किया जाए, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया गया है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत युक्तियुक्त नहीं है और यह कि इस मत में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है ।

5. अत: यह अपील खारिज की जाती है ।"

20. साथ ही इस न्यायालय को इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि यद्यपि पुलिस संदेह के परे अभियोजन पक्षकथन साबित करने में असफल रही है, फिर भी इस न्यायालय का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह शवपरीक्षण प्रमाणपत्र का परिशीलन करे जिसे प्रदर्श पी-13 के रूप में चिह्नांकित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अरूवल से हमला करने से मृत्यु हुई है या अन्य किसी तरीके से मृत्यु कारित की गई है और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक अर्थात् डा. रोयप्पन कुमार (अभि. सा. 16) ने तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे शवपरीक्षण किया था और निम्न क्षतियां पाईं :-

शनाख्त और जाति चिह्न

(1) बाएं घुटने पर चिह्न

(2) दाएं घुटने के ऊपर चिहन

(3) ए. बी. एम. (बायां) ग्लिप्टल क्षेत्र

तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा शव सबसे पहले देखा गया । शव की शव-परीक्षा तारीख 16 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आरंभ की गई ।

बाह्य रूप से शव की दिखावट निम्न प्रकार है :–

"शवपरीक्षण किए जाने के स्थान पर शव-परीक्षा के लिए पुरुष व्यक्ति का शव रखा हुआ पाया गया है । शव की शनाख्त उस पर पाए गए चिहनों से की गई है । बाह्य परीक्षण से पीछे की ओर विकृति प्रतीत होती है ।

(1) 2.5 से. मी. × 1.0 से. मी. × 1.5 से. मी. माप का कटाव पाया गया है जो बाएं जबड़े पर है । अवअधोहनुज पर

(2) 7.5 से. मी. × 1.0 से. मी. माप की खरोंच पाई गई है ।

(3) ठोड़ी पर अंग्रेजी अक्षर एम-आकृति का कटाव पाया गया है ।

(4) बाएं कंधे पर 2.5 से. मी. × 2.5 से. मी. × 1.5 से. मी. माप का कटाव पाया गया है ।

(5) बाईं हंसुली पर 8 से. मी. × 4 से. मी. माप की खरोंच पाई गई है जो हंसुली के एक तिहाई भाग पर है ।

(6) 11 से. मी. × 5 से. मी. माप की क्षति ग्रीवा पर कारित पाई गई है ।

(7) 23 से. मी. × 8 से. मी. × 11 से. मी. माप की विकृत क्षति ग्रीवा के मध्य और पार्श्विक भाग में पाई गई है जो श्वास नली और भोजन नली तक फैली हुई है और कैरोटिड वाहिनियां मांसपेशियों के साथ कटी हुई पाई गई हैं । वल्कुटीय अस्थि में कटाव है जिसका तीसरा और चौथा खंड क्षतिग्रस्त है और इस

स्थान पर श्वास नली कटी हुई पाई गई है और ग्रीवा का केवल पिछला भाग त्वचा से जुड़ा रह गया है ।

आंतरिक परीक्षा से पेरीटोनियल रिक्त प्रतीत होता है, यकृत का रंग काला है, उदर पीले रंग का है जिसमें सी-3 और सी-4 के स्थान पर मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त पाई गई है ।"

21. अन्तिम राय के अनुसार स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु मूल रक्त-वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने जैसी अनेक क्षतियों के परिणामस्वरूप हुई है । शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने यह उपदर्शित किया है कि ऐसी मृत्यु अधिक रक्त बह जाने के कारण होती है और ऐसा तभी होता है जब शरीर पर अनेक क्षतियां कारित की गई हों । निस्संदेह यह सत्य है कि मृतक की हत्या उस पर अंधाधुंध हमला करके की गई है किंतु ऐसा तनिक भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त ने हत्या की है क्योंकि इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे इस संबंध में साबित नहीं किया है कि मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी ही वास्तव में जिम्मेदार है ।

22. मृतक की माता (अभि. सा. 2) की प्रतिपरीक्षा से यह पता चलता है कि मृतक के विरुद्ध बहुत-से मामले लंबित हैं और यद्यपि अभि. सा. 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि ये सभी मामले मिथ्या हैं, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के विरुद्ध कोई भी मामला लंबित नहीं है । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि मृतक पुराना अपराधी था और उसके विरुद्ध ट्रिची और मदुरई दोनों ही स्थानों पर आपराधिक मामले चल रहे थे । अत: हमारी सुविचारित राय में पुलिस वास्तविक अपराधी को पकड़ने में असफल रही है और अभिकथित घटना में अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया गया है ।

23. यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में बहुत-से साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन पक्षकथन निर्बल हो गया है, अत: अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए । उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता

है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के कथन का प्रयोग अभियोजन पक्षकथन में आई कमियों को दूर करते हुए अभियुक्त का दोष साबित करने में नहीं किया जा सकता और यदि ऐसी परिपाटी को अनुज्ञात किया जाता है तब सभी मामलों में केवल दोषसिद्धि ही की जाएगी जबकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सत्य का पता लगाए और साथ ही यही कर्तव्य पुलिस का भी है ।

24. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, अत: अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा । इस प्रकार हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है ।

25. परिणामत: 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 124 में तारीख 19 मई, 2015 को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश और इसी न्यायालय, पुडुकोट्टई द्वारा पारित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी अर्थात् अभियुक्त-2 को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । तदनुसार, यह दांडिक अपील मंजूर की जाती है और अपीलार्थी द्वारा निष्पादित जमानत-पत्र रद्द किए जाते हैं और यदि अपीलार्थी द्वारा किसी जुर्माने का संदाय किया गया है तो उसे उसका प्रतिदाय किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

राजगोपाल सक्सेना*

बनाम

राजस्थान राज्य

(2019 का अग्रिम जमानत आवेदन सं. 12369)

तारीख 14 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 – द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का फाइल किया जाना – क्या न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के उपरांत गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाने के पश्चात् अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र फाइल किया जा सकता है – न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उसकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

वर्तमान प्रकीर्ण द्वितीय आवेदन का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त और परिवादी तथा अभियुक्त की पत्नी एक ही संस्था में कार्यरत थे और अभिकथित रूप से परिवादी को यह जानकारी थी कि अभियुक्त विवाहित है, फिर भी दोनों के बीच परस्पर संबंध बने, जिनके संबंध में परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । तदुपरांत अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया कि अभियुक्त तारीख 27 अगस्त, 2019 तक या इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करे । किन्तु अभियुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । इसी दौरान थानाधिकारी द्वारा सेशन

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

न्यायालय में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376 के अधीन अंतिम आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर सेशन न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकृत रूप से पूर्व में प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रथम जमानत के प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2019 को करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया था – "ऐसी स्थिति में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 अगस्त, 2019 तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश व पूर्व में पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना प्रार्थी व परिवादी को सुनकर गुणागुण पर जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे ।" उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की पोषणीयता बाबत जो एतराज लिए गए हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोषणीयता के बिन्दु को तय करते हुए इस न्यायालय द्वारा पुनः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिए जाने के अधिकार के तहत निस्तारित किया गया है । उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में पुनः अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की छूट के तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण में लागू नहीं होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोषणीय माना गया है, जो पूर्णतया न्यायोचित है । इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत जो एतराज लिया गया है, उसके क्रम में प्रार्थी द्वारा सेशन न्यायाधीश के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य को समयावधि में माना गया है जिसे परिवादी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । इस न्यायालय के मत में, जहां

जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय हो वहां प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त है । जहां तक गुणागुण का प्रश्न है, प्रसंज्ञान आदेश को प्रार्थी द्वारा अलग से चुनौती दी गई है, जिस पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि यह पुनरीक्षण याचिका की विषयवस्तु है । लेकिन पत्रावली पर परिवादीया का जिस कंपनी में कार्य करना बताया गया है उसी कंपनी में प्रार्थी व उसकी पत्नी का भी कार्यरत होने का तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ है । प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों की रोशनी में, मामले के गुणा गुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य हैं । (पैरा 1)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	2010 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 56 : **रवीन्द्र सक्सेना** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	1
[2005]	(2005) 2 डब्ल्यू एल. सी. (राजस्थान) 327 : **गणेश राज** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	1
[2004]	2004 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 10 : **भारत चौधरी और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ।	1

दांडिक मूल अधिकारिता : 2019 का अग्रिम जमानत आवेदन सं. 12369.

पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर की 2017 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 956 के संबंध में प्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन द्वितीय अग्रिम जमानत के लिए आवेदन ।

प्रार्थी की ओर से सर्वश्री जितेन्द्र मित्रुका और अमित शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक श्री पंकज अग्रवाल

परिवादी की ओर से श्री अवधेश चन्द्र उपाध्याय

आदेश

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 956/2017 पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर में बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रार्थी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है । प्रार्थी की ओर से धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत इस द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के तर्क सुने गए ।

बहस सुनी गई । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में प्रसंज्ञान लिए जाने के पश्चात् भी अग्रिम जमानत का प्रर्थना पत्र पोषणीय है तथा जब तक प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक प्रार्थी की ओर से अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

उनका यह भी कथन रहा कि संबंधित थानाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत जो कारण दिए हैं उन पर विचार किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जो अभी विचाराधीन है । उनका यह भी कथन रहा कि यदि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान के आदेश में खंडन नहीं किया गया है तो भी एक क्षण के लिए अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों को नजर अन्दाज भी किया जावे तो भी प्रार्थी के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना नहीं पाया जाता है ।

उनका यह भी कथन रहा कि प्रार्थी व उसकी पत्नी वर्ष 2014 से ही संबंधित उसी संस्था में कार्यरत थे जिसमें कि परिवादीया कार्यरत थी एवं परिवादीया को यह पूरी तरह जानकारी थी कि प्रार्थी विवाहित है लेकिन परिवादीया द्वारा जानबूझकर प्रार्थी से संपर्क बनाए गए हैं तथा मात्र पारिवारिक कारणों से परिवादीया द्वारा यह प्रकरण दर्ज कराया गया है । अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना की गई । उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न उद्धरण प्रस्तुत किए हैं :-

भारत चौधरी और अन्य बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1]

रवीन्द्र सक्सैना बनाम **राजस्थान राज्य**[2]

योग्य लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया ।

योग्य अधिवक्ता परिवादी ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध कर कथन किया कि द्वितीय अग्रिम जमानत की प्रार्थना पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रकरण की परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उनका यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को जमानती वारंट से तलब किए जाने पर उसके अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप प्रार्थी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है । अतः अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है ।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के क्रम में योग्य अधिवक्ता परिवादी द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की रोशनी में निर्धारित अवधि में प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

उनका यह भी कथन रहा कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अपने विवाहित होने के तथ्यों को छिपाकर परिवादी से संबंध बनाए गए हैं । अतः अग्रिम जामनत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्यायिक उद्धरण **गणेश राज** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] प्रस्तुत किया ।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया ।

स्वीकृत रूप से पूर्व में प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रथम जमानत के

---

[1] 2004 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 10.

[2] 2010 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 56.

[3] (2005) 2 डब्ल्यू. एल. सी. (राजस्थान) 327.

प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2019 को करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया था :–

> "ऐसी स्थिति में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 अगस्त, 2019 तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश व पूर्व में पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना प्रार्थी व परिवादी को सुनकर गुणागुण पर जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे ।"

उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की पोषणीयता बाबत जो एतराज लिए गए हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोषणीयता के बिन्दु को तय करते हुए इस न्यायालय द्वारा पुनः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिए जाने के अधिकार के तहत निस्तारित किया गया है । उपरोक्त तथ्यों को रोशनी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में पुनः अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की छूट के तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण में लागू नहीं होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोषणीय माना गया है, जो पूर्णतया न्यायोचित है ।

इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत जो एतराज लिया गया है, उसके क्रम में प्रार्थी द्वारा सेशन न्यायाधीश के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य को समयावधि में माना गया है जिसे परिवादी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । इस न्यायालय के मत में, जहां जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय हो वहां प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त है ।

जहां तक गुणागुण का प्रश्न है, प्रसंज्ञान आदेश को प्रार्थी द्वारा

अलग से चुनौती दी गई है, जिस पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि यह पुनरीक्षण याचिका की विषयवस्तु है । लेकिन पत्रावली पर परिवादीया का जिस कंपनी में कार्य करना बताया गया है उसी कंपनी में प्रार्थी व उसकी पत्नी का भी कार्यरत होने का तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ है ।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों की रोशनी में, मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

परिणामतः प्रार्थी राजगोपाल सक्सेना की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना, वैशाली नगर, जयपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उनके यहां पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 956/2017 में प्रार्थी को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :-

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा ।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा ।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

पु.

सांवरिया उर्फ सांवर लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 552)

तारीख 21 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अभय चतुर्वेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 397, 404 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 27, 9 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – मृतक का अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखे जाने की पुष्टि – अभियुक्तों से मृतक की कार की नम्बर प्लेटों की बरामदगी होना – अभियुक्तों द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा में स्पष्टीकरण न दिया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थियों को अंतिम बार साक्षियों द्वारा मृतक के साथ देखा गया था और घटना के पश्चात् उन्होंने मृतक के वाहन को बेचने का प्रयास किया तथा शनाख्त परेड के दौरान उनकी शनाख्त भी की गई है और मृतक का मानववध कैसे हुआ, इस संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अत: हत्या के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

शिकायतकर्ता रामेश्वर लाल गुर्जर (अभि. सा. 9) ने पुलिस थाना बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़ में तारीख 11 जून, 2011 को अपराह्न 8.15 बजे अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/23) दर्ज कराई कि उसी दिन शिकायतकर्ता 'जोगनिया माताजी' मोहल्ले में स्थित अपने होटल पर बैठा हुआ था । अपराह्न लगभग 6.00 बजे ग्राम-उमर के कुछ व्यक्तियों ने उसे बताया कि मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते पर खदान के निकट एक शव पड़ा हुआ है । इस पर वह कुछ ग्रामवासियों के साथ वहां गया और यह देखा कि कच्चे रास्ते पर तथा ग्राम-उमर और ग्राम मेनाल के बीच किसी पुरुष का एक

शव पड़ा हुआ है जो सफेद पेन्ट और भूरे-आसमानी रंग की धारी वाली कमीज पहने हुए है । शव में से दुर्गंध आ रही थी । शव के निकट चार पहिये वाले वाहन के टायरों के चिह्न भी दिखाई दे रहे थे । यह अभिकथन किया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी है और शव यहां लाकर फेंक दिया है । इस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना बेगुन में दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174/2011 (प्रदर्श पी/61) दर्ज कराई गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण अधिकारी विक्रम सिंह (अभि. सा. 41) जो पुलिस थाना बेगुन का भारसाधक अधिकारी है और सर्किल निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया और कई व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए । मृतक की शनाख्त प्रकाश चन्द्र जाट के रूप में की गई जो मारुति इको वाहन का चालक था और इस शव का शवपरीक्षण किया गया और इसके पश्चात् मृतक के ताऊ अर्थात् मांगीलाल पुत्र प्रताप जाट को दाह-संस्कार के लिए शव सौंप दिया गया । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया । श्री भेरु सिंह (मृतक प्रकाश चन्द्र का पिता) ने पहले ही तारीख 11 जून, 2011 को पुलिस थाना कुंवलिया में मृतक के लापता होने के संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी/68) दर्ज करा दी थी । अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि दो अभियुक्त-अपीलार्थी कुंवलिया बस अड्डे पर तारीख 10 जून, 2011 को मृतक के पास आए थे और उन्होंने उसकी मारुति इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) किराए पर ली । यद्यपि साक्षियों ने उन अभियुक्तों के नाम नहीं बताए हैं जिन्होंने कार ली थी, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त जीतू **उर्फ** जितेन्द्र को तारीख 11 जुलाई, 2011 को अपराह्न 4.30 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/8) के अनुसार गिरफ्तार किया । अभियुक्त सांवरिया **उर्फ** सांवर लाल को भी उसी दिन अपराह्न 4.40 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/9) के अनुसार गिरफ्तार किया । यह पता चला कि अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप, नोकिया-1600 नामक मोबाइल सेट का प्रयोग कर रहा था जिस पर यह संदेह हुआ कि वह मृतक का हो सकता है और इस

मोबाइल सेट को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/7) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इसी प्रकार नोकिया-1650 वाला मोबाइल सेट अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप के पास पाया गया जिसे अभियुक्त सांवरिया से अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/10 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । दोनों अभियुक्तों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण कथन दिया और इसके अनुसरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । मृतक से लूटी गई मारुति इको कार की मूल नम्बर प्लेट कार पर से हटा दी गई थी और उस पर कूटरचित प्लेट लगा दी गई थी जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद की गई और उसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/21) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । मूल नम्बर प्लेट, जिस पर रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430 लिखी हुई थी, अभियुक्त द्वारा हटा दी गई थी और यह नम्बर प्लेट अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त सांवरिया द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद की गई और इसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/17) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । दो साक्षियों अर्थात् श्री मधुसूदन (अभि. सा. 7) और श्री सुनील दास वैष्णव (अभि. सा. 21) ने अभियुक्त को मृतक के पास आते हुए और कार को किराए पर लेते हुए देखा था और इन साक्षियों को शनाख्त परेड में भाग लेने के लिए बुलाया गया और दोनों ने शनाख्त परेड की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त को पहचान लिया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 201, 397 और 404 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । चूंकि दंड संहिता की धारा 302 और 397 के अधीन कारित किया गया अपराध एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए मामले को सेशन न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया और वहां से उसे विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2, चित्तौड़गढ, कैम्प बेगुन भेज दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 अथवा 302/34, 201 अथवा 201/34, 397 अथवा

397/34 और 404 अथवा 404/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 45 साक्षियों की परीक्षा कराई और 123 दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियुक्त ने, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा किए जाने के दौरान उसके समक्ष उसके विरुद्ध प्रस्तुत की गईं परिस्थितियों से इनकार किया किन्तु अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् काउंसेलों द्‌वारा दी गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर के उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त रूप में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया इसलिए यह अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्पष्टतः, इस मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह दोषी का पता लगाए और इस प्रक्रिया में यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त-अपीलार्थियों के इस हत्या में अन्तर्वलित होने से संबंधित सुराग (संकेत) मिले हैं । इन संकेतों के आधार पर अन्वेषण अधिकारी द्‌वारा कार्रवाई की गई और परिणामस्वरूप वह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सका जिन्हें उनकी गिरफ्तारी के समय पर बापर्दा रखा गया था । मधुसूदन (अभि. सा. 7) और सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) ऐसे दो साक्षी हैं जिन्होंने अन्वेषण के दौरान यह कथन किया है कि उन्होंने दो अभियुक्तों को देखा था और वे उन्हें सामने आने पर पहचान सकते हैं और इन्हीं दोनों साक्षियों को शनाख्त परेड में भाग लेने के लिए बुलाया गया है जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थियों को ठीक प्रकार से पहचान कर बताया है कि ये वही व्यक्ति हैं जो बस अड्डे पर आए थे और इन्होंने ही मृतक प्रकाश चन्द्र की टैक्सी किराए पर ली थी । इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और इसके पश्चात् मृतक को कभी-भी जीवित नहीं देखा गया । मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते

पर खदान के निकट अज्ञात शव बरामद हुआ था । श्री रामेश्वर गुर्जर (अभि. सा. 9) ने अज्ञात शव के बारे में रिपोर्ट (प्रदर्श पी/23) दर्ज कराई जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । इसके पश्चात्, मांगीलाल (अभि. सा. 2) ने शव की शनाख्त करके बताया कि वह उसके भाई के पुत्र प्रकाश चन्द्र का है । उस समय तक अन्वेषण अधिकारी इस तथ्य से अवगत हो गया था कि प्रकाश चन्द्र की टैक्सी चोरी हो गई है । शव के निकट टायर-चिह्न देखे गए । इन तथ्यों से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश चन्द्र की टैक्सी लूटी गई थी और बर्बरतापूर्ण रीति में उसकी हत्या की गई है और उसका शव मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते पर खदान के निकट फेंक दिया गया है जहां से इसे बरामद किया गया है । इस हत्या के पीछे निर्विवादित रूप से मृतक के वाहन को लूटने का हेतु था । वाहन लूटने के पश्चात् अभियुक्तों ने नम्बर प्लेटों को बदल दिया जैसा कि वाहन की बरामदगी से संबंधित ज्ञापन से स्पष्ट है । सरफराज (अभि. सा. 40) ने यह साक्ष्य दिया है कि जीतू ने उसे तारीख 12 जून, 2011 को बुलाया था और उससे वाहन बेचने के संबंध में सहायता मांगी थी । अपीलार्थी जीतू ने अपनी प्रतिरक्षा में यह दावा नहीं किया है कि उसके पास अन्य कोई वाहन था जिसके संबंध में उसने बेचने की इच्छा प्रकट की थी । सरफराज से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण सामग्री सामने नहीं आई है जिसके आधार पर उसके परिसाक्ष्य का साक्ष्यात्मक महत्व कम हो सके । इस तथ्य से, कि अपराध कारित किए जाने के ठीक अगले दिन अभियुक्त जीतू ने एक वाहन बेचने का प्रयास किया था, उसके दोषी होने का निष्कर्ष निकलता है । सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) भी एक टैक्सी चालक है और वह भी कुंवलिया बस अड्डे से टैक्सी चलाया करता था, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रकाश मारुति इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) चलाया करता था । दो व्यक्ति बस अड्डे पर आए और उन्होंने टैक्सी किराए पर लेने के संबंध में बात की । प्रकाश और इस साक्षी ने उन व्यक्तियों से संपर्क किया जो भीलवाड़ा जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेना चाहते थे । इस साक्षी ने शनाख्त परेड के दौरान दोनों साक्षियों की शनाख्त सफलतापूर्वक की है और साथ ही उसने अपने परिसाक्ष्य में भी सशपथ शनाख्त की है ।

विस्तार से प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद यह साक्षी शनाख्त परेड के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त करने से संबंधित साक्ष्य को लेकर विचलित नहीं हुआ है और उसने यह बताया है यही वे व्यक्ति हैं जो प्रकाश के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए आए थे । विद्वान् काउंसेल श्री चुंडावत ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया है कि इस साक्षी का कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा काफी विलंब के बाद अभिलिखित किया गया है । तथापि, इस साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि इस साक्षी से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न इस संबंध में नहीं पूछा गया है और इस प्रकार हमारे समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर इस संबंध में कोई संदेह किया जा सके कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थियों को उस समय देख लिया था जब वे मृतक के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए आए थे । अत: यह ठीक प्रकार सिद्ध हो गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने मृतक से टैक्सी किराए पर ली थी और मृतक को अंतिम बार उन्हीं के साथ देखा गया था और इसके पश्चात् मृतक का शव बरामद किया गया । इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित धारा 106 के अधीन यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साबित करने का भार निश्चित रूप से अभियुक्त-अपीलार्थियों पर होगा कि प्रकाश चन्द्र की मृत्यु मानववध से कैसे हुई और उसकी टैक्सी लापता क्यों हुई । अभियुक्त-अपीलार्थी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं । यह दोबारा कहा जा सकता है कि घटना के तत्काल पश्चात् अभियुक्त जीतू ने सरफराज (अभि. सा. 40) की सहायता से इस वाहन का निपटारा करने का प्रयास किया था । अभियुक्त जीतू द्वारा अन्वेषण अधिकारी श्री विक्रम सिंह (अभि. सा. 41) को दी गई जानकारी (प्रदर्श पी/72) के आधार पर लूटी गई कार कूटरचित नम्बर प्लेटों के साथ बरामद की गई है । हमने विक्रम सिंह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि उसने बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों को लेकर तर्कसम्मत और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है । अभियुक्त सांवरिया ने भी अन्वेषण अधिकारी को इस कार की मूल नम्बर प्लेटों को छिपाने से संबंधित जानकारी दी है कि उसने वे नम्बर प्लेट अपने किराए के मकान में

छिपा रखी थीं । इस जानकारी को ज्ञापन प्रदर्श पी/73 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । यह कार (टैक्सी) अभियुक्त जीतू के मकान के निकट तिरपाल से ढकी हुई बरामद की गई थी जिसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/21) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इस कार की मूल नम्बर प्लेटें अभियुक्त सांवरिया के मकान से उसके द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसार बरामद की गईं और उन्हें अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/17) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण अधिकारी और पंच साक्षियों के साक्ष्य तथा सुसंगत अभिग्रहण ज्ञापनों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह समाधान हो गया है कि अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और इस जानकारी के आधार पर की गई अपराधजन्य बरामदगी तर्कसम्मत और ठोस साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित की गई है । अभियुक्त जीतू और सांवरिया यह स्पष्ट नहीं कर सके कि मृतक की कार और उसकी मूल नम्बर प्लेटें उनके कब्जे में कैसे पाई गईं । यह बरामदगी घटना के तत्काल पश्चात् की गई है और इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध निश्चित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि उन्होंने ही अपराध कारित किया है । चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं कि उन्होंने मृतक से टैक्सी किराए पर ली थी और उसके तत्काल पश्चात् उसकी हत्या की गई और उस टैक्सी की मूल नम्बर प्लेटें अभियुक्त जीतू और अभियुक्त सांवरिया के कहने पर बरामद की गईं, इसलिए साक्ष्य की अपराधजन्य कड़ियों से ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है जिससे केवल अभियुक्तों के दोषी होने का संकेत मिलता है और यह श्रृंखला अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ पूर्णतया असंगत दिखाई देती हैं । डा. राकेश मुन्द्रा (अभि. सा. 37) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सी. एच. सी., बेगुन (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगुन) में गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड का सदस्य है और उसने मृतक प्रकाश चन्द्र के शव का शवपरीक्षण किया है । चिकित्सा बोर्ड ने शव के दाईं पार्श्विक कपोलास्थि के नीचे 24 से. मी. × 14 से. मी. माप का घाव पाया है । गर्दन पर 8 से. मी. × 30 से. मी. माप की एक अन्य क्षति पाई गई है । उपरोक्त पार्श्विक कपोलास्थि भाग में रक्तगुल्म पाया गया

है । मस्तिष्कावरण क्षतिग्रस्त पाया गया है । सी-1 और सी-2 (कशेरुक) में अस्थिभंग पाया गया है । क्षतियां मृत्यु पूर्व की हैं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं । इस चिकित्सक से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा गया है । इस प्रकार, निश्चायक रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि श्री प्रकाश की मृत्यु मानववध प्रकृति की है और यह कि इस मामले में के अपीलार्थियों ने ही यह अपराध कारित किया । यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित है और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण करते हुए अभियुक्तों का दोष निर्विवादित रूप से साबित किया है । साक्ष्य की श्रृंखला हर पहलू से पूर्ण है और अपीलार्थियों के दोषी होने के साथ संगत तथा अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ असंगत है । इस प्रकार, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में पूर्णतया न्यायोचित किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2, चित्तौड़गढ़, कैम्प, बेगुन द्वारा तारीख 27 मई, 2016 को पारित आक्षेपित निर्णय में तथ्यात्मक या विधिक रूप से ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जा सके । (पैरा 10, 18, 19, 20, 21 और 22)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 552.

2011 के सेशन मामला सं. 64 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2 द्वारा तारीख 27 मई, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आर. एस. चुंडावत, (सुश्री) आर. आर. कंवर और टी. आर. एस. सौदा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल जोशी (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिया ।

न्या. मेहता – इस अपील में के अपीलार्थियों को 2011 के सेशन मामला सं. 64 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2 द्वारा तारीख

27 मई, 2016 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसार निम्न रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

दंड संहिता के अधीन अपराध	कारावास की अवधि	जुर्माना	जुर्माने में व्यतिक्रम किए जाने पर कारावास की अवधि
धारा 302 अथवा धारा 302/34	आजीवन कारावास	10,000/- रुपए	6 मास का साधारण कारावास
धारा 201 अथवा 201/34	5 वर्ष का कठोर कारावास	3,000/- रुपए	3 मास का साधारण कारावास
धारा 397 अथवा 397/34	7 वर्ष का कठोर कारावास	–	–
धारा 404 अथवा 404/34	2 वर्ष का कठोर कारावास	1,000/- रुपए	3 मास का साधारण कारावास

सभी सारभूत दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया ।

2. दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपीलें फाइल की हैं ।

3. चूंकि ये अपीलें एक ही निर्णय से उद्भूत हैं इसलिए इनका निपटारा एक साथ किया जा रहा है ।

4. वर्तमान अपीलों के निपटारे के लिए सुसंगत और आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं ।

5. शिकायतकर्ता रामेश्वर लाल गुर्जर (अभि. सा. 9) ने पुलिस थाना बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़ में तारीख 11 जून, 2011 को अपराह्न

8.15 बजे अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/23) दर्ज कराई कि उसी दिन शिकायतकर्ता 'जोगनिया माताजी' मोहल्ले में स्थित अपने होटल पर बैठा हुआ था । अपराह्न लगभग 6.00 बजे ग्राम-उमर के कुछ व्यक्तियों ने उसे बताया कि मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते पर खदान के निकट एक शव पड़ा हुआ है । इस पर वह कुछ ग्रामवासियों के साथ वहां गया और यह देखा कि कच्चे रास्ते पर तथा ग्राम-उमर और ग्राम मेनाल के बीच किसी पुरुष का एक शव पड़ा हुआ है जो सफेद पेन्ट और भूरे-आसमानी रंग की धारी वाली कमीज पहने हुए है । शव में से दुर्गंध आ रही थी । शव के निकट चार पहिये वाले वाहन के टायरों के चिह्न भी दिखाई दे रहे थे । यह अभिकथन किया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी है और शव यहां लाकर फेंक दिया है । इस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना बेगुन में दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174/2011 (प्रदर्श पी/61) दर्ज कराई गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण अधिकारी विक्रम सिंह (अभि. सा. 41) जो पुलिस थाना बेगुन का भारसाधक अधिकारी है और सर्किल निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया और कई व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए । मृतक की शनाख्त प्रकाश चन्द्र जाट के रूप में की गई जो मारुति इको वाहन का चालक था और इस शव का शवपरीक्षण किया गया और इसके पश्चात् मृतक के ताऊ अर्थात् मांगीलाल पुत्र प्रताप जाट को दाह-संस्कार के लिए शव सौंप दिया गया । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया । श्री भेरु सिंह (मृतक प्रकाश चन्द्र का पिता) ने पहले ही तारीख 11 जून, 2011 को पुलिस थाना कुंवलिया में मृतक के लापता होने के संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी/68) दर्ज करा दी थी । अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि दो अभियुक्त-अपीलार्थी कुंवलिया बस अड्डे पर तारीख 10 जून, 2011 को मृतक के पास आए थे और उन्होंने उसकी मारुति इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) किराए पर ली । यद्यपि साक्षियों ने उन अभियुक्तों के नाम नहीं बताए हैं जिन्होंने

कार ली थी, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त जीतू **उर्फ** जितेन्द्र को तारीख 11 जुलाई, 2011 को अपराह्न 4.30 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/8) के अनुसार गिरफ्तार किया । अभियुक्त सांवरिया **उर्फ** सांवर लाल को भी उसी दिन अपराह्न 4.40 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/9) के अनुसार गिरफ्तार किया । यह पता चला कि अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप, नोकिया-1600 नामक मोबाइल सेट का प्रयोग कर रहा था जिस पर यह संदेह हुआ कि वह मृतक का हो सकता है और इस मोबाइल सेट को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/7) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इसी प्रकार नोकिया-1650 वाला मोबाइल सेट अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप के पास पाया गया जिसे अभियुक्त सांवरिया से अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/10 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । दोनों अभियुक्तों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण कथन दिया और इसके अनुसरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । मृतक से लूटी गई मारुति इको कार की मूल नम्बर प्लेट कार पर से हटा दी गई थी और उस पर कूटरचित प्लेट लगा दी गई थी जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त जितेन्द्र प्रताप द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद की गई और उसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/21) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । मूल नम्बर प्लेट, जिस पर रजिस्ट्रेशन सं. आरजे-27-टीए-2430 लिखी हुई थी, अभियुक्त द्वारा हटा दी गई थी और यह नम्बर प्लेट अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त सांवरिया द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद की गई और इसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/17) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । दो साक्षियों अर्थात् श्री मधुसूदन (अभि. सा. 7) और श्री सुनील दास वैष्णव (अभि. सा. 21) ने अभियुक्त को मृतक के पास आते हुए और कार को किराए पर लेते हुए देखा था और इन साक्षियों को शनाख्त परेड में भाग लेने के लिए बुलाया गया और दोनों ने शनाख्त परेड की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त को पहचान लिया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 201, 397 और 404 के अधीन

अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । चूंकि दंड संहिता की धारा 302 और 397 के अधीन कारित किया गया अपराध एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए मामले को सेशन न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया और वहां से उसे विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2, चित्तौड़गढ, कैम्प बेगुन भेज दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 अथवा 302/34, 201 अथवा 201/34, 397 अथवा 397/34 और 404 अथवा 404/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए ।

6. अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 45 साक्षियों की परीक्षा कराई और 123 दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियुक्त ने, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा किए जाने के दौरान उसके समक्ष उसके विरुद्ध प्रस्तुत की गईं परिस्थितियों से इनकार किया किन्तु अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर के उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त रूप में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

7. अपीलार्थी सांवरिया की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री आर. आर. कंवर और अपीलार्थी जितेन्द्र **उर्फ** जीतू की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री टी. आर. एस. सौदा ने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध बनाया गया सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन मिथ्या और कूटरचित है । अपीलार्थियों को अभिकथित अपराध से संबद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पारिस्थितिक साक्ष्य काल्पनिक और अविश्वसनीय है । बरामदगी से संबंधित साक्ष्य पूर्णतया कूटरचित है । किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किए गए

मोबाइल फोन मृतक प्रकाश चन्द्र के थे । मधुसूदन (अभि. सा. 7), जो शिकंजी बेचने वाला है, बस स्टैण्ड पर मौजूद था और यह साक्षी अभियुक्त की शनाख्त अपने सशपथ दिए हुए कथन में नहीं कर सका और इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । शनाख्त करने से संबंधित अन्य साक्षी अर्थात् सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) का साक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय है क्योंकि वह काफी लंबे समय तक मौन रहा है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन भी लंबे समय के बाद अभिलिखित किया गया है । विद्वान् काउंसेलों ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया यह पक्षकथन पूर्णतया मिथ्या और कूटरचित है कि मृतक की मारुति इको कार की मूल नम्बर प्लेट हटाई गई थी ; उसके स्थान पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाई गई थी ; मूल नम्बर प्लेट अभियुक्त सांवरिया द्वारा अन्वेषण अधिकारी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद कराई गई और यह कि अभियुक्त जितेन्द्र **उर्फ** जीतू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कार की बरामदगी की गई है । विद्वान् काउंसेलों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से उपलब्ध कराई गई उस जानकारी को विधिवत् रूप से न्यायालय में अन्वेषण अधिकारी विक्रम सिंह (अभि. सा. 41) की परीक्षा किए जाने के दौरान साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया है जिसके आधार पर बरामदगी की गई थी । विद्वान् काउंसेलों ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21), जिसने अभियुक्तों को अभिकथित लूट और हत्या के कुछ समय पूर्व मृतक से टैक्सी लेते हुए देखा था, के मात्र काल्पनिक और अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर नहीं की जा सकती । इस प्रकार विद्वान् काउंसेलों ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित निर्णय तथ्यों तथा विधि की दृष्टि से अनुचित है, यह निर्णय अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए तथा अपीलार्थियों की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

8. इसके प्रतिकूल याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों का खण्डन किया । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष

ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मधुसूदन (अभि. सा. 7) और सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) जैसे अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तों को बस अड्डे पर देखा था और उन्होंने पहचान कर बताया है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लूट और हत्या के ठीक पूर्व मृतक से टैक्सी किराए पर ली थी । यह वह घटना है जब मृतक को साक्षियों द्वारा अंतिम बार जीवित देखा गया था । इसके पश्चात्, उसका शव बरामद किया गया । जब शव बरामद किया गया था तब मृतक की कार उसके निकट नहीं देखी गई थी और उसे पहले ही वहां से हटा दिया गया था । कार की मूल नम्बर प्लेट हटा दी गई थी और उसके स्थान पर कूटरचित नम्बर प्लेट पहचान छिपाने के लिए लगा दी गई थी । मूल नम्बर प्लेट अभियुक्त सांवरिया **उर्फ** सांवर लाल द्वारा सफेद रोगन करके छिपाई गई थी । तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने इस कार की नम्बर प्लेटों को देखकर उसके मूल नम्बर का पता लगा लिया था । लूटी गई कार अभियुक्त जीतू के मकान के बाहर से बरामद की गई थी जो उसने वहां छिपाई हुई थी और इस कार की मूल नम्बर प्लेट के स्थान पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा रखी थी । इस कार की बरामदगी घटना के एक मास से अधिक समय के बाद की गई और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि कार की बरामदगी के स्थान की जानकारी अन्वेषण अभिकरण को पहले से थी । अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा बरामदगी की प्रक्रिया अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य में समुचित रूप से साबित की गई है । विश्वसनीय साक्षियों के कथनों में आए तुच्छ विरोधाभासों से अभिकरण संबंधी अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य संदिग्ध नहीं हो सकता जिसका विशेष कारण यह है कि इस संबंध में कोई भी साक्ष्य दिखाई नहीं देता है कि अन्वेषण अधिकारी इस मामले में अभियुक्तों को मिथ्या फंसाने के लिए अन्वेषण में हेरफेर करेगा । इसका भी कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) अभियुक्तों की मिथ्या रूप से शनाख्त करके यह साक्ष्य दे कि उन्होंने मृतक की टैक्सी किराए पर ली थी । अभियुक्तों की शनाख्त परेड की कार्यवाही न्यायिक अधिकारी शिवानी भटनागर (अभि. सा. 44) द्वारा सम्यक् रूप से साबित की गई है जिसमें सुनील वैष्णव (पी. डब्ल्यू.-21) ने पहचान कर बताया था । अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में किया गया यह अभिवाक् पूर्णतया चलने

योग्य नहीं है कि शनाख्त परेड किए जाने के पूर्व ही उन्हें साक्षियों को दिखा दिया गया था । इस प्रकार विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि परिस्थितियों की श्रृंखला से अभियुक्त का दोष उपदर्शित होता है और साक्ष्य की यह श्रृंखला प्रत्येक पहलू से पूर्ण दिखाई देती है, इसलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित किया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने इन दलीलों के आधार पर अपील खारिज किए जाने की ईप्सा की है ।

9. हमने न्यायालय में दी गई दलीलों की सुनवाई की है ; आक्षेपित निर्णय का सूक्ष्मता से परिशीलन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुन: मूल्यांकन किया है ।

10. स्पष्टत:, इस मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह दोषी का पता लगाए और इस प्रक्रिया में यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त-अपीलार्थियों के इस हत्या में अन्तर्वलित होने से संबंधित सुराग (संकेत) मिले हैं । इन संकेतों के आधार पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई और परिणामस्वरूप वह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सका जिन्हें उनकी गिरफ्तारी के समय पर बापर्दा रखा गया था । मधुसूदन (अभि. सा. 7) और सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) ऐसे दो साक्षी हैं जिन्होंने अन्वेषण के दौरान यह कथन किया है कि उन्होंने दो अभियुक्तों को देखा था और वे उन्हें सामने आने पर पहचान सकते हैं और इन्हीं दोनों साक्षियों को शनाख्त परेड में भाग लेने के लिए बुलाया गया है जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थियों को ठीक प्रकार से पहचान कर बताया है कि ये वही व्यक्ति हैं जो बस अड्डे पर आए थे और इन्होंने ही मृतक प्रकाश चन्द्र की टैक्सी किराए पर ली थी । इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और इसके पश्चात् मृतक को कभी-भी जीवित नहीं देखा गया । मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते पर खदान के निकट अज्ञात शव बरामद हुआ था । श्री रामेश्वर गुर्जर (अभि. सा. 9) ने अज्ञात शव के बारे में रिपोर्ट (प्रदर्श पी/23) दर्ज कराई जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । इसके पश्चात्, मांगीलाल (अभि. सा. 2) ने शव की शनाख्त करके बताया कि

वह उसके भाई के पुत्र प्रकाश चन्द्र का है । उस समय तक अन्वेषण अधिकारी इस तथ्य से अवगत हो गया था कि प्रकाश चन्द्र की टैक्सी चोरी हो गई है । शव के निकट टायर-चिह्न देखे गए । इन तथ्यों से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश चन्द्र की टैक्सी लूटी गई थी और बर्बरतापूर्ण रीति में उसकी हत्या की गई है और उसका शव मेनाल की ओर जाने वाले रास्ते पर खदान के निकट फेंक दिया गया है जहां से इसे बरामद किया गया है । इस हत्या के पीछे निर्विवादित रूप से मृतक के वाहन को लूटने का हेतु था । वाहन लूटने के पश्चात् अभियुक्तों ने नम्बर प्लेटों को बदल दिया जैसा कि वाहन की बरामदगी से संबंधित ज्ञापन से स्पष्ट है । सरफराज (अभि. सा. 40) ने यह साक्ष्य दिया है कि जीतू ने उसे तारीख 12 जून, 2011 को बुलाया था और उससे वाहन बेचने के संबंध में सहायता मांगी थी । अपीलार्थी जीतू ने अपनी प्रतिरक्षा में यह दावा नहीं किया है कि उसके पास अन्य कोई वाहन था जिसके संबंध में उसने बेचने की इच्छा प्रकट की थी । सरफराज से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण सामग्री सामने नहीं आई है जिसके आधार पर उसके परिसाक्ष्य का साक्ष्यात्मक महत्व कम हो सके । इस तथ्य से, कि अपराध कारित किए जाने के ठीक अगले दिन अभियुक्त जीतू ने एक वाहन बेचने का प्रयास किया था, उसके दोषी होने का निष्कर्ष निकलता है ।

11. श्री मांगीलाल (अभि. सा. 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि मारुति इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) मृतक प्रकाश द्वारा टैक्सी के रूप में प्रयोग की जा रही थी जिसका स्वामी सुरेश नाई है ।

12. बद्रीलाल पुत्र श्री कालूजी (अभि. सा. 2) ने भी ऐसा ही साक्ष्य दिया है ।

13. बद्रीलाल पुत्र श्री नाथूजी (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि तारीख 10 जून, 2011 को उसके घर से प्रकाश इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) ले गया था और कुंवलिया बस अड्डे पर गया था ।

14. दिनेश वर्मा (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि उसने इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) सादिक मोहम्मद से

क्रय की थी और फिर सुरेश चन्द्र को दे दी थी । सुरेश चन्द्र ने इस कार पर एक चालक अर्थात् प्रकाश पुत्र भेरूलाल जाट नियुक्त कर दिया था ।

15. अकबर मोहम्मद (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया है कि दोनों अभियुक्त, जिन्हें वह पहले से जानता था, तारीख 10 जून, 2011 को सफेद रंग की इको कार से उसके घर आए । इन साक्षियों से उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

16. बरकत हुसैन (अभि. सा. 13) पुलिस थाना बेगुन में कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174/2011 से संबंधित मामले में चल रहे अन्वेषण के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था । उसकी भेंट अकबर से हुई जिसने उसे अभियुक्त-अपीलार्थियों के हत्या के मामले में अन्तर्वलित होने से संबंधित जानकारी दी । इसके पश्चात्, अभियुक्त जीतू को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/8) के अनुसार गिरफ्तार किया गया ।

17. भेरूलाल (अभि. सा. 20) मृतक का पिता है जिसने यह कथन किया है कि उसका पुत्र सफेद रंग की कार (रजिस्ट्रेशन सं. आर जे 27 टी ए 2430) कुंवलिया बस अड्डे से चलाया करता था । वह तारीख 10 जून, 2011 को प्रात: 7.00 बजे घर से रवाना हुआ था और फिर वापस नहीं आया । वे बस अड्डे पर गए और शिकंजी बेचने वाले से इस संबंध में पूछताछ की जिसने उन्हें यह बताया कि पिछले दिन लगभग 11.00 से 11.30 बजे दो व्यक्तियों ने प्रकाश से संपर्क किया और कार किराए पर ली ।

18. सुनील वैष्णव (अभि. सा. 21) भी एक टैक्सी चालक है और वह भी कुंवलिया बस अड्डे से टैक्सी चलाया करता था, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रकाश मारुति इको कार (रजिस्ट्रेशन सं. आरजे-27-टीए-2430) चलाया करता था । दो व्यक्ति बस अड्डे पर आए और उन्होंने टैक्सी किराए पर लेने के संबंध में बात की । प्रकाश और इस साक्षी ने उन व्यक्तियों से संपर्क किया जो भीलवाड़ा जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेना चाहते थे । इस साक्षी ने शनाख्त परेड के दौरान दोनों साक्षियों की शनाख्त सफलतापूर्वक की है और साथ ही उसने अपने परिसाक्ष्य में भी सशपथ शनाख्त की है । विस्तार से प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद यह साक्षी शनाख्त परेड के दौरान अभियुक्तों की

शनाख्त करने से संबंधित साक्ष्य को लेकर विचलित नहीं हुआ है और उसने यह बताया है कि यही वे व्यक्ति हैं जो प्रकाश के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए आए थे ।

विद्वान् काउंसेल श्री चुंडावत ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया है कि इस साक्षी का कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा काफी विलंब के बाद अभिलिखित किया गया है । तथापि, इस साक्षी के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि इस साक्षी से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न इस संबंध में नहीं पूछा गया है और इस प्रकार हमारे समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर इस संबंध में कोई संदेह किया जा सके कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थियों को उस समय देख लिया था जब वे मृतक के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए आए थे । अत: यह ठीक प्रकार सिद्ध हो गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने मृतक से टैक्सी किराए पर ली थी और मृतक को अंतिम बार उन्हीं के साथ देखा गया था और इसके पश्चात् मृतक का शव बरामद किया गया । इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित धारा 106 के अधीन यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साबित करने का भार निश्चित रूप से अभियुक्त-अपीलार्थियों पर होगा कि प्रकाश चन्द्र की मृत्यु मानववध से कैसे हुई और उसकी टैक्सी लापता क्यों हुई । अभियुक्त-अपीलार्थी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं । यह दोबारा कहा जा सकता है कि घटना के तत्काल पश्चात् अभियुक्त जीतू ने सरफराज (अभि. सा. 40) की सहायता से इस वाहन का निपटारा करने का प्रयास किया था ।

19. अभियुक्त जीतू द्वारा अन्वेषण अधिकारी श्री विक्रम सिंह (अभि. सा. 41) को दी गई जानकारी (प्रदर्श पी/72) के आधार पर लूटी गई कार कूटरचित नम्बर प्लेटों के साथ बरामद की गई है । हमने विक्रम सिंह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि उसने बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों को लेकर तर्कसम्मत और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है । अभियुक्त सांवरिया ने भी अन्वेषण अधिकारी को इस कार की मूल नम्बर प्लेटों से संबंधित जानकारी दी है कि उसने वे नम्बर प्लेटें अपने किराए के मकान में छिपा रखी थीं । इस जानकारी को ज्ञापन प्रदर्श पी/73 के रूप में प्रदर्शित

किया गया है । यह कार (टैक्सी) अभियुक्त जीतू के मकान के निकट तिरपाल से ढकी हुई बरामद की गई थी जिसे अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/21) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इस कार की मूल नम्बर प्लेटें अभियुक्त सांवरिया के मकान से उसके द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसार बरामद की गईं और उन्हें अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/17) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण अधिकारी और पंच साक्षियों के साक्ष्य तथा सुसंगत अभिग्रहण ज्ञापनों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह समाधान हो गया है कि अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और इस जानकारी के आधार पर की गई अपराधजन्य बरामदगी तर्कसम्मत और ठोस साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित की गई है । अभियुक्त जीतू और सांवरिया यह स्पष्ट नहीं कर सके कि मृतक की कार और उसकी मूल नम्बर प्लेटें उनके कब्जे में कैसे पाई गईं । यह बरामदगी घटना के तत्काल पश्चात् की गई है और इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध निश्चित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि उन्होंने ही अपराध कारित किया है । चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं कि उन्होंने मृतक से टैक्सी किराए पर ली थी और उसके तत्काल पश्चात् उसकी हत्या की गई और उस टैक्सी की मूल नम्बर प्लेटें अभियुक्त जीतू और अभियुक्त सांवरिया के कहने पर बरामद की गईं, इसलिए साक्ष्य की अपराधजन्य कड़ियों से ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है जिससे केवल अभियुक्तों के दोषी होने का संकेत मिलता है और यह श्रृंखला अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ पूर्णतया असंगत दिखाई देती हैं ।

20. डा. राकेश मुन्द्रा (अभि. सा. 37) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सी. एच. सी., बेगुन (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगुन) में गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड का सदस्य है और उसने मृतक प्रकाश चन्द्र के शव का शवपरीक्षण किया है । चिकित्सा बोर्ड ने शव के दायीं पार्श्विक कपोलास्थि के नीचे 24 से. मी. × 14 से. मी. माप का घाव पाया है । गर्दन पर 8 से. मी. × 30 से. मी. माप की एक अन्य क्षति पाई गई है । उपरोक्त पार्श्विक कपोलास्थि भाग में रक्तगुल्म पाया गया

है । मस्तिष्कावरण क्षतिग्रस्त पाया गया है । सी-1 और सी-2 (कशेरुक) में अस्थिभंग पाया गया है । क्षतियां मृत्यु पूर्व की हैं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं । इस चिकित्सक से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

21. इस प्रकार, निश्चायक रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि श्री प्रकाश की मृत्यु मानववध प्रकृति की है और यह कि इस मामले में के अपीलार्थियों ने ही यह अपराध कारित किया । यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित है और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण करते हुए अभियुक्तों का दोष निर्विवादित रूप से साबित किया है । साक्ष्य की श्रृंखला हर पहलू से पूर्ण है और अपीलार्थियों के दोषी होने के साथ संगत तथा अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ असंगत है ।

22. इस प्रकार, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विचारण न्यायालय नें आरोपित अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में पूर्णतया न्यायोचित किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 2, चित्तौड़गढ़, कैम्प, बेगुन द्वारा तारीख 27 मई, 2016 को पारित आक्षेपित निर्णय में तथ्यात्मक या विधिक रूप से ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जा सके ।

23. परिणामतः, हमें इन अपीलों में कोई भी गुणता दिखाई नहीं देती है और इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है ।

24. इस मामले का अभिलेख विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाए ।

25. इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक फाइल में लगाई जाए ।

अपीलें खारिज की गईं ।

अस.

सोनू

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 815)

तारीख 26 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति धरमचंद चौधरी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 311 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376] – बलात्संग – विचारण न्यायालय द्‌वारा अपीलार्थी (प्रकीर्ण आवेदन में प्रत्यर्थी) की दोषसिद्धि – अपील के लंबित रहने के दौरान अपील के प्रत्यर्थी अर्थात् राज्य (प्रकीर्ण आवेदन में आवेदक) द्‌वारा धारा 311 के अधीन चिकित्सक साक्षी की पुन: परीक्षा के लिए आवेदन फाइल किया जाना – अभियुक्त और आहत के रक्त और डी. एन. ए. की जांच कराई गई है जिसके संबंध में नमूना लेने वाले चिकित्सक साक्षी की परीक्षा कराए जाने से अभियुक्त के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अत: उक्त धारा 311 के अधीन चिकित्सक साक्षी की पुन: परीक्षा कराना न्यायोचित है ।

वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि 11/12 मई, 2014 की रात्रि में ग्राम सराहन, तहसील और जिला चम्बा में उसने अभियोक्त्री, जिसकी घटना के समय आयु लगभग 12 वर्ष थी, के साथ मैथुन किया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध कारित किया है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील के लंबित रहने के दौरान राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन चिकित्सक साक्षी की पुन: परीक्षा कराने के लिए आवेदन फाइल किया जिसकी सुनवाई खंड न्यायपीठ द्‌वारा की गई

जिसमें दो विसम्मत निर्णय पारित किए गए । तत्पश्चात् यह आवेदन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश के समक्ष विनिश्चित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त के रक्त का नमूना लेने हेतु न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में ही चर्चा किया गया मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य सम्यक् रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/के) पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चम्बा द्वारा पारित आदेश (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एल) से साबित हो गया है । शनाख्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एम) और (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एन) से पर्याप्त रूप से यह उपदर्शित होता है कि डा. ऋचा गुप्ता ने इस घटना में आहत हुई कन्या के रक्त और अभियुक्त के रक्त का नमूना एफ. टी. ए. कार्डों पर लिया है । तत्पश्चात्, रक्त के इन नमूनों को डी. एन. ए. परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) है जिसमें आहत के रक्त के नमूने को प्रदर्श पी. 1 और अभियुक्त के रक्त के नमूने को प्रदर्श पी. 2 के रूप में दर्शाया गया है जिन्हें विश्लेषण के लिए प्राप्त किया गया था । रिपोर्ट में "अवलोकन" के कॉलम में यह दर्शाया गया है कि आहत की सलवार और उसके योनिक लेप में पाया गया डी. एन. ए., एफ. टी. ए. कार्ड पर लिए गए अभियुक्त के रक्त के नमूने में पाए गए डी. एन. ए. से मेल खाता है । जैसा कि पहले ही प्रारंभ में चर्चा की गई है कि डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की परीक्षा मामले के इस पहलू अर्थात् डी. एन. ए. की शनाख्त के संबंध में नहीं की गई है । इसका कारण स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर विचार करने में अनदेखी की गई है और विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से अनजाने में किया गया लोप प्रतीत होता है । अभिकथित रूप से कारित किए गए अपराध की गंभीरता और जघन्यता के संबंध में डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता अभिलेख को देखने मात्र से ही प्रतीत होती है । पक्षकारों के बीच निष्पक्ष विचारण किया जाना चाहिए । डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा किए जाने को मंजूर करना अभियोजन पक्षकथन में आई किसी त्रुटि की भरपाई करना नहीं है बल्कि ऐसा करना मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए आवश्यक है ताकि दोनों पक्षकारों के साथ

संपूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके । यद्यपि मेरे भ्राता न्यायमूर्ति चौहान ने निर्णय के अंतिम भाग में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रक्रम पर आवेदन मंजूर करना अपीलार्थी-दोषसिद्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के समान है, तथापि, ऊपर अभिलिखित कारणों के आधार पर अभियुक्त पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है क्योंकि उसे डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर भी मिलेगा और साथ ही उसे, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, प्रतित्युत्तर में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाएगा । वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें साक्षी की पुन: परीक्षा कराए जाने के संबंध में फाइल किया गया आवेदन मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि यह विलंब से फाइल किया गया है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के मात्र परिशीलन से ही पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर इस संहिता के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुन: बुला सकता है और उसकी पुन: परीक्षा करा सकता है जिसकी परीक्षा साक्षी के रूप में पहले हो चुकी है परंतु ऐसा तब किया जा सकता है जब मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता हो । ऊपर चर्चा किए गए विधिक सिद्धांतों तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मेरी सुविचारित राय में वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराना इस मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए सारभूत रूप से आवश्यक है । (पैरा 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 203 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1976 : **मंजू देवी** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	14
[2013]	(2013) 14 एस. सी. सी. 461 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081 : **राजाराम प्रसाद यादव** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ।	13

अपीली (दांडिक) प्रकीर्ण अधिकारिता : 2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 815.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन आवेदन ।

आवेदक (अपील में प्रत्यर्थी) की ओर से श्री प्रवीण चौहान

प्रत्यर्थी (अपीलार्थी) की ओर से श्री कुनाल ठाकुर (उपमहाधिवक्ता)

आदेश

अपील के लंबित रहने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन 2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 815, प्रत्यर्थी राज्य/अभियोजन पक्ष की ओर से फाइल किया गया है जिसमें डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने की ईप्सा की गई है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्‌वारा की गई थी जिसका गठन न्यायमूर्ति तरलोक चौहान और न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया द्‌वारा किया गया और तारीख 7 सितंबर, 2018 के निर्णय द्‌वारा यह आवेदन विनिश्चित किया गया । खंड न्यायपीठ के दोनों न्यायाधीशों ने भिन्न-भिन्न राय व्यक्त की, इस प्रकार इस आवेदन में विसम्मत निर्णय पारित किए गए हैं ।

2. खंड न्यायपीठ के न्यायाधीशों द्‌वारा दिए गए निर्णयों में असहमति को दृष्टिगत करते हुए मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के अधीन अन्तर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मुख्य न्यायाधीश ने तारीख 26 अक्तूबर, 2018 के आदेशानुसार यह निदेश दिया है कि खंड न्यायपीठ के न्यायाधीशों के विसम्मत निर्णयों को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई किए जाने और अपनी राय अभिलिखित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाए । इस प्रकार यह मामला इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

3. वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि 11/12 मई, 2014 की रात्रि में ग्राम सराहन, तहसील और जिला चम्बा में उसने अभियोक्त्री, जिसकी घटना के समय

आयु लगभग 12 वर्ष थी, के साथ मैथुन किया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध कारित किया है ।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए दोनों निर्णयों में तथ्यों का उल्लेख संक्षेप रूप में किया गया है और इस न्यायालय को खंड न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किए गए विसम्मत मतों के संबंध में मात्र अपनी राय व्यक्त करनी है, अत: मामले के तथ्यों का पुन: उल्लेख करना व्यर्थ होगा और अनावश्यक ही निर्णय पर भार पड़ेगा ।

5. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना उचित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराना मामले में न्यायोचित निर्णय दिए जाने के लिए सारभूत रूप से आवश्यक है या नहीं ।

6. डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा किए जाने हेतु फाइल किए गए आवेदन में लिए गए आधार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री और अभियुक्त की डी. एन. ए. परीक्षा कराए जाने के लिए रक्त के नमूने प्राप्त करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तत्पश्चात् अन्वेषण अधिकारी उपनिरीक्षक कमलेश कुमार (अभि. सा. 11) ने चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय अस्पताल चम्बा के समक्ष अभियुक्त और अभियोक्त्री के डी. एन. ए. परीक्षण के लिए रक्त के नमूने प्राप्त करने हेतु आवेदन फाइल किया है । अभियुक्त और अभियोक्त्री को डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) के समक्ष प्रस्तुत किया । अभि. सा. 13 ने कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् एफ. टी. ए. कार्ड पर अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों के रक्त के नमूने लिए और उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को सौंप दिया । आवेदन में लिए गए आधार अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रबलित होते हैं । अभि. सा. 11 ने साक्षी कठघरे में यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त और आहत के रक्त के नमूने प्राप्त करने के लिए आवेदन

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/के है । यह आवेदन, आदेश (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एल) द्वारा मंजूर किया गया । तत्पश्चात् उसने अभियुक्त का शनाख्ती-फार्म (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एम) और आहत का शनाख्ती-फार्म (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एन) भरा था । दोनों के रक्त के नमूने एफ. टी. ए. कार्डों पर प्राप्त किए गए थे ।

7. यदि अब हम दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करें तो शनाख्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एम) और आहत का शनाख्ती-फार्म (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एन) से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और आहत के रक्त के नमूने डा. ऋचा गुप्ता द्वारा प्राप्त किए गए थे । इन ज्ञापनों पर अभियुक्त और आहत दोनों के हस्ताक्षर हैं । अन्वेषक अधिकारी द्वारा फाइल किए गए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/के) पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चम्बा द्वारा किए गए आदेश से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त के रक्त के डी. एन. ए. से संबंधित समाधान अभिलिखित किया जाना मामले के विनिश्चय के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसमें जिला कारागार, चम्बा के अधीक्षक को निदेश दिया गया था कि वे अभियुक्त को क्षेत्रीय अस्पताल, चम्बा के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष रक्त का नमूना दिए जाने के लिए प्रस्तुत करें ।

8. अब यदि हम इस स्पष्टीकरण पर विचार करें कि इस साक्षी की पुन: परीक्षा करना क्यों अपेक्षित है तब अभियोजन पक्षकथन से यह स्पष्ट होता है कि डा. ऋचा गुप्ता से साक्षी कठघरे में इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था । डा. ऋचा गुप्ता के कथन से यह उपदर्शित होता है कि उसकी परीक्षा इस पहलू को लेकर बिल्कुल नहीं कराई गई है । यद्यपि अपीलार्थी-दोषसिद्ध ने प्रतिवाद किया है और अन्य बातों के साथ इस आवेदन का इस आधार पर प्रतिरोध किया है कि अभियोजन ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष पूरा अवसर रखा था कि डा. ऋचा गुप्ता की परीक्षा/पुन: परीक्षा एक समुचित प्रक्रम पर विचारण न्यायालय में की जा सके और अब इतने विलंबित प्रक्रम पर इस आवेदन को मंजूर करना अभियोजन पक्षकथन में आई खामी को दूर करने के सिवाय कुछ नहीं होगा और इस स्थिति में अभियुक्त के साथ अन्याय होगा और उस पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । फिर भी डा. ऋचा गुप्ता

(अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराने की आवश्यकता पर ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में अन्यथा भी विचार किया जाना चाहिए ।

9. खंड न्यायपीठ के न्यायाधीशों की विसम्मत राय पर विचार करने पर यह इंगित करना महत्वपूर्ण होगा कि हमारे भ्राता न्यायमूर्ति बरोवालिया ने, जिन्होंने तथ्यों और परिस्थितियों तथा परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के अधीन अन्तर्विष्ट उपबंधों का विश्लेषण करते हुए खंड न्यायपीठ का निर्णय दिया है, निम्न निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए आवेदन खारिज किया है :-

(i) साक्षी की परीक्षा लगभग 3 वर्ष पूर्व कराई गई थी, अत: इस साक्षी की पुन: परीक्षा कराए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर करना अभियोजन पक्षकथन में आई कमी को दूर करना है ;

(ii) डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) ने साक्षी कठघरे में आहत और अभियुक्त के रक्त के नमूने लिए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा है, अत: इतने विलंब के बाद आवेदन फाइल करना, जबकि अपील ठीक सुनवाई के प्रक्रम पर है, अभियोजन की त्रुटि को दूर करने के सिवाय कुछ नहीं है । किसी साक्षी को पुन: परीक्षा के लिए बुलाने की शक्ति का प्रयोग करने से संबंधित सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसका प्रयोग समीचीन रूप से किया जाना चाहिए और ऐसा करने से न्याय की जीत होनी चाहिए ; और

(iii) ऐसे आवेदन को मंजूर करने और साक्षी को पुन: परीक्षा के लिए बुलाने हेतु फाइल किए गए आवेदन को मंजूर करने से अभियुक्त पर गंभीर रूप से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

10. हमारे भ्राता न्यायमूर्ति बरोवालिया की राय में यदि ऐसे आवेदन को लंबे विलंब के बाद मंजूर किया जाता है तब ऐसा करना अभियोजन पक्ष द्वारा की गई खामी को दूर करना है और इससे अभियुक्त पर गंभीर प्रकृति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । तथापि, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती है जिसके आधार पर यह

सुनिश्चित किया जा सके कि इस मामले में विनिश्चय किए जाने के लिए इस साक्षी की पुन: परीक्षा की जानी अपेक्षित है या नहीं और आवेदन खारिज किए जाने का आदेश किया गया है ।

11. हम भ्राता न्यायमूर्ति चौहान द्वारा दिए गए विसम्मत निर्णय से निम्न कारणों से सहमत नहीं हैं :-

(i) यदि डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराने की अनुज्ञा दी जाती है, तब अपीलार्थी-दोषसिद्ध पर गंभीर रूप से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किए जाने से अपीलार्थी-दोषसिद्ध के साथ कोई अन्याय होगा ; और

(ii) ऐसे आवेदन को मंजूर करना और साक्षी की पुन: परीक्षा कराना अभियोजन पक्षकथन में आई खामी को दूर करने की कोटि में आएगा ।

12. भ्राता न्यायमूर्ति चौहान ने भिन्न मत व्यक्त करते हुए वर्ष 1996 से 2017 तक अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अवलंब लिया है जो उनके निर्णय के पैरा 4 से पैरा 17 से स्पष्ट हो जाता है । विधि के आधार पर विधिक सिद्धांत निम्न प्रकार विरचित किए गए हैं :-

(i) अभियोजन पक्षकथन में आई कमी को उसकी अन्तर्निहित शिथिलता या अव्यक्त निर्बलता समझना चाहिए ।

(ii) अभियोजन पक्षकथन में आई कमी का लाभ आम तौर पर अभियुक्त के पक्ष में जाता है किंतु विचारण के दौरान आई तुच्छ नैसर्गिक कमी को अपूर्णय खामी नहीं कहा जा सकता ।

(iii) दांडिक न्यायालयों की कार्य विधि विचारण के दौरान पक्षकारों द्वारा कारित कमियों को गणना में लेना नहीं अपितु दांडिक न्याय प्रशासन है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का उद्देश्य यह है कि किसी भी पक्षकार द्वारा अभिलेख पर किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में हुई भूल या किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों के कथनों में आई अस्पष्टता के कारण अन्याय नहीं किया जा सकता ।

(iv) निश्चायक कारक यह होना चाहिए कि क्या मामले के न्यायोचित विनिश्चय के लिए साक्षी की पुन: परीक्षा कराना आवश्यक है ।

(v) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन मात्र उद्देश्य अभिलेख पर ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो न केवल अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया हो बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऐसा करना उचित हो ।

(vi) न्यायालय की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 की प्रकृति, परिधि और उद्देश्य यह है कि धारा 311 यद्‌यपि पर्याप्त रूप से व्यापक है और इसका प्रयोग विचारण के दौरान किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है, फिर भी इसका प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाना चाहिए जिनमें साक्ष्य पुन: बुलाए जाने वाले ऐसे साक्षी द्‌वारा दिया जाना हो जिसका संबंध उस मामले में अन्तर्वलित मुख्य मुद्दे के साथ हो । यदि ऐसा साक्ष्य अभिलेख पर अपरिहार्य रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका, तब ऐसे साक्षी को अपने पिछले कथन को निर्दिष्ट करते हुए ही नहीं अपितु न्याय के हित के लिए अतिरिक्त साक्ष्य देने हेतु पुन: बुलाने के लिए न्यायालय की शक्ति परिसीमित नहीं है ।

(vii) सच्चाई का अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाना किसी भी विचारण या जांच प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है ताकि सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् उचित विनिश्चय दिया जा सके ।

(viii) निस्संदेह साक्षी को पुन: बुलाने की शक्ति का प्रयोग बिना सोचे-समझे या मनमाने ढंग से नहीं अपितु न्यायसम्मत रूप से किया जाना चाहिए ताकि कोई अवांछनीय निष्कर्ष न निकले ।

(ix) न्यायालय में पुन: अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करके उसका प्रयोग पुनर्विचारण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसका प्रयोग किसी भी पक्षकार के पक्षकथन की प्रकृति बदलने के लिए किया जाना चाहिए ।

(x) पुन: परीक्षा कराए जाने पर अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के संबंध में विरोधी पक्षकार को उस साक्षी की

प्रतिपरीक्षा करने और उसके साक्ष्य को अभिखंडित करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

(xi) "कोई न्यायालय", "किसी भी प्रक्रम पर", "या कोई भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही", "किसी व्यक्ति" और "किसी ऐसे व्यक्ति" जैसे शब्दों का यह अर्थ निकलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के उपबंधों का प्रयोग यथासंभव व्यापक निबंधनों में किया जाना चाहिए और इनके अधीन न्यायालय का विवेकाधिकार किसी भी प्रकार से सीमित नहीं है । निष्पक्ष विचारण का उद्देश्य अभियुक्त, आहत और समाज के हित की रक्षा करना है, अत: निष्पक्ष विचारण के अन्तर्गत पक्षकारों को कार्यवाही करने का खुला अवसर मिलना चाहिए । जब कोई अपराध समाज के विरुद्ध कारित किया जाता है, तब आहत व्यक्ति ही ऐसा अभागा होता है जो वास्तव में इस अपराध का मूल शिकार होता है, इसलिए अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए कोई भी प्रयास शेष नहीं रखा गया है ।

(xii) पहले से परीक्षा कराए गए साक्षी को न्यायालय में पुन: परीक्षा के लिए बुलाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन शक्ति का प्रयोग सतर्कता और कड़ी सावधानी के साथ ठोस और विधिमान्य आधार पर ही किया जाना चाहिए जो कि अभियोजन पक्ष को सामान्य अनुक्रम में दिया जाने वाला अवसर नहीं है और न्यायालय को अपने इस विवेकाधिकार का प्रयोग अन्याय को रोकने के लिए न्यायिक रूप से करना चाहिए ।

(xiii) किसी साक्षी को पुन: बुलाने के लिए फाइल किए गए आवेदन में होने वाला विलंब एक महत्वपूर्ण कारक है और आवेदन में इस विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

13. इसके अतिरिक्त **राजाराम प्रसाद यादव** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई संपूर्ण निर्णय विधि पर हमारे भ्राता न्यायमूर्ति चौहान ने विचार किया है ।

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 461 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081.

14. उच्चतम न्यायालय ने **मंजू देवी** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में ऊपर उल्लिखित विधिक सिद्धांतों को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन वैवेकिक शक्ति का प्रयोग आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक आवश्यक और समुचित उपायों का प्रयोग न्यायालय को अभिलेख के रख-रखाव में करना चाहिए और साक्ष्य में आई किसी भी अस्पष्टता को दूर करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पक्षकार के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया गया है । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण साक्षी की पुनः परीक्षा किए जाने के लिए इस आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि मामला लंबे समय से लंबित है ।

15. पुनः परीक्षा किए जाने के आवेदन को मंजूर करने के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त करने के लिए भ्राता न्यायमूर्ति चौहान द्वारा अभिलिखित कारण निम्न प्रकार हैं :-

> "... उपरोक्त विनिश्चयों पर कुल मिलाकर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय के पैरा 8 में विद्वान् न्यायमूर्ति बरोवालिया द्वारा जो सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही हैं । तथापि, मेरी सुविचारित राय में साक्षी की पुनः परीक्षा किए जाने हेतु फाइल किए गए आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के उपबंधों पर विचार नहीं किया गया है जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने के लिए अवश्य विचार करना चाहिए और उचित विनिश्चय देना चाहिए, न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग जांच, विचारण या अन्य किसी कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का कुल मिलाकर उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के हित को अपितु सभ्य समाज के हित को भी ध्यान में रखना है ।

---

[1] (2019) 6 एस. सी. सी. 203 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1976.

वर्तमान मामले पर विचार करने पर यह ध्यान में रखना होगा कि यह एक ऐसा विशिष्ट मामला है जिसमें अनावेदक/अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया है, अत: ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्षकथन मात्र इस आधार पर निर्बल नहीं समझा जा सकता कि लोक अभियोजक डी. एन. ए. परीक्षण से संबंधित प्रश्न डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) से नहीं कर सका जो कि इस मामले में सच्चाई के आधार पर समुचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

मेरी सुविचारित राय में डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) का साक्ष्य इस मामले में उचित विनिश्चय किए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस मामले में सच्चाई का पता लगाने और तथ्यों के समुचित सबूत प्राप्त करना आवश्यक है जिनसे न केवल न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में बल मिलेगा अपितु इसके आधार पर सही विनिश्चय भी दिया जा सकेगा । निस्संदेह, ऐसे आवेदन को मंजूर करने से अभियुक्त/अनावेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किंतु ऐसी शक्ति के प्रयोग को अभियोजन पक्षकथन में आई कमी की भरपाई करना नहीं कहा जा सकता जैसा कि पहले ही ऊपर कथन किया गया है, साक्ष्य की पुन: परीक्षा कराना मामले में उचित और सही विनिश्चय किए जाने के लिए आवश्यक है ...।"

16. मैंने दोनों निर्णयों का परिशीलन किया है किंतु मेरे मत मेरे विद्वान् भ्राता न्यायामूर्ति बरोवालिया के मत से भिन्न हैं । ऐसा होने पर इसमें इसके पश्चात् अभिलिखित कारणों के आधार पर इस मामले में मेरी राय भ्राता न्यायमूर्ति चौहान द्वारा व्यक्त की गई राय के समान है ।

17. अभियुक्त के रक्त का नमूना लेने हेतु न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में ही चर्चा किया गया मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य सम्यक् रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/के) पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चम्बा

द्वारा पारित आदेश (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एल) से साबित हो गया है । शनाख्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एम) और (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/एन) से पर्याप्त रूप से यह उपदर्शित होता है कि डा. ऋचा गुप्ता ने इस घटना में आहत हुई कन्या के रक्त और अभियुक्त के रक्त का नमूना एफ. टी. ए. कार्डों पर लिया है । तत्पश्चात्, रक्त के इन नमूनों को डी. एन. ए. परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) है जिसमें आहत के रक्त के नमूने को प्रदर्श पी. 1 और अभियुक्त के रक्त के नमूने को प्रदर्श पी. 2 के रूप में दर्शाया गया है जिन्हें विश्लेषण के लिए प्राप्त किया गया था । रिपोर्ट में "अवलोकन" के कॉलम में यह दर्शाया गया है कि आहत की सलवार और उसके योनिक लेप में पाया गया डी. एन. ए., एफ. टी. ए. कार्ड पर लिए गए अभियुक्त के रक्त के नमूने में पाए गए डी. एन. ए. से मेल खाता है । जैसा कि पहले ही प्रारंभ में चर्चा की गई है कि डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की परीक्षा मामले के इस पहलू अर्थात् डी. एन. ए. की शनाख्त के संबंध में नहीं की गई है । इसका कारण स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर विचार करने में अनदेखी की गई है और विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से अनजाने में किया गया लोप प्रतीत होता है । अभिकथित रूप से कारित किए गए अपराध की गंभीरता और जघन्यता के संबंध में डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता अभिलेख को देखने मात्र से ही प्रतीत होती है । पक्षकारों के बीच निष्पक्ष विचारण किया जाना चाहिए । डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा किए जाने को मंजूर करना अभियोजन पक्षकथन में आई किसी त्रुटि की भरपाई करना नहीं है बल्कि ऐसा करना मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए आवश्यक है ताकि दोनों पक्षकारों के साथ संपूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके ।

18. यद्यपि मेरे भ्राता न्यायमूर्ति चौहान ने निर्णय के अंतिम भाग में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रक्रम पर आवेदन मंजूर करने से अपीलार्थी-दोषसिद्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तथापि, ऊपर अभिलिखित कारणों के आधार पर अभियुक्त पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव

नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसे डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर भी मिलेगा और साथ ही उसे, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, प्रतित्युत्तर में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाएगा । वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें साक्षी की पुन: परीक्षा कराए जाने के संबंध में फाइल किया गया आवेदन मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि यह विलंब से फाइल किया गया है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के मात्र परिशीलन से ही पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर इस संहिता के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुन: बुला सकता है और उसकी पुन: परीक्षा करा सकता है जिसकी परीक्षा साक्षी के रूप में पहले हो चुकी है परंतु ऐसा तब किया जा सकता है जब मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता हो ।

19. ऊपर चर्चा किए गए विधिक सिद्धांतों तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मेरी सुविचारित राय में वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें डा. ऋचा गुप्ता (अभि. सा. 13) की पुन: परीक्षा कराना इस मामले में न्यायोचित विनिश्चय किए जाने के लिए सारभूत रूप से आवश्यक है ।

20. अत: उपरोक्त चर्चा से कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है और साक्षी डा. ऋचा गुप्ता को भ्राता तरलोक चौहान द्वारा दिए गए निर्णय के निबंधनों में पुन: परीक्षा हेतु बुलाया जाना चाहिए । तद्नुसार आदेश किया जाता है ।

रिट आवेदन मंजूर किया गया ।

अस.

संसद् के अधिनियम

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 10)

[4 मार्च, 2014]

बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए तथा कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या और अनुसंधान कार्य की अभिवृद्धि को अग्रसर करने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करना – रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने का है, यह घोषित किया जाता है कि रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात संस्था राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है ।

3. परिभाषाएं – इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए, सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द" से ऐसे प्रवर्ग के कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं, जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द अभिहित किए जाएं ;

(ग) "कृषि" से मृदा और जल प्रबंध संबंधी बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान, फसल उत्पादन, जिसके अन्तर्गत सभी उद्यान फसलों का उत्पादन, पौधों, नाशकजीवों और रोगों का नियंत्रण भी है, उद्यान-कृषि, जिसके अन्तर्गत पुष्प विज्ञान भी है, पशुपालन, जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान भी है, मत्स्य उद्योग, वन विज्ञान, जिसके अन्तर्गत फार्म वन विज्ञान भी है, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, कृषि तथा पशुपालन उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण, भू-उपयोग और प्रबंध अभिप्रेत है ;

(घ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "बुंदेलखंड" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें मध्य प्रदेश के छह जिले, अर्थात् छत्तरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के सात जिले, अर्थात् बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा समाविष्ट हैं ;

(छ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(ज) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है चाहे वह मुख्यालय, कैम्पस में या अन्यत्र अवस्थित हो ;

(झ) "विभाग" से विश्वविद्यालय का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है ;

(ञ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द हैं ;

(ट) "विस्तारी शिक्षा" से कृषि, उद्‌यान-कृषि, मत्स्य उद्‌योग और उससे संबंधित समुन्नत पद्धतियों तथा कृषि और कृषि उत्पादन से, जिसके अन्तर्गत फसलोत्तर प्रौद्‌योगिकी और विपणन भी हैं, संबंधित वैज्ञानिक प्रौद्‌योगिकी के विभिन्न चरणों में काम कर रहे फलोद्‌यानियों, कृषकों और अन्य समूहों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(ठ) "संकाय" से विश्वविद्‌यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(ड) "अध्यादेश" से विश्वविद्‌यालय के अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "विनियम" से विश्वविद्‌यालय के किसी प्राधिकरण द्‌वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ण) "अनुसंधान सलाहकार समिति" से विश्वविद्‌यालय की अनुसंधान सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(त) "परिनियम" से विश्वविद्‌यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) "छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्‌यालय में कोई उपाधि, डिप्लोमा या सम्यक् रूप से संस्थित अन्य विद्‌या संबंधी विशिष्ट उपाधि अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए नामांकित किया गया है ;

(द) "शिक्षक" से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन संकाय के सदस्य और उनके समतुल्य सदस्य अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्‌यालय, महाविद्‌यालय या विश्वविद्‌यालय द्‌वारा चलाए जा रहे किसी संस्थान में शिक्षण देने या अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा कार्यक्रम या इनके संयोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और जिन्हें अध्यादेशों द्‌वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किया गया है ;

(ध) "विश्वविद्‌यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्‌यालय अभिप्रेत है ;

(न) "कुलपति" से विश्वविद्‌यालय का कुलपति अभिप्रेत है ;

(प) "कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्‌यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

4. विश्वविद्यालय – (1) "रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे, कैम्पस स्थापित कर सकेगा :

परंतु विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में दो महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में दो महाविद्यालय स्थापित करेगा ।

(3) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा वे सभी व्यक्ति जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे पद पर बने रहते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है इसके द्वारा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में ऐसी शिक्षा देना जो वह ठीक समझे ;

(ख) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में विद्या की अभिवृद्धि करना और अनुसंधान का संचालन करना ;

(ग) अपनी अधिकारिता के अधीन राज्यों के जिलों में बुंदेलखंड में विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रम चलाना ;

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ भागीदारी और संपर्क का संवर्धन करना ; और

(ङ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो वह समय-समय पर अवधारित करे ।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियां – विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(i) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ;

(ii) कृषि और विद्या की सहबद्ध शाखाओं में अनुसंधान करने के लिए व्यवस्था करना ;

(iii) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और तकनीकी जानकारी संबंधी निष्कर्षों के प्रसार के लिए व्यवस्था करना ;

(iv) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य रीति के आधार पर उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारण होने पर किसी ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना ;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना ;

(vi) फील्ड कार्यकर्ताओं, ग्राम नेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया है व्याख्यान और शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(vii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना या सहयोग देना या सहयुक्त होना ;

(viii) कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य-उद्योग, वनोद्योग, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, दुग्ध उद्योग, गृह विज्ञान और सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित यथा आवश्यक महाविद्यालयों की स्थापना करना और उन्हें चलाना ;

(ix) ऐसे कैम्पस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय या अनुसंधान और संस्था के लिए ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करना और उन्हें चलाना, जो उसकी राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;

(x) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति हो सकेगी ;

(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था करना और उनका रखरखाव करना ;

(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के निवास-स्थानों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना ;

(xvi) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना ;

(xvii) छात्रों और कर्मचारियों के अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो वह आवश्यक समझे ;

(xviii) ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों को, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(xix) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना ;

(xx) अपने प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना ;

(xxi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या साधक हों ।

7. अधिकारिता – (1) कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रमों की बाबत विश्वविद्यालय की अधिकारिता और उत्तरदायित्व का विस्तार संपूर्ण देश पर होगा और प्राथमिकता बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के अधीन स्थापित होने वाले सभी महाविद्यालय, अनुसंधान और प्रयोग केन्द्र या अन्य संस्थाएं, उनके अधिकारियों और प्राधिकरणों के पूर्ण प्रबंध या नियंत्रण के अधीन उसकी घटक इकाइयों के रूप में होंगी तथा ऐसी किसी भी इकाई को सहबद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी ।

(3) विश्वविद्यालय, फील्ड विस्तार कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेगा और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास कर सकेगा जो उसकी अधिकारिता के अधीन राज्यों के विभिन्न भागों में अपेक्षित हों ।

8. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना – विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी

जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई मानदंड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, नि:शक्त व्यक्तियों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

9. कुलाध्यक्ष – (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दें, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का और किसी संस्था या महाविद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या परीक्षा, दिए गए शिक्षण और किए गए अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय को, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे, उसको ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों,

विचार करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है ।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में स्वयं हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(6) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति, बोर्ड को निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचार तथा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उसके द्वारा दी गई सलाह तुरन्त सूचित करेगा ।

(7) बोर्ड, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है ।

(8) जहां बोर्ड, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(10) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(1) कुलाधिपति ;

(2) कुलपति ;

(3) संकायाध्यक्ष ;

(4) निदेशक ;

(5) कुलसचिव ;

(6) नियंत्रक ;

(7) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

11. कुलाधिपति – (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

12. कुलपति – (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील बोर्ड से करे और तब बोर्ड, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगा, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा ।

(4) कुलपति यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इनकार करता है या उसके द्वारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

13. संकायाध्यक्ष और निदेशक – प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक

निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

14. कुलसचिव – (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

15. नियंत्रक – नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

16. अन्य अधिकारी – विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा यथाविहित होंगे ।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(1) प्रबंध बोर्ड ;

(2) विद्या परिषद् ;

(3) अनुसंधान परिषद् ;

(4) विस्तारी शिक्षा परिषद् ;

(5) वित्त समिति ;

(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड ; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

18. प्रबंध बोर्ड – (1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

19. विद्या परिषद् – (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी तथा उनके स्तरों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(2) विद्या परिषद् का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

20. अनुसंधान परिषद् – अनुसंधान परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

21. विस्तारी शिक्षा परिषद् – विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

22. वित्त समिति – वित्त समिति का गठन और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

23. संकाय – विश्वविद्यालय के ऐसे संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

24. अध्ययन बोर्ड – अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा किए जाएंगे ।

25. अन्य प्राधिकरण – धारा 17 के खंड (7) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

26. परिनियम बनाने की शक्ति – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का उपबंध, सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) विभागों, केन्द्रों, महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना और उत्सादन ;

(ट) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ठ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(त) ऐसे सभी अन्य विषय जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं ।

27. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे – (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर बोर्ड विचार करेगा ।

(3) प्रत्येक परिनियम या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा ।

(4) कोई परिनियम या विद्‌यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्‌वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात्‌ की तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, अपने द्‌वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्‌यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड, ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्‌वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित/समुचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्‌, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा ।

28. अध्यादेश बनाने की शक्ति – (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :–

(क) विश्वविद्‌यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्‌यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्य़क्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्‌या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं ;

(ज) छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ;

(ट) विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति ;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं ;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध ;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना ; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

29. विनियम – विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं ।

30. वार्षिक रिपोर्ट – (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को भेजेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

31. वार्षिक लेखे – (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त

प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतराल पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, बोर्ड को और बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और बोर्ड के संप्रेक्षणों को, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

32. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें – (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के

अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा ।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्‌वारा विहित की जाएगी ।

33. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया – (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्‌यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्‌वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्‌यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है उसके द्‌वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्‌यालय द्‌वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को, यथाशक्य, लागू होंगे ।

34. अपील करने का अधिकार – इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्‌यालय या विश्वविद्‌यालय द्‌वारा चलाए जा रहे महाविद्‌यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्‌यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्‌यालय या संस्था के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्‌वारा विहित किया जाए, बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तब बोर्ड, उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

35. भविष्य और पेंशन निधियां – (1) विश्वविद्‌यालय अपने

कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि और पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के बारे में विवाद – यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

37. समितियों का गठन – जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां स्थापित करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे ।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना – विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

39. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना – विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का

कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

40. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के बोर्ड, कुलपति, किसी प्राधिकरण या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

41. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के

पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

43. संक्रमणकालीन उपबंध – इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम नियंत्रक, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(ग) बोर्ड के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(घ) विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे :

परंतु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती ।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना – (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक

सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियम, अध्यादेश या विनियम को अथवा उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

क्रमशः .... (आगामी अंक देखें)

Cover-III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in